रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2019/वैशाख 19, 1941
No. 155] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2019/VAISAKHA 19, 1941

आर्यावर्त बैंक

अधिसूचना

लखनऊ 1 अप्रैल, 2019

फा. सं. आब/सर/1/2019-20.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्यावर्त बैंक के निदेशक बोर्ड बैंक ऑफ़ इंडिया जो प्रायोजक बैंक है और नैशनल बैंक से परामर्श किए जाने के पश्चात् और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभ

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 है।

(2) इन विनियमों में जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "बीमांकक" का वही अर्थ होगा जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खण्ड (1) में है;

(ग) "औसत उपलब्धि" से किसी कर्मचारी द्वारा बैंक में अपनी सेवा के अंतिम 10 माह के दौरान लिए गए वेतन का औसत अभिप्रेत है;

(घ) "बैंक" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित आर्यावर्त बैंक अभिप्रेत है;

(ङ.) "बोर्ड" से बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) "संतान" से कर्मचारी की संतान अभिप्रेत है, जो यदि वह पुत्र है तो **25** वर्ष से कम आयु का है और यदि पुत्री है तो अविवाहित है और **25** वर्ष से कम आयु की है और बहुवचन में प्रयोग किए जाने पर इस संतान पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो उसका आर्यावर्त बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, **2010** में है;

(ज) "अंशदान" से बैंक द्वारा कर्मचारी की ओर से निधि में जमा की गई राशि अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ब्याज के रूप में जमा की गई कोई राशि शामिल नहीं है;

(झ) "सेवानिवृत्ति की तारीख" से उस माह की अंतिम तारीख अभिप्रेत है जिसमें कोई कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है या वह तारीख जिस दिन उसे बैंक द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है या वह तारीख जिस दिन कर्मचारी स्वैच्छा से सेवानिवृत्त होता है;

(ञ) "कर्मचारी" से बैंक की सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह पूर्णकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर या अंशकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर वेतनमान में कार्यरत कर्मकार हो अथवा कोई अधिकारी जिन्होंने इन विनियमों के विकल्प का चयन किया हो तथा इनके द्वारा शासित हो, परंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है, जो संविदा आधार पर या दैनिक मजदूरी आधार पर या समेकित मजदूरी के आधार पर नियोजित हो;

(ट) "प्रवृत्त होने की तारीख" से **1** अप्रैल, **2018** अभिप्रेत है;

(ठ) "पात्र कर्मचारी" से इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र कोई कर्मचारी अभिप्रेत है;

(ड) "कर्मचारी पेंशन स्कीम **1995**" से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम **1952** (**1952** का **19**) के अंतर्गत तैयार की गई कर्मचारी पेंशन स्कीम अभिप्रेत है;

(ढ) "कुटुम्ब" से किसी कर्मचारी के संबंध में अभिप्रेत है,-

(i) पुरूष कर्मचारी के मामले में पत्नी और महिला कर्मचारी के मामले में पति (चाहे शादी सेवानिवृत्ति से पहले या उसके बाद हुई हो);

(ii) न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी किन्तु यह पृथककरण जारकर्म के आधार पर मंजूर नहीं हुआ हो और उत्तरजीवि व्यक्ति जारकर्म का दोषी नहीं ठहराया गया हो;

(iii) (क) अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री (जिनका जन्म सेवानिवृत्ति से पूर्व या पश्चात् हुआ हो, इनमें दत्तक संतान भी शामिल हैं) जिसकी आयु **25** वर्ष से कम हो;

(ख) मानसिक विकृति अथवा असमर्थता या शारीरिक विकलांगता से ग्रसित अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री;

(iv) विधवा पुत्री अथवा तलाकशुदा पुत्री (जिसका जन्म सेवानिवृत्ति से पूर्व या इसके पश्चात् हुआ हो) बिना किसी आयु सीमा के;

(v) माता-पिता जो कर्मचारी पर पूर्णत: निर्भर थे, जब ऐसा कर्मचारी जीवित था निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन:

(क) मृतक कर्मचारी अपने पीछे न तो कोई विधवा या विधुर या पात्र पुत्र या पुत्री या विधवा या तलाकशुदा पुत्री छोड़ गया हो और यह कि माता-पिता की आय दो हजार पांच सौ पचास रुपए से कम हो।

(ख) जहां मृतक कर्मचारी अपने पीछे संतानविहीन विधवा छोड़ गया हो तो वे संतानविहीन विधवा की मृत्यु या अन्य स्रोतों से उनकी स्वतंत्र आय प्रति दो हजार पांच सौ पचास रुपए या समतुल्य या अधिक हो इसके पश्चात ही कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे;

(ण) "कुटुम्ब पेंशन" से विनियम **37** में उल्लिखित कुटुम्ब पेंशन अभिप्रेत है;

(त) "वित्तीय वर्ष" से **1** अप्रैल को आरंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(थ) "निधि" से विनियम **4** के अंतर्गत गठित आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि अभिप्रेत है;

(द) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) में निर्धारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है;

(ध) "अधिसूचित तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिस दिन इन विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है;

(न) "वेतन" से मूल वेतन अभिप्रेत है जिसमें अवरूद्ध वेतन वृद्धि, यदि कोई हो और भविष्य निधि में अंशदान करने के प्रयोजन हेतु शामिल सभी भत्ते तथा महँगाई भत्ते का भुगतान भी शामिल है;

(प) "पेंशन" से कुटुम्ब पेंशन सहित और अध्याय-V में निर्दिष्ट पेंशन की वर्ग अभिप्रेत है;

(फ) "पेंशन भोगी" से इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारी अभिप्रेत है;

(ब) "अर्हक सेवा" से नियमित आधार पर की गई सेवा अभिप्रेत है, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के प्रयोजन हेतु शामिल किया जाता है;

(भ) "सेवानिवृत्ति" से बैंक सेवा से निवृत्त होना अभिप्रेत है,-

(i) सेवा विनियम में निर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर;

(ii) विनियम 28 में निहित उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर;

(iii) विनियम 30 में निहित उपबंधों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व बैंक के द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति देने पर;

(म) "सेवा विनियम" से आर्यावर्त बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 अभिप्रेत है।

(य) "न्यास" से विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत गठित आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि अभिप्रेत है;

(यक) "न्यासी" से विनियम 4 के अंतर्गत गठित आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के न्यासी अभिप्रेत हैं;

(यक) "भविष्य निधि" से बैंक की भविष्य निधि अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी पद और अभिव्यक्ति परंतु जिन्हें परिभाषित न किया गया हो और जिन्हें अधिनियम अथवा आर्यावर्त बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 में परिभाषित किया गया हो, का अर्थ वही होगा, जैसा कि अधिनियम या आर्यावर्त बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जैसा भी मामला हो, में है।

अध्याय II

लागू होना और पात्रता

3. लागू होना – (1) ये विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू होंगे जो –

(क) 1 सितम्बर, 1987 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे किन्तु 31 मार्च, 2010 को या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे एवं जिन्होंने अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के लिए लिखित में विकल्प का प्रयोग किया है और एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर उनको प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत भविष्य निधि में बैंक के द्वारा किए गए अंशदान की संपूर्ण राशि तथा उसके द्वारा राशि प्राप्त होने की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज) को रिफंड की तिथि तक ऐसी अंतिम राशि के प्राप्त होने की तिथि से ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान किए बिना वापस कर दिया है; अथवा

(ख) 1 सितम्बर, 1987 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे, अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में बने रहेंगे और अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं तथा बैंक के संपूर्ण अंशदान को उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ विनियम 4 के अंतर्गत गठित निधि में जमा करा दें; अथवा

(ग) 1 सितम्बर, 1987 तथा 31 मार्च, 2010 के बीच बैंक की सेवा में थे और प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात् सेवा में रहे किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए; यदि वह अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के लिए विकल्प का प्रयोग करते हैं और एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिनों के भीतर उनको प्राप्त

संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अंतर्गत भविष्य निधि में बैंक के द्वारा किए गए अंशदान की संपूर्ण राशि तथा उनके द्वारा राशि प्राप्त होने की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) को वापस लौटाने की तिथि तक ऐसी अंतिम राशि के प्राप्त होने की तिथि से ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान किए बगैर वापस कर दिया है:

परन्तु यह कि कर्मचारी का परिवार जो –

(i) 1 सितम्बर, **1987** को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे किन्तु **31** मार्च, **2010** को या उसके पूर्व जिनकी मृत्यु हो गई; या

(ii) 1 सितम्बर, **1987** और **31** मार्च, **2010** के बीच पद ग्रहण करते हैं और प्रभावी तिथि से पूर्व मृत्यु हो गयी; या

(iii) 1 सितम्बर, **1987** और **31** मार्च, **2010** के बीच बैंक की पद ग्रहण करते हैं और प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात् सेवा में बने रहते हैं किन्तु निधि का सदस्य बनने के लिए लिखित में विकल्प दिए बिना ही कर्मचारी की अधिसूचित तारीख के पश्चात् एक सौ बीस दिनों के पूर्व मृत्यु हो गई हो,

इन विनियमों के अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे, यदि दिवंगत कर्मचारी का कुटुम्ब कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से एक सौ बीस दिन या अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति, जो भी बाद में हो, के भीतर निधि का सदस्य बनने के लिए लिखित में विकल्प का प्रयोग करते हैं और एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिनों के भीतर कुटुम्ब को प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अंतर्गत भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि तथा परिवार द्वारा राशि प्राप्त होने की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) को वापस करने की तिथि तक ऐसी अंतिम राशि के प्राप्त होने की तिथि से ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान किए बिना वापस कर दिया है।

(2) कोई कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारी का कुटुम्ब उप-विनियम (**1**) के अंतर्गत विकल्प का चयन नहीं करता है या जो विकल्प का चयन करने के पश्चात् राशि वापस नहीं लौटाता है, तो उसे निधि का सदस्य बनने के संबंध में अनिच्छुक माना जाएगा और वह कर्मचारी पेंशन योजना **1995** के अंतर्गत शासित होगा।

(3) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी, जो एक अप्रैल, **2010** को या उसके पश्चात् बेंक की सेवा में आता है, के पास या तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प का चयन करने अथवा कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अंतर्गत शासित होने (बने रहने) का विकल्प होगा।

(4) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी जो 1 अप्रैल, **2018** को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में आता है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर होगा।

अध्याय III

निधि

4. निधि का गठन –

(1) बैंक अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगा।

(2) निधि का एक मात्र प्रयोजन होगा कर्मचारी या उसके कुटुम्ब को इन विनियमों के अनुसार पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के संदाय का उपबंध करना।

(3) बैंक निधि का एक अंशदाता होगा और वह सुनिश्चित करेगा कि निधि में पर्याप्त धनराशि रहे ताकि न्यासी इन विनियमों के अधीन हिताधिकारियों को शोध्य संदाय कर सकें।

5. बैंक का दायित्व –

(1) (क) विनियम **4** के अंतर्गत निधि के गठन के पश्चात् बैंक विनियम **3** के अंतर्गत निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करने वाले पात्र कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अंतर्गत पेंशन के लिए बेंक के अंशदान की संचित शेष राशि, ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि में अंतरित करेगा।

(ख) अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि के गठन के पश्चात् बैंक विनियम **3** के अंतर्गत निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करने वाले पात्र कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अंतर्गत भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के अंशदान की संचित रकम, ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित अंतरित करेगा।

(2) विनियम **3** के उप-विनियम (**1**) के अंतर्गत निधि के लिए विकल्प चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारी का कुटुम्ब कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अधीन पेंशन घटक की राशि प्राप्त करता रहेगा और इन विनियमों के अंतर्गत देय पेंशन की शेष् राशि निधि में से दी जाएगी।

6. निधि की संरचना –

निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

(क) निधि की आस्तियों एवं देयताओं के बीच के आरंभिक अंतराल के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक द्वारा अंशदान;

(ख) कर्मचारी के वेतन पर दस प्रतिशत प्रति मास की दर से बैंक द्वारा अंशदान।

(ग) पात्र सेवारत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अंतर्गत पेंशन और भविष्य निधि के लिए बैंक द्वारा जमा अंशदान और निधि के अंतरण की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज।

(घ) पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अंतर्गत बैंक के भविष्य निधि अंशदान सहित वापस की गई राशि।

(ड.) निधि के धन से क्रय की गई वार्षिकी या प्रतिभूतियों में किया गया निवेश और उस पर ब्याज।

(च) निधि की पूंजी आस्तियों से उद्भूत किसी पूंजी अभिलाभ की रकम।

(छ) विनियम **10** में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा किया अतिरिक्त वार्षिक अंशदान।

(ज) निधि में जमा की गई रकमों के निवेश से हुई आय।

(झ) पात्र दिवंगत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, **1995** के अंतर्गत वापस किए गए बैंक के भविष्य निधि अंशदान की रकम और उस पर ब्याज।

7. न्यासी बोर्ड –

(1) कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन तथा निधि की व्यवस्था बोर्ड के न्यासियों में निहित होगी, जो इन विनियमों के अधीन पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उसके लिए आवश्यक सभी कार्य करेंगे।

(2) न्यासी बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त इतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिसकी संस्था बैंक अवधारित करेगा किन्तु जिनकी संस्था तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होगी।

(3) न्यासियों की नियुक्ति का अधिकार बैंक में निहित होगा और ऐसी सभी नियुक्तियां लिखित रूप में की जाएंगी।

(4) बैंक एक न्यासी को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा।

(5) न्यासी का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और बैंक इस न्यासी की पुनर्नियुक्ति कर सकता है जिसने पूर्व में अपना कार्यकाल पूरा किया है।

बशर्ते किसी न्यासी की नियुक्ति दो बार से अधिक नहीं होगी।

8. न्यासियों द्वारा बोर्ड के निदेशों का पालन किया जाना –

नियम **7** के अंतर्गत अपनी शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन करते हुए न्यासी बोर्ड, बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार दिशानिर्देशित होगा:

परंतु यह कि ऐसे सभी निर्देश लिखित रूप से दिए जाएंगे और तत्संबंधी प्रयोजन एवं उद्देश्य को विनिर्दष्ट करेंगे।

9. निधि की लेखा बहियां –

(1) निधि के लेखाओं में निधि से संबंधित सभी वित्तीय संव्यवहारों की विशिष्टियां ऐसे प्रारूप में अंतर्विष्ट होंगी जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) बैंक के तुलन पत्र को उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिनों के भीतर न्यास, न्यास की आस्तियों और दायित्वों का सामान्य लेखा दर्शाते हुए अपनी वित्तीय विवरणी तैयार करेगा और उसकी एक प्रति बैंक को अग्रेषित करेगा।

(3) अधिनियम की धारा **19** के उपबंधों के अनुसार निधि के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी।

10. निधि का बीमांकिक अन्वेषण –

बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति का किसी बीमांकन द्वारा अन्वेषण कराएगा और निधि में ऐसा अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा जो इन विनियमों के अधीन लाभों का संदाय सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हों:

परंतु यह कि बैंक जिस वित्तीय वर्ष में निधि का गठन किया गया है उसके ठीक पश्चात्वर्ती 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी बीमांकक से अन्वेषण कराएगा।

11. निधि का निवेश –

निधि में अंशदान की गई या प्राप्त या ब्याज के रूप में अधिसूचित तारीख के पश्चात प्रोद्भूत संपूर्ण राशि भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत खाते में जमा की जा सकेगी या इन विनियमों के अनुसार पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने के लिए उपयोग में लायी जा सकेगी और ऐसी वह राशि जिसको जमा या उपयोग नहीं किया गया है, उसका सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण लिखतों, अल्पावधि ऋण लिखतों, इक्विटी और संबंधित निवेशों, आस्ति समर्थित न्यास संरचनाओं और प्रकीर्ण (विविध) निवेशों में निवेश की जाएगी।

12. निधि से भुगतान –

न्यास इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन बैंक के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों या बैंक के पात्र दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को कुटुम्ब पेंशन के पेंशनरी फायदों की स्वीकृति के लिए कार्य करेगा।

अध्याय IV

पेंशन के लिए अर्हक सेवा

13. पेंशन के लिए अर्हक सेवा –

इन विनियमों में अंतर्विष्ट अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसा कर्मचारी जिसने बैंक में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है, पेंशन के लिए अर्हित होगा।

14. अर्हक सेवा का आरंभ –

इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी, जिस तारीख को वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर वह पहली बार स्थायी आधार पर नियुक्त हुआ है और परिवीक्षा के दौरान की गयी सेवा का गणना अर्हक सेवा के रूप में होगी यदि परिवीक्षा के पश्चात् उसी पद पर उसकी प्रतिपुष्टि हो जाती है।

15. छुट्टी पर व्यतीत अवधि की गणना –

बैंक की सेवा में ऐसी सभी छुट्टियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है।

परंतु वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में नहीं गिनी जाएंगी सिवाय तब के जब मंजूरी प्राधिकारी ने निदेश दिया हो कि ऐसी छुट्टी, संपूर्ण सेवावधि के दौरान बारह महीनों से अनधिक, पेंशन सिहत सभी प्रयोजनों के लिए सेवा के रूप में गिनी जाए।

16. एक वर्ष से कम की सेवा का खंडित सेवाकाल –

यदि किसी कर्मचारी की सेवा में एक वर्ष से कम का खंडित सेवाकाल सम्मिलित है तो यदि यह खंडितकाल छ: महीनों से अधिक है तो उसे एक वर्ष माना जाएगा और यदि ऐसा खंडितकाल छ: महीने या कम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा।

परंतु यह कि इस विनियम के उपबंध पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक सेवा के निर्धारण के लिए लागू नहीं होंगे।

17. प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना –

किसी कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति से ठीक बाद बैंक में प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

18. किसी पूर्व बैंक के साथ की गयी भूतकालिक सेवा की गणना –

कर्मचारी द्वारा किसी अन्य बैंक में नियमित आधार पर की गई सेवा उस बैंक के वर्तमान बैंक के साथ समामेलन होने पर भी अर्हक सेवा लिए गणना की जाएगी:

परंतु यह कि संविदा के आधार पर या दैनिक मजदूरी के आधार पर या समेकित मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी पर यह विनियम लागू नहीं होगा।

19. निलंबन की अवधि –

(1) जांच लंबित रहने के दौरान किसी कर्मचारी की निलंबन अवधि की गणना अर्हक सेवा के लिए की जाएगी जहां ऐसी जांच पूरी हो जाने के पश्चात् उसे पूरी तरह से नियुक्त कर दिया गया है या निलंबन को पूर्णतया युक्तिसंगत नहीं पाया गया है।

(2) अन्य सभी मामलों में निलंबन की अवधि को तब तक अर्हक सेवा नहीं गिना जाएगा जब तक कि ऐसे मामलों को अभिशासित करने वाले सेवा विनियमों के अधीन आदेश पारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना उस विस्तार तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।

20. सेवाकाल का समपहरण –

(1) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अलावा किसी कर्मचारी के बैंक की सेवा से त्यागपत्र देने या उसके पदच्युत किए जाने या हटाए जाने या सेवा समाप्ति पर उसकी संपूर्ण पिछली सेवा समपहृत हो जाएगी और परिणामस्वरूप इन विनियमों के अधीन पेंशनिक फायदों के लिए अर्हक सेवा नहीं होगी।

(2) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी बैंक कर्मचारी की सेवा में व्यवधान उसकी पूर्व सेवा को अपरिहार्य रूप से समपहृत कर देता, नामत:

(क) प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी,

(ख) निलंबन, जहां उसका तुरंत यथापूर्वकरण चाहे उसी पद पर हो या किसी भिन्न पद पर या जहां बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है या उसे सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई है या निलंबन के दौरान सेवा विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

21. हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा में व्यवधान –

हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारी की सेवा में हुए व्यवधान को तब तक पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यवधान की अवधि को माफ न कर दे।

परंतु यह कि हड़ताल में उसकी भागीदारी के कारण सेवा में ऐसे व्यवधान के संबंध में बैंक कर्मचारी के सेवा रिकार्ड में प्रविष्टि करने से पूर्व कर्मचारी को अभ्यावेदन करने का एक अवसर दिया जा सकता है।

22. सेना में सेवा –

ऐसा कर्मचारी जिसने बैंक में नियुक्त से पहले सेना में सेवा की है सैनिक पेंशन, यदि कोई हो, प्राप्त करता रहेगा किंतु सेना में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की गणना पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

23. भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि –

भारत में किसी अन्य संगठन में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी, परंतु यह तब जबकि ऐसा संगठन जिसमें वह प्रतिनियुक्त है या कर्मचारी इन विनियमों में विनिर्दष्ट दरों पर या प्रतिनियुक्ति के समय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, पेंशन संबंधी अंशदान का बैंक को संदाय करें।

24. विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में परिवर्तन –

कोई भी कर्मचारी विनियम **26** में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हित करने वाले अपने सेवा काल में अपनी सेवा की एक चौथाई से अनधिक या उतनी वास्तविक अवधि जितनी से, भर्ती के समय सीधी भर्ती हेतु बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से उसकी आयु अधिक थी या पांच वर्ष की अवधि की, इनमें से जो भी कम हो, वृद्धि करने का पात्र होगा किन्तु यह तब तक जबकि वह सेवा या पद, जिस पर कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से एक है –

(क) जिसके लिए कि स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेषज्ञ अर्हताएं या वैज्ञानिक प्रौद्योगिक या वृत्तिक क्षेत्रों में अनुभव आवश्यक है;

(ख) जिस पर सीधी भर्ती हेतु सामान्यतया विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से अधिक के अभ्यर्थी भर्ती किए जाते हैं; और

(ग) जिसके लिए अभ्यर्थी को उसके पास उच्चतर अर्हताएं और अनुभव होने के कारण बैंक द्वारा नियत अधिकतम आयु सीमा से ऊपर छूट दी गई हो।

परंतु यह रियायत किसी कर्मचारी को तभी अनुदेय होगी जबकि बैंक की सेवा छोड़ने के समय उसकी वास्तविक अर्हक सेवा कम से कम दस वर्ष की हो।

25. स्थाई अंशकालिक आधार पर की गई सेवा की गणना –

(1) उन कर्मचारियों के मामले में जो उस पर लागू नियुक्ति के अन्य नियमों के अनुसार बैंक में स्थाई अंशकालिक आधार पर सेवारत था और कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था, उसके द्वारा ऐसे अंशदान की तिथि से स्थाई अंशकालिक आधार पर उसके द्वारा की गई सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

(2) स्थाई अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की राशि की गणना के प्रयोजनार्थ अर्हक सेवा की अवधि फार्म I**V** के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(3) इस विनियम के अधीन पेंशन की राशि की गणना के प्रयोजनार्थ की गई वास्तविक सेवा को अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामलों में सेवानिवृत्त के समय पर आहरित किए गए वास्तविक वेतन को औसत पारिश्रमिक के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

अध्याय V

पेंशन के वर्ग

26. अधिवर्षिता पेंशन –

अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ है।

27. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन –

(1) प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात् कर्मचारी के बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा:

परंतु यह भी कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो ऐसे किसी स्वशासी निकाय या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय में, चाहे वह निगतिम हो या नहीं, में स्थाई रूप से आमेलित होने के लिए सेवानिवृत्ति मांगते समय प्रतिनियुक्ति पर है।

(2) उप-विनियम (**1**) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी:

परंतु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्त के लिए अनुज्ञा देने से इंकार नहीं करता है तो सेवानिवृत्त उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

(3) (क) उप-विनियम (**1**) में निर्दिष्ट कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को यह कारण बताते हुए लिखित अनुरोध कर सकेगा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तीन मास से कम की सूचना स्वीकार कर ली जाए।

(ख) खण्ड (क) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, उप-विनियम (**2**) के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी गुणावगुण के आधार पर सूचना की तीन महीने की अवधि में कमी करने के अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि सूचना की अवधि में कमी करने से कोई प्रशासिनक असुविधा पैदा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पर तीन महीने की सूचना संबंधी अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा कि कर्मचारी सूचना के तीन महीने समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।

(4) ऐसे कर्मचारी को, जिसने इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का निर्वाध किया है और इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक सूचना दी हे, ऐसे अधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना वापस नहीं ले सकेगा।

परंतु यह कि सूचना वापस लेने के लिए अनुरोध सेवानिवृत्त की आशायित तारीख से पहले किया जाएगा।

(5) इस विनियम के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी कि उस कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और इससे यह अधिवर्षिता की तारीख से आगे नहीं जाएगी

परंतु यह कि बढ़ाई गई अर्हक सेवा से वह अपनी पेंशन की संगणना के उद्देश्य से वेतन का कोई काल्पनिक नियतन का हकदार नहीं होगा।

28. अशक्त पेंशन –

(1) ऐसे कर्मचारी को अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकेगी,-

(क) जिसने न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जो प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात जो किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के कारण सेवानिवृत्त हुआ है जिसने उसे सेवा के लिए स्थाई रूप से असमर्थ बना दिया है।

(2) अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाला कर्मचारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया असमर्थता संबंधी डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी को उस पद से जिस पर वह कार्य कर रहा था, कम परिश्रम वाले कार्य पर आगे सेवा हेतु स्वस्थ घोषित कर देता है तो यदि वह कार्य करना चाहता हो तो, उसे निम्नतर पद पर सेवा में रखा जा सकता है और यदि वह निम्नतर पद पर रखने का कोई साधन नहीं है तो उसे अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकती है।

(4) सेवा हेतु अक्षमता का चिक्त्सिा प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदक इस आशय का पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि सक्षम प्राधिकारी को इस बात की जानकारी है कि आवेदक बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहता है।

(5) सक्षम प्राधिकारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी को जिस बैंक में आवेदक नियोजित है उसके अभिलेख से प्रकट होने वाली आवेदक की आयु की जानकारी देगा।

29. अनुकंपा भत्ता –

(1) ऐसे कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा समाप्त की जाती है, पेंशन समयहृत हो जाएगी:

परंतु पदच्युत करने या सेवा से हटाने या सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी, यदि-

(i) ऐसी पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या सेवा समाप्ति प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात की गई है, और

(ii) मामला विशेष रूप से विचार किए जाने के योग्य है,

तो, ऐसी पेंशन की दो तिहाई से अनधिक अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकेगा, जो उसकी पदच्युति, सेवा से हटाए जाने या सेवा समाप्त करने की तारीख तक की गई सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती।

(2) उप-विनियम (1) के परंतुक के अधीन स्वीकृत अनुकंपा भत्ता विनियम **34** के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा।

30. समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन –

समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाएगी जो,

(क) न्यूनतम दस वर्ष की सेवा कर चुका हो; और

(ख) लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्त होने के बैंक के आदेश के कारण या लिखित में दर्ज किए गए किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्त होता है, और जो अन्यथा अधिवर्षिता की उस तारीख पर पेंशन के लिए पात्र होता।

31. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन –

प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात अनुशासन एवं अपील विनियमन या समझौते के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति दिए जाने पर सेवा से शास्ति के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को उस दर से पेंशन दी जा सकती है जो उसे देय पेंशन के दो तिहाई से कम न हो और उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकृत उस पूरी पेंशन से अधिक न हो, यदि वह अन्यथा अधिवर्षिता की तारीख को ऐसी पेंशन का पात्र होता।

परंतु यह कि इस विनियम के अंतर्गत प्रदान की गई पेंशन इन विनियमों के अधीन देय पूर्ण पेंशन से कम है तो ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व निदेशक मण्डल से परामर्श लिया जाएगा।

32. कुछ कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या कुटुम्ब पेंशन का भुगतान –

(1) कोई कर्मचारी जो **1** सितम्बर, **1987** और **31** मार्च, **2010** के बीच सेवा में था और **31** मार्च, **2018** से पूर्व बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन प्रभावी तिथि से पेंशन के भुगतान के लिए पात्र होगा।

(2) दिवंगत कर्मचारी, जो **1** सितम्बर, **1987** और **31** मार्च **2010** के बीच सेवा में था और जिसकी **31** मार्च **2018** से पूर्व मृत्यु हो गई है, का परिवार इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन प्रभावी तिथि से कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे।

अध्याय **V**।

पेंशन की दर

33. पेंशन की रकम:-

(1) **1** सितम्बर, **1987** से **31** अक्तूबर **1987** के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन, जहां भी लागू हो, को परिशिष्ट **1** में दिए गए सूत्र के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

(2) तैंतीस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवा विनियमों या समझौते के उपबंधों के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में मूल पेंशन की रकम की संगणना औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर की जाएगी।

(3) (क) उप विनिमय(I) के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन, कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के अंकतम दस मास के दौरान प्राप्त किए गए भत्तों की राशि की पचास प्रतिशत होगी,

(ख) अतिरिक्त पेंशन की रकम पर कोई मंहगाई राहत नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण:- इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए भत्तों से वे भत्ते अभिप्रेत हैं जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए जिस विस्तार तक गणना की जाती है उस तक अनुज्ञेय है।

(4) विनियम **34** में निर्दिष्ट है कि परिकलित पेंशन और अतिरिक्त पेंशन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन के अधीन रहते हुए होगी।

(5) ऐसे कर्मचारी को जिसने इन विनियमों के विनियम **39** के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन के अनुज्ञेय भाग का संराशीकरण करवाया है, प्रत्येक मास पेंशन का केवल अतिशेष ही प्राप्त होगा।

(6) (क) तैंतीस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले किंतु दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में पेंशन की रकम उप विनियम (**2**) और (**3**) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन अतिरिक्त और पेंशन की रकम के अनुपात में होगी और किसी भी दशा में पेंशन की रकम इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

(ख) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अशक्त पेंशन की रकम, कुटुम्ब पेंशन की उस सामान्य दर से कम नहीं होगी, जो सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके कुटुम्ब को संदेय होती।

(7) इस विनियम के अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेंशन की रकम पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और यदि पेंशन में रुपए का कोई भाग हो तो इसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

34. न्यूनतम पेंशन:-

न्यूनतम पेंशन की रकम इस प्रकार होगी –

(क) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी के संदर्भ में **375** रुपये प्रतिमाह; जहां कर्मचारी **1** नवम्बर, **1992 (**अधिकारियों से भिन्न कर्मचारिों के मामले में) अथवा **1** जुलाई, **1993 (**अधिकारियों के मामले में) से पहले तथा **1** नवम्बर, **1992** से पहले सेवानिवृत्त होने वाला स्थायी अंशकालिक कर्मचारी उसकी अनुपातिक राशि प्राप्त करेगा;

(ख) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में **720** रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी **1** नवम्बर, **1992** को अथवा उसके बाद (अधिकारियों से इतर कर्मचारियों के मामले में) अथवा **1** जुलाई, **1993** को अथवा उसके बाद (अधिकारियों के मामले में) सेवानिवृत्त हुआ हो और **1** नवम्बर, **1992** को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले स्थायी अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में उसकी अनुपातिक राशि दी जायेगी;

(ग) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में, जो **1** अप्रैल, **1998** को अथवा इसके बाद परन्तु **31** अक्टूबर, **2002** से पहले सेवानिवृत्त हुआ हो को **1060** रुपये प्रतिमाह और **355** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का एक तिहाई प्राप्त कर चुका हो, **530** रुपए प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का आधा प्राप्त कर चुका हो, **795** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का तीन चौथाई प्राप्त कर चुका हो, जहां कर्मचारी **1** अप्रैल, **1998** को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो;

(घ) स्थाई अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में **1435** रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी, **2002** को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो और **480** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी के संदर्भ में जो वेतन का एक तिहाई प्राप्त कर चुका हो, **720** प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का आधा प्राप्त कर चुका हो और **1080** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का तीन चौथाई प्राप्त कर चुका हो, जहां कर्मचारी **1** मई, **2005** को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो;

(ड.) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में **1779** रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी **1** नवम्बर, **2007** को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो और **595** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का एक तिहाई प्राप्त कर चुका हो, **892** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी के मोमले में जो वेतन का आधा प्राप्त कर चुका हो और **1339** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का तीन चौथाई प्राप्त कर चुका हो, जहां कर्मचारी **1** नवम्बर, **2007** को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो;

(च) स्थाई अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में **2785** रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी, **1** नवम्बर, **2012** को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो और **932** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का एक तिहाई प्राप्त कर चुका हो, **1397** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का आधा प्राप्त कर चुका हो और **2096** रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का तीन चौथाई प्राप्त कर चुका हो, जहां कर्मचारी **1** नवम्बर, **2012** को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो;

35. मंहगाई राहत:-

(1) मूल पेंशन या कुटुम्ब पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता पर मंहगाई राहत परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मंजूर की जाएगी।

(2) मंहगाई राहत, संराशीकरण के पश्चात भी, पूर्ण मूल पेंशन पर अनुज्ञात की जाएगी।

36. औसत उपलब्धियों के लिए दस मास की अवधि का अवधारणा:-

(1) औसत उपलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से की जाएगी।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समय पूर्व के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ है या बैंक द्वारा समय पूर्व लोकहित में अथवा लिखित में रिकॉर्ड किए जाने योग्य कारणों से उसे सेवानिवृत्त किया गया है।

(3) पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना बैंक से कर्मचारी की पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति की तारीख की जाएगी।

(4) यदि सेवा के अंतिम दस माह के दौरान कर्मचारी बिना वेतन असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है या निलंबित रहा है और उस अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं की गई है तो औसत परिलब्धियों की गणना करते समय असाधारण छुट्टी या निलंबन की उक्त अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा और उस मास से पहले की उतनी की अवधि उसमें सम्मिलित कर ली जाएगी।

अध्याय VII

कुटुम्ब पेंशन

37. कुटुम्ब पेंशन:-

(1) विनियम **13** में अंतर्विष्ट उपबंधों के होने पर, जहां यदि कर्मचारी की मृत्यु -

(क) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने के पश्चात होती है, या

(ख) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले होती है, परंतु संबंधित कर्मचारी की सेवा में या पद पर नियुक्ति होने से ठीक पहले बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई थी और उस बैंक में नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था, या

(ग) वह सेवानिवृत्ति के पश्चात और मृत्यु की तारीख को पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा था,

तो मृत कर्मचारी का कुटुम्ब, कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा, उक्त रकम का निर्धारण प्ररूप III के अनुसार किया जाएगा।

परन्तु उस कर्मचारी के संदर्भ में, जो बैंक की सेवा में **1** सितम्बर, **1987** को अथवा उसके बाद आया हो और उसकी मृत्यु सेवाकाल में **31** अक्टूबर, **1987** को अथवा उससे पहले हुई हो अथवा वह **31** अक्टूबर, **1987** को अथवा उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ हो परन्तु मृत्यु बाद में हुई हो, तो मृत कर्मचारी का कुटुम्ब जो इन विनियमों के अधीन निधि का सदस्य बनने का विकल्प देगा और विनियम **3** के अनुसरण में राशि की वापसी इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगी, अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होगा, जिसकी राशि प्ररूप **V** के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(2) पेंशन की रकम मासिक दरों पर नियत की जाएगी और पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में रुपए का कोई भाग है, तो इसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा,

परंतु किसी भी दशा में पेंशन इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(3) (क) जहां किसी कर्मचारी जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,**1923 (1923** का **8)** से शासित नहीं होता है,

(i) कम से कम सात वर्ष की निरंतर सेवा करने के पश्चात सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम **(1)** के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के दुगुने के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी और इस प्रकार अनुज्ञेय रकम कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद से सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को मृत कर्मचारी यदि वह जीवित रहा होता तो पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी।

(ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, इस उप-विनियम के उप-खंड **(i)** के अधीन यथा अवधारित कुटुम्ब पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख के सात वर्ष के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी, यदि वह जीवित रहा होता तो पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी।

परन्तु किसी भी मामले में उप-खंड-**(i)** और **(ii)** के अधीन निर्धारित कुटुम्ब पेंशन की राशि बैंक से उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हुई पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(ख) जहां किसी कर्मचारी, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, **1923(1923** का **8)** से अभिशासित होता है, सात वर्ष से अन्यून की निरंतर सेवा करने के पश्चात सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम **(1)** के अधीन अनुज्ञात कुटुम्ब पेंशन के डेढ़ गुने, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी और यथा अनुज्ञेय पेंशन सात वर्षों अथवा मृत कर्मचारी के जीवित होने की दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी कम हो, संदेय की जाएगी।

(ग) खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पश्चात वह कुटुम्ब जिसे इन खण्डों के अधीन कुटुम्ब पेंशन मिल रही है, उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय दर पर कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा।

38. कुटुम्ब पेंशन का संदाय :-

(1) जिस अवधि के लिए कुटुम्ब पेंशन संदेय होगा, वह अवधि होगी,

(क) संतानहीन विधवा के मामले में जीवन पर्यन्त अथवा सभी स्रोतों से उसकी स्वतंत्र आय **2550** रुपये अथवा इससे अधिक होने तक;

(ख) बच्चों सहित किसी विधवा या विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक या जो भी पहले हो,

(ग) पुत्र अथवा पुत्री (विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री सहित) के मामले में, जब तक वह पुत्र अथवा पुत्री **25** वर्ष का न हो जाए अथवा जब तक उसका विवाह नहीं जाता अथवा पुत्री का पुनर्विवाह नहीं हो जाता, जो भी पहले हो:

परंतु उस पुत्र अथवा पुत्री को (विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री सहित) दिया जाने वाला कुटुम्ब पेंशन बंद कर दिया जायेगा अथवा स्वीकार्य नहीं होगा जब पात्र पुत्र अथवा पुत्री किसी भी स्रोत से प्रतिमाह **2550** रुपये से अधिक अर्जित करने लगेगा:

परंतु अविवाहित, विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो **25** वर्ष की उम्र के बाद भी विवाहित अथवा पुनर्विवाहित नहीं है, कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होगी यदि कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य नहीं है अथवा उसकी किसी भी स्रोत से आय **2550** रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो:

(घ) यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री जो किसी मानसिक विकृति या अशक्तता से पीडित है या शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग है, तो वह **25** वर्ष की आयु होने के बाद भी जीविकोपार्जन में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुम्ब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन आजीवन संदेय होगी शर्तों के अधीन कोई अन्य पात्र पारिवारिक सदस्य नहीं है :

परंतु यह कि –

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या अधिक जीवित संतान में से एक है तो आरंभ में कुटुम्ब पेंशन का संदाय उप विनियम (**3**) में निर्धारित क्रम में अवयस्क संतानों को किया जाएगा जब तक कि अंतिम अवयस्क संतान **25** वर्ष की आयु का नहीं हो जाता और तत्श्चात कुटुम्ब पेंशन, मानसिक रूप से विकृत या अशक्तता से ग्रस्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुन: प्रारंभ की जाएगी और उसे आजीवन संदेय होगी,

(ii) यदि मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त एक से अधिक संतानें हैं तो उनकी जन्म की तारीख के क्रम में पेंशन का संदाय किया जाएगा और उनमें से कनिष्ठ संतान को कुटंम्ब पेंशन तभी मिलेगी जब उससे ठीक ज्येष्ठ संतान की पात्रता समाप्त हो जाती है और यदि जहां कुटंम्ब पेंशन ऐसी जुड़वाँ संतान को संदेय है, वहां इसका संदाय उप विनियम (**4**) में दी गई रीति से किया जाएगा।

(iii) उस दशा के सिवाय जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग पुत्र या पुत्री वयस्क है, ऐसे पुत्र या पुत्री को संरक्षक के माध्यम से कुटुम्ब पेंशन का संदाय किया जाएगा मानो वह अवयस्क हो।

(iv) ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने से पहले सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान कर लेगा कि विकलांगता की प्रकृति ऐसी है कि वह जीविका उपार्जित करने में असमर्थ है और इसके लिए बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र साक्ष्य होगा, जिसमें संतान की सही शारीरिक या मानसिक स्थिति, यथासंभव, बताई गई होगी।

(v) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या बिना संरक्षक के माध्यम के कुटुम्ब पेंशन लेने वाला पुत्र या पुत्री प्रत्येक तीसरे वर्ष बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अब भी मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त है या अब भी शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त है।

(vi) ऐसा पुत्र या पुत्री अपनी **2550** रुपए की जीविका उपार्जित करने लग जाता जाती है तो ऐसे मामलों में संरक्षक या पुत्र या पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मास बैंक को यह प्रमाण-पत्र दे कि उसने जीविकोपार्जन करना आरंभ नहीं किया है अथवा पुत्री की दशा में उसका अभी विवाह नहीं हुआ है।

(ङ.) माता पिता के मामले में कुटुम्ब पेंशन बंद कर दी जायेगी अथवा अस्वीकार्य होगी यदि दोनों में से किसी एक की आय अथवा दोनों की आय किसी भी स्रोत से **2550** रुपये प्रतिमाह से अधिक होती है:

परन्तु कुटुम्ब पेंशन पहले माता को दी जायेगी और उसकी मृत्यु के बाद पिता को दी जाएगी।

(2) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी अपनी विधवा या विधुर को छोड़ जाता है तो कुटुम्ब पेंशन विधवा या विधुर को संदेय होगी और उनके न होने पर पात्र संतान को देय होगी या ऐसा न होने पर पात्र माता-पिता को देय होगी।

(3) संतान को कुटुम्ब पेंशन उनके जन्म की तारीख के क्रम में संदेय होगी और कनिष्ठतर संतान तब तक कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे ज्येष्ठतर संतान कुटुम्ब पेंशन पाने के लिए अपात्र नहीं हो जाती है।

(4) जहां कुटुम्ब पेंशन का संदाय जुड़वां संतान को किया जाना है वहां ऐसी संतानों को उसका संदाय समान भागों में किया जाएगा।

परंतु यह कि जहां ऐसा कोई बच्चा पात्र नहीं होता है उसका हिस्सा दूसरे बच्चे को चला जाएगा और जहां दोनों ही बच्चे पात्र नहीं हैं, जैसा भी मामला हो कुटुम्ब पेंशन अगले पात्र एकल अथवा जुड़वां बच्चों को चला जाएगा।

(5) जहां कुटुम्ब पेंशन इस विनियम के अधीन अवयस्क को मंजूर की जाती है वहां अवयस्क के विभिन्न संरक्षक को संदेय होगी।

(6) उस दशा में जब पति और पत्नी दोनों बैंक के कर्मचारी हैं और इस विनियम के उपबंधों द्वारा शासित हैं और उनमें से एक की मृत्यु सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के पश्चात हो जाती है तो मृत कर्मचारी की बावत कुटुम्ब पेंशन, यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय होगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर मृत माता पिता के संबंध में उत्तरजीवी संतान या संतानों को दो कुटुम्ब पेंशनों की मंजूरी नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए की जाएगी, अर्थात्:

(क) यदि उत्तरजीवी संतान या संताने विनियम **37** के उप विनियम **(3)** के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उप खण्ड **(I)** में उल्लिखित दरों पर दो कुटुम्ब पेंशनों को पाने के पात्र हैं, दोनों पेंशन की राशि निम्न प्रकार सीमित की जायेगी –

(i) उस कर्मचारी के संदर्भ में **2500** रुपये प्रतिमाह, जो **1** नवम्बर, **1992** से पहले या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ii) उस कर्मचारी के संदर्भ में **4800** रुपये प्रतिमाह, जो **1** नवम्बर, **1992** के बाद (अधिकारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में) अथवा **1** जुलाई, **1993** को या इसके बाद (अधिकारी के मामले में) या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iii) उस कर्मचारी के संदर्भ में **6756** रुपये प्रतिमाह, जो **1** अप्रैल, **1998** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iv) उस कर्मचारी के संदर्भ में **9565** रुपये प्रतिमाह, जो **1** मई, **2005** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(v) उस कर्मचारी के संदर्भ में **11856** रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, **2007** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ख) यदि इनमें से कोई कुटुम्ब पेंशन विनियम **37** के उप-विनियम **(3)** के खण्ड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित दरों पर देय न हो, तो इसके बदले विनियम **(37)** के उप-विनियम **(1)** में उल्लिखित दर पर कुटुम्ब पेंशन देय होगी, दोनों पेंशन की राशि निम्न प्रकार सीमित की जायेगी-

(i) उस कर्मचारी के संदर्भ में **2500** रुपये प्रतिमाह, जो **1** नवम्बर, **1992** (अधिकारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में) से पहले अथवा **1** जुलाई, **1993** (अधिकारी के मामले में) से पहले या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ii) उस कर्मचारी के संदर्भ में **4800** रुपये प्रतिमाह, जो **1** नवम्बर, **1992** के बाद (अधिकारी से इत्तर कर्मचारी के मामले में) अथवा **1** जुलाई, **1993** को या इसके बाद (अधिकारी के मामले में) या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iii) उस कर्मचारी के संदर्भ में **6756** रुपये प्रतिमाह, जो **1** अप्रैल, **1998** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iv) उस कर्मचारी के संदर्भ में **9565** रुपये प्रतिमाह, जो **1** मई, **2005** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(v) उस कर्मचारी के संदर्भ में **11856** रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, **2007** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ग) यदि दोनों कुटुम्ब पेंशन विनियम **37** के उप-विनियम(**1**) में उल्लिखित दरों पर देय है तो दोनों पेंशन की राशि निम्न प्रकार सीमित की जायेगी-

(i) उस कर्मचारी के संदर्भ में **1250** रुपये प्रतिमाह, जो **1** नवम्बर, **1992** (अधिकारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में) अथवा **1** जुलाई, **1993** (अधिकारी के मामले में) से पहले या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ii) उस कर्मचारी के संदर्भ में **2400** रुपये प्रतिमाह, जो **1** नवम्बर, **1992** के बाद (अधिकारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में) अथवा **1** जुलाई, **1993** को या इसके बाद (अधिकारी के मामले में) या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iii) उस कर्मचारी के संदर्भ में **3378** रुपये प्रतिमाह, जो **1** अप्रैल, **1998** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iv) उस कर्मचारी के संदर्भ में **4783** रुपये प्रतिमाह, जो **1** मई, **2005** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(v) उस कर्मचारी के संदर्भ में **5928** रुपये प्रतिमाह, जो **1** नवम्बर, **2007** को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(घ) (**i**) जहां कुटुम्ब पेंशन एक से अधिक विधवाओं को संदेय है वहां कुटुम्ब पेंशन का सभी विधवाओं को समान भागों में संदाय किया जाएगा।

(ii) किसी विधवा की मृत्यु होने पर उसके अंश की कुटुम्ब पेंशन उसकी पात्र संतान को संदय होगी।

परंतु यदि विधवा के कोई उत्तरजीवी संतान नहीं है तो उसके अंश की कुटुंब पेंशन व्यपगत नहीं होगी किंतु वह अन्य विधवाओं को समान भागों में संदेय होगी और यदि इस प्रकार की केवल एक ही विधवा जीवित रहती है तो पेंशन की संपूर्ण रकम उसे संदेय होगी।

(iii) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभागी की उत्तरजीवी एक विधवा है किंतु उसकी दूसरी पत्नी से, जो जीवित नहीं है, पात्र संतान कुटुंब पेंशन के उस अंश के लिए पात्र होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय उस संतान या संतानों की माता को यदि वह जीवित होती तो मिलता ।

परंतु यह कि जब इस प्रकार की संतान या संतानों या विधवा या विधवाओं को कुटुंब पेंशन का अंश संदेय नहीं होता है, तब वह रकम व्यपगत नहीं होगी बल्कि वह दूसरी विधवा या विधवाओं को जो इसके लिए अन्यथा पात्र होंगी, समान भागों में संदेय होगी यदि केवल एक ही विधवा या संतान हो तो उसे पूरी रकम संदेय होगी ।

(iv) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी की उत्तरजीवी एक विधवा है किन्तु उसकी तलाकशुदा पत्नी अथवा पत्नियों से एक या अधिक संतान जीवित है तो संतान कुटुंब पेंशन के उस अंश के लिए पात्र होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् उस संतान की माता को तब तक मिलता हे जब तक उनका तलाक न हुआ हो;

परंतु यह कि जब इस प्रकार की संतान या संतानों या विधवा या विधवाओं को कुटुंब पेंशन का अंश संदेय नहीं होता है तब वह रकम व्यपगत नहीं होगी बल्कि वह दूसरी विधवा या विधवाओं को जो इसके लिए अन्यथा पात्र होंगी,

(7) जहां कर्मचारी की मृत्यु के बाद वह न्यायिक पृथककरण अलग हुए पति अथवा पत्नी छोड़कर जाता है, जिसकी कोई संतान या संतानें नहीं हैं, तो मृत कर्मचारी के संबंध में कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को दिया जायेगा यदि ऐसे पति या पत्नी का विवाह न हुआ हो:

परंतु यह कि जहां न्यायिक रूप से पृथककरण जारकर्म के आधार पर प्रदान किया गया हो और कर्मचारी की मृत्यु ऐसे न्यायिक पृथककरण के दौरान हुई हो तो उत्तरजीवि व्यक्ति को कुटुम्ब पेंशन देय नहीं होगी, यदि वह जारकर्म का दोषी पाया गया हो।

(8) (क) जहां किसी महिला या पुरुष कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने न्यायिक पृथककरण द्वारा पति या विधवा छोड़ जाता या जाती है, जिसकी एक या अधिक संतान हैं वहाँ मृत कर्मचारी की बाबत संदेय कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी को संदेय होगी परंतु जब वह ऐसी संतान का संरक्षक हो।

(ख) जहां उत्तरजीवी व्यक्ति ऐसी संतान का संरक्षक नहीं रह गया है वहां कुटुंब पेंशन इस प्रकार की संतान के वास्तविक संरक्षक को संदेय होगी।

(9) यदि कुटुंब पेंशन के लिए पात्र पुत्र या अविवाहित पुत्री अठारह वर्ष की हो जाती है तो कुटुंब पेंशन का संदाय सीधे ऐसे पुत्र या अविवाहित पुत्री को किया जाएगा।

(10) (क) यदि कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति पर उस कर्मचारी की हत्या करने का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया जाता है तो कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य या सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति के कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के दावे को उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियाँ समाप्त होने तक निलंबित रखा जाएगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दांडिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर संबद्ध व्यक्ति –

(i) कर्मचारी की हत्या करने या हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे कुटुंब पेंशन से विवर्जित कर दिया जाएगा और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों को संदेय होगी।

(ii) कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बैंक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन संदेय होगी।

(ग) उप-खण्ड (क) और (ख) के उपबंध किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु पर संदेय होने वाली कुटुंब पेंशन पर भी लागू होंगे।

अध्याय VIII

संराशीकरण

39. संराशीकरणः-

(1) कोई कर्मचारी एकमुश्त संदाय के लिए अपनी पेंशन के एक तिहाई भिन्न से अनधिक भाग के संराशीकरण का हकदार होगा।

परन्तु यह है कि कर्मचारी के मामले में जो प्रभावी तिथि के पहले सेवा में था परंतु अधिसूचित तिथि के पहले उसके सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गयी हो, ऐसे कर्मचारी का कुटुम्ब भी, कर्मचारी को अनुज्ञात पेंशन के लिए एक तिहाई भाग से अनधिक भिन्न के संराशीकण का हकदार होगा।

(2) कर्मचारी यह उपदर्शित करेगा कि वह पेंशन के किस भिन्नांश को संराशीकरण के लिए निर्देशित करेगा, संराशीकरण के लिए या तो वह पेंशन की एक तिहाई भाग अर्थात् अधिकतम सीमा को उपदर्शित कर सकता है अथवा इससे कम सीमा तक अपनी इच्छानुसार संराशीकरण करा सकता है।

(3) यदि संराशीकरण के लिए पेंशन का भिन्न एक रुपये का अंश हो तो संराशीकरण के प्रयोजन के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा।

(4) किसी आवेदक को संदेय एकमुश्त रकम की संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी।

सारणी

एक रुपया प्रति वर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण मूल्य

अगली जन्म तिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	अगली जन्म तिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
17	19.28	35	16.92
18	19.20	36	16.72
19	19.11	37	16.52
20	19.01	38	16.31
21	18.91	39	16.09
22	18.81	40	15.87
23	18.70	41	15.64
24	18.59	42	15.40
25	18.47	43	15.15
26	18.34	44	14.90
27	18.21	45	14.64
28	18.07	46	14.37
29	17.93	47	14.10
30	17.78	48	13.82
31	17.62	49	13.54
32	17.46	50	13.25
33	17.29	51	12.95
34	17.11	52	12.66
53	12.35	69	7.22
54	12.05	70	6.91
55	11.73	71	6.60
56	11.42	72	6.30
57	11.10	73	6.01
58	10.78	74	5.72
59	10.46	75	5.44
60	10.13	76	5.17
61	9.81	77	4.90
62	9.48	78	4.65
63	9.15	79	4.40
64	8.82	80	4.17
65	8.50	81	3.94
66	8.17	82	3.72
67	7.85	83	3.52
68	7.53	84	3.32
		85	3.13

टिप्पण:

1. उपर्युक्त सारणी पेंशनभोगी की अगली जन्म तिथि पर उसकी आयु के संदर्भ में वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त पेंशन संराशीकरण मूल्य दर्शाती है।

2. अट्ठावन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य **10.46** वर्ष का क्रय है, और यदि वह अपनी सेवा निवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी मासिक पेंशन से रुपये एक सौ संराशित करता है, तो उसे संदेय राशि रु. **100 x 10.46 x 12 = 12.552** होगी।

(5) कोई कर्मचारी जिसने अपनी पेंशन के अनुज्ञात भाग का संराशीकरण किया है, संराशीकरण की तारीख से **15** वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संराशीकृत भाग की पेंशन को पुनः प्राप्त करने का हकदार होगा।

(6) कोई आवेदक जो अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है, इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के भिन्न का संराशीकरण कराने का हकदार होगा।

परन्तु यह कि **1** जुलाई, **2003** अथवा किसी आवेदक जिसमें मामले में सेवानिवृत्त की तारीख के पश्चात और उस तारीख से, जिस तारीख को पेंशन का संराशीकरण देय हो जाता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की राशि में कटौती इसके आरंभ से लागू हो जाएगा और जहां सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात प्रथम माह के भीतर और उस तारीख के पश्चात प्रथम माह के भीतर जबकि संराशीकरण देय हो जाता है सामान्य मासिक पेंशन और संराशीकरण पेंशन के बीच का अंतर उस तारीख और संराशीकरण की देय तारीख के बीच की अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा और संराशीकृत पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख के बीच की अवधि के लिए जाएगा या तब किया जाएगा, जब पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, संराशीकरण देय हो जाता है और उस तारीख की पिछली तारीख को पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान किया गया है।

(7) ऐसे पेंशनभोगी की दशा में जो अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र है, कोई चिकित्सीय जांच आवश्यक नहीं होगी, यदि आवेदक संराशीकरण के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर देता है, तो यदि ऐसा पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के पश्चात पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, तो उसकी अनुमति चिकित्सीय परीक्षा के अधीन होगी।

परन्तु यह है कि आवेदक के मामले में जो विनियम **44** के तहत अनंतिम पेंशन प्राप्त करता है और जिसके लिए पेंशन विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के निश्चयात्मकता पर पूर्ण अथवा एक मार्ग में प्राधिकृत किया गया है, यह उप-विनियमन में उद्धृत एक वर्ष अवधि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के अंतिम होने के क्रम में आदेशों के जारी होने की तिथि से माना जाएगा।

(8) कोई आवेदक जो –

(i) विनियम **28** के अधीन अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, या

(ii) विनियम **29** के अधीन अनुकंपा भत्ता प्राप्त करता है, या

(iii) बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और विनियम **31** के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का पात्र है।

उप विनियम (**1**) में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए पेंशन किसी भिन्न संराशीकरण के लिए पात्र तभी होगा जब बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे स्वस्थ घोषित कर दिया जाए।

(9) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में –

(i) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, पेंशन का संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के ठीक बाद की तारीख को पूर्ण होगा:

परंतु यह कि विनियम **27** उप विनियम (**3**) द्वारा शासित कर्मचारी अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए **3** मास की सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन नहीं करेगा और पेंशन का संराशीकरण विनियम **27** उप विनियम (**1**) में दी गई सूचना की अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही पूर्ण होगा।

(ii) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर या सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात किंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर यदि वह पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा संराशीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख को करता है;

(iii) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद संराशीकरण के लिए आवेदन करता तो पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय प्रमाण-पत्र की तारीख को पूर्ण होगा।

(iv) जो **1** सितम्बर, **1987** और **31** मार्च, **2010** तक सेवा में था और **31** मार्च, **2018** तक या पहले सेवानिवृत्त हुआ है और जो इन विनियमों के तहत निधि के सदस्य बनने का विकल्प लिया है, तो विनियम (**3**) के उप-विनियम (**1**) में विशिष्ट अवधि के भीतर **1** अप्रैल, **2018** तक जहां जानकारी हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्ररूप **V**I में और अन्य मामले में प्ररूप **V**II और प्ररूप **V**III में किया गया है।

(v) जो पहली अप्रैल, **2018** को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में था परंतु जो इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है, यदि विनियम **3** के उप विनियम (**1**) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप **V**I में आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन पूर्ण होगा।

(vi) जो पहली अप्रैल, **2018** को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होता है परंतु अधिसूचित तारीख से पूर्व जिसकी मृत्यु हो जाती है, यदि प्ररूप **V**I में मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा उनकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर विनियम **3** के उप विनियम (**1**) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन पूर्ण होगा।

(vii) जिसकी बाबत विनियम **28** के अधीन अशक्त पेंशन या विनियम **29** के अधीन अनुकंपा भत्ता या विनियम **31** के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अनुज्ञेय है, पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की तारीख को पूर्ण होगा।

अध्याय IX

सामान्य शर्तें

40. पेंशन भविष्य में अच्छे आचरण के अध्यधीन:-

इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक पेंशन की मंजूरी तथा इन्हें जारी रखे जाने हेतु भविष्य में अच्छा आचरण एक अंतर्निहित शर्त होगी।

41. पेंशन रोकना या प्रत्याहूत करना:-

यदि कोई पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण कार्य करने के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो सक्षम प्राधिकारी, पेंशन या उसके किसी भाग को, लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहूत कर सकेगा।

परन्तु यह कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या प्रत्याहूत कर लिया जाता है, वहां ऐसी पेंशन की रकम इतनी कम नहीं की जाएगी कि वह इन विनियमों के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम हो जाए।

42. न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध:-

जहां कोई पेंशनभोगी किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, वहां कार्रवाई न्यायालय की ऐसी दोषसिद्ध से संबंधित निर्णय को ध्यान में रखकर की जाएगी।

43. गंभीर अवचार के लिए दोषी पेंशनभोगी:-

किसी ऐसे मामले में जो विनियम **42** के अधीन नहीं आता है, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि पेंशनभोगी गंभीर अवचार का प्रथम दृष्टया दोषी है तो कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व, यथास्थिति, वह सेवा विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

44. अनंतिम पेंशन:-

(1) यदि कोई ऐसा कर्मचारी या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या जहां विभागीय कार्यवाहियां चल रही हैं, वहां उसको दी जा सकने वाली अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन की अनुमति उसे, कार्यवाहियों के समाप्त होने पर अनुज्ञात किए जाने वाले सेवानिवृत्त फायदों के समायोजन के अधीन दी जाएगी किन्तु यदि अंतिम रूप से मंजूर पेंशन, अनंतिम पेंशन से कम है या पेंशन को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दिया गया है या रोक लिया गया है तो कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(2) उप विनियम (**1**) में निर्दिष्ट मामले में उपदान का संदाय कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने पर कर्मचारी को किया जाएगा और किसी भी कर्मचारी से वसूल की जाने वाली धनराशि का समायोजन उसे संदेय उपदान की रकम से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय में

(क) 'गंभीर अपराध' में ऐसा अपराध आता है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, **1923 (1923** का **19)** के अधीन कोई अपराध सम्मिलत है।

(ख) 'गंभीर अवचार' में कोई गुप्त शासकीय संकेत को या संकेत शब्द या किसी रेखा चित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को, जैसे की शासकीय गुप्त बात अधिनियम, **1923 (1923** का **19)** की धारा **5** में वर्णित है, जो की बैंक के अधीन किसी पद को धारण करते समय प्राप्त हुई थी, संसूचित या प्रकट करना है जिससे कि जनसाधारण के हितों पर या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े सम्मिलित है।

(ग) 'कपटपूर्ण' का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, **1860 (1860** का **45)** की धारा **25** के अधीन है।

(घ) 'आपराधिक न्यास भंग' का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, **1860 (1860** का **45)** की धारा **405** के अधीन दिया गया है।

(ड.) 'कूट रचना' का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, **1860 (1860** का **45)** की धारा **463** के अधीन है।

45. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पेंशन का संराशीकरण:-

कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व संस्थित की गई हैं या जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं ऐसी कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान, यथास्थिति, अपनी पेंशन या अनंतिम पेंशन के किसी भाग का इन विनियमों के अधीन प्राधिकृत संराशीकरण का पात्र नहीं होगा।

46. बैंक को पहुंचाई गई धन संबंधी हानि की वसूली:-

(1) यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में किसी पेंशनभोगी को अपनी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो पेंशनभोगी के कारण बैंक को हुई धन संबंधी हानि के लिए सक्षम प्राधिकारी स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी पेंशन या उसके किसी भाग को रोक सकता है, प्रत्याहूत कर सकता है और पूरी रकम या उसके किसी भाग को पेंशन से वसूल करने का आदेश दे सकता है।

परन्तु यह कि इस उप-विनियम के अंतर्गत किसी अंतिम आदेश को पारित करने से पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि जहां पेंशन का एक भाग रोका गया है अथवा आहरित किया गया है, पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन की राशि इन विनियमों के अंतर्गत न्यूनतम देय पेंशन से कम नहीं होगी।

परन्तु यह और कि विभागीय कार्यवाहियां यदि कर्मचारी के सेवाकाल में संस्थित की गई थी तो कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर वे इस विनियम के अधीन कार्यवाहियां समझी जाएंगी और इन कार्यवाहियों को प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी द्वारा उन्हें इस प्रकार चालू रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा मानो कर्मचारी सेवा में बना हुआ है।

(2) वैसी घटना के संबंध में कोई विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी जहां ऐसी घटना के बाद चार वर्ष का समय बीत गया हो।

परन्तु यह कि इस उप-विनियम के अंतर्गत प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही उनकी सेवा अवधि के दौरान कर्मचारी के संबंध में विभागीय कार्यवाही हेतु लागू प्रक्रिया के अनुरूप होगा।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी धन संबंधी हानि की वसूली पेंशन में से करने का आदेश देता है वहां ऐसी वसूली सामान्यतया सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय पेंशन के एक तिहाई भाग से अधिक दर पर नहीं की जाएगी।

47. बैंक को शोध्य राशियों की वसूली:-

बैंक पेंशन के संराशीकरण मूल्य या मासिक पेंशन या कुटुम्ब पेंशन से बैंक को देय आवास ऋण, अग्रिम, अनुज्ञप्ति फीस, अन्य वसूलियों और कर्मचारी राहकारी प्रत्यय सोसाइटी का देय शोध्य राशियों की वसूली करने का हकदार होगा।

48. सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक नियोजन:

(1) यदि कोई पेंशनभागी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अधिकारी का पद धारण कर रहा था अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए बैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा और उप-विनियम (2) के उपबंध के अध्यधीन बैंक लिखित आदेश के द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें आवश्यक माना जाए, अनुमति प्रदान करेगा या लिखित रूप में अभिलेखबद्ध कारणों से अनुमति देने से मना कर सकता है।

(2) किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए विनियम (1) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने में, बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात:

(क) ग्रहण किए जाने के लिए प्रस्तावित नियोजन की प्रकृति और कर्मचारी का पूर्ववृत्त;

(ख) क्या उस नियोजन में जो वह ग्रहण करने का प्रस्ताव करता है, उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसका बैंक के साथ विरोध हो,

(ग) क्या पेंशनभोगी की जब वह सेवा में था तब उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन वह नियोजन चाहता है ऐसा व्यवहार था कि जिससे यह संदेह करने के लिए यह युक्तियुक्त आधार बनता है कि ऐसे पेंशनभोगी ने ऐसे नियोजक के प्रति पक्षपात किया था,

(घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्यों में बैंक के साथ सम्पर्क या संबंध अंतर्वलित है,

(ड.) क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे कि बैंक के अधीन उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोजन को अनुचित फायदा देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है,

(च) प्रस्तावित नियोजक द्वारा प्रस्थापित परिलब्धियां, और

(छ) कोई अन्य सुसंगत बात

(3) जहां उप-विनियम (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से **60** दिन की कालावधि के भीतर बैंक आवेदित अनुज्ञा देने से इनकार नहीं करता है या आवेदक को इनकार किए जाने की संसूचना नहीं देता है वहां यह समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदक को अनुज्ञा दे दी है।

परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी जाती है और बैंक के लिए उससे और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगना आवश्यक हो जाता है, वहां **60** दिन की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को आवेदक द्वारा त्रुटियां दूर की गई हैं या पूर्ण जानकारी दी गई है।

(4) जहां बैंक आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए देता है या ऐसी अनुज्ञा देने से इनकार करता है वहां आवेदक उस आशय के बैंक के आदेश की प्राप्ति के **30** दिन के भीतर किसी ऐसी शर्त या इनकार किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा और बैंक उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

परन्तु इस उप-विनियम के अधीन ऐसी किसी शर्त को रद्द करने वाले या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुज्ञा वाले किसी आदेश के भिन्न कोई आदेश, अभ्यावेदन करने वाले पेंशनभोगी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(5) यदि कोई पेंशनभोगी बैंक की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी सेवानिवृत्ति तारीख से दो वर्ष समाप्ति के पूर्व किसी समय कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या किसी ऐसी शर्त को भंग करता है जिसके अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुज्ञा उसे इस विनियम के अधीन दी गई है तो बैंक लिखित आदेश द्वारा और उसमें लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगा कि वह सम्पूर्ण पेंशन या उसके ऐसे भाग का ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए हकदार नहीं होगा।

परन्तु ऐसा कोई आदेश संबंधित पेंशनभोगी को ऐसी घोषणा के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन कोई आदेश करने में बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा:

(i) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियां;

(ii) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे प्राप्त होने वाली परिलब्धियां

(iii) कोई अन्य संगत बात।

6. बैंक द्वारा इस नियम के अधीन पारित किया गया प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को संसूचित किया जाएगा।

7. इस विनियम में वाणिज्यिक नियोजन से -

(i) व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक कारोबार लगी हुई किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) सहकारी सोसाइटी फर्म या व्यष्टि के अधीन अभिकर्ता सहित किसी भी हैसियत में कोई नियोजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी का निदेशकत्व (बैंकिंग कंपनी सहित) और ऐसी फर्म की भागीदारी भी है किन्तु ऐसी निगमित निकाय के अधीन नियोजन इसके अंतर्गत नहीं है जिस पर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का पूर्णत: या अधिकांशत: स्वामित्व या नियंत्रण है।

(ii) स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में ऐसे मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में व्यवसाय स्थापित करना अभिप्रेत है जिनकी बाबत पेंशनभोगी –

(क) के पास कोई वृत्तिक अर्हताएं नहीं हों और जिन विषयों की बाबत व्यवसाय करना है या चलाना है उनका संबंध उसके पदीय ज्ञान या अनुभव से माना जा सकता है, या

(ख) के पास वृत्तिक अर्हताएं हैं किन्तु जिन विषयों की बाबत ऐसा व्यवसाय करना है वे ऐसे हैं कि उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति के कारण उसके ग्राहकों को अनुचित फायदा होना अधिसंभाव्य हो, या

(ग) को ऐसा काम करना होगा जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ सम्पर्क या संबंध स्थापित करना पड़ सकता हो।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए 'सहकारी सोसाइटी के अधीन नियोजन' के अधीन किसी पद का चाहे व निर्वाचित हो अन्यथा धारण करना आता है, जैसे अध्यक्ष सभापति, प्रबंधक, सचिव, कोषपाल आदि चाहे उस सोसाइटी में वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।

49. नामनिर्देशन:

(1) न्यास इन विनियमों द्वारा शासित प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा नामनिर्देशन करने के लिए अनुज्ञात करेगा जिसमें पेंशनिक फायदों की रकम संदेय होने या संदेय हो जाने के पश्चात संदत्त न किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में इन विनियमों की अधीन पेंशन संबंधी फायदों की रकम प्राप्त न करने का अधिकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया गया हो और ऐसे नामनिर्देशन ऐसे प्रपत्र में किए जा सकेंगे जो समय-समय पर बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएं।

(2) यदि कोई कर्मचारी उप-विनियम **(1)** के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता है तो वह नाम निर्देशन में नामनिर्देशिती में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उसकी मृत्यु के पश्चात संदेय सम्पूर्ण पेंशनिक फायदे की रकम आ जाए।

(3) किसी कर्मचारी द्वारा किए गए नाम निर्देशन का, न्यास को बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सूचना देकर किसी भी समय उपांतरण किया जा सकता है या प्रति संहरण किया जा सकता है।

(4) कोई नामनिर्देशन अथवा उसके प्रति संहरण या उपांतरण न्यास को प्राप्त होने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस दिन उसे न्यास द्वारा संशोधित किया जाए।

50. पेंशन संदेय होने की तारीख:

(1) ऐसे कर्मचारी के मामले को छोड़कर, जिनमें विनियम **41** तथा विनियम **44** के उपबंध लागू होते हैं। कुटुम्ब पेंशन को छोड़कर अन्य पेंशन प्रभावी तिथि से अथवा जो भी मामला हो, सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से, जो भी बाद में हो, देय होगा, यदि

कर्मचारी ने निधि का सदस्य बनने का विकल्प चुना हो तथा इन विनियमों के अंतर्गत नियत अवधि के भीतर बैंक की समस्त अंशदान राशि को वापिस कर दिया हो।

(2) ऐसे कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, जिनमें विनियम **41** तथा विनियम **44** के उपबंध लागू होते हैं, कुटुम्ब पेंशन प्रभावी तिथि से अथवा कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से, जो भी बाद में हो, लागू होगा यदि मृत कर्मचारी के परिवार ने निधि के सदस्य बनने का विकल्प चुना है तथा इन विनियमों के अंतर्गत नियत अवधि में बैंक के अंशदान की समस्त राशि लौटा दी हो।

51. मुद्रा जिसमें पेंशन देय होगी:

इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय सभी पेंशन केवल रुपए में और भारत में संदेय होगी।

52. पेंशन संदाय की रीति:

मासिक दर पर नियत की गई पेंशन प्रतिमास आगामी मास के पहले दिन को या उसके पश्चात संदेय होगी।

53. अनुदेश जारी करने की शक्ति:

बैंक का अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे अथवा इन विनियमों के कार्यान्वयन में तेजी ला सकता है।

54. अवशिष्ट प्रावधान

इन विनियमों को लागू करने के मामले में संशय की स्थिति में ऐसे अपवादों एवं उपांतरणों के साथ जिन्हें बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया प्रायोजक बैंक के रूप में तथा राष्ट्रीय बैंक केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर निर्धारित करेगा, केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, **1972** अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, **1981** के संबंधित प्रावधान का अनुसरण किया जाए।

फार्म – I

[विनियम 33(1) देखें]

मूल वेतन और अतिरिक्त पेंशन का अद्यतन

1. **1** सितम्बर, **1987** और **31** अक्टूबर, **1987** के कालावधि के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन के अद्यतन करने का सूत्र निम्नलिखित रूप में होगा:

(क)	(क)	पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के प्रथम रु. 1000 का 50 प्रतिशत	रु.----------
	(ख)	अगले रु. 500 का 45 प्रतिशत	रु.----------
	(ग)	पेंशन के लिए गणना योग्य रु. 1500 से अधिक औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत	रु.----------
		कुल (क+ख+ग)	रु.----------
(ख)		सेवानिवृत्ति के पहले सेवा के अंतिम मासों की औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत	रु.----------
(ग)		उपर्युक्त (क) पर संगणित मूल पेंशन पर नीचे दी गई सारणी के अनुसार 1960 = 100 श्रृंखला में	रु.----------

औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 600 सूचकांक पर महंगाई राहत

(घ) कुल मूल पेंशन =

(ख) + (ग) X अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या **(अधिकतम 33 वर्ष)** रु.----------

33

(ङ.) तारीख 1.4.2018 को मूल पेंशन **(अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित)** रु.----------

2. अतिरिक्त पेंशन के लिए भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना योग्य विशेष भत्तों की रकम सेवानिवृत्ति के समय आहरित विशेष भत्तों के तदनुरूपी राशि होगी।

3. 1 सितम्बर, 1987 से 31.10.1987 के कालावधि के बीच की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए 1960=1000 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर निकाली गयी महंगाई राहत की दरें।

(क) अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी : ऊपर 1(क) पर परिकलित पेंशन का 80.40 प्रतिशत

(ख) रु. 756/- प्रतिमास तक पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी : ऊपर 1(क) पर परिकलित पेंशन का 67 प्रतिशत।

(ग) रु. 756/- प्रतिमास और उससे अधिक पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित महंगाई राहत के पात्र होंगेः

सारणी

क्र. सं.	आहरित मूल पेंशन की रकम (रु.)		प्रतिमाह अनुज्ञेय महंगाई राहत की रकम (रु.)
(1)	**(2)**		**(3)**
1.	**757-796**		**508.00**
2.	**797-804**		**534.00**
3.	**805-824**		**540.00**
4.	**825-844**		**553.00**
5.	**845-864**		**567.00**
6.	**865-884**		**580.00**
7.	**885-904**		**593.00**
8.	**905-924**		**607.00**
9.	**925-944**		**620.00**
10.	**945-964**		**634.00**
11.	**965-984**		**647.00**

12.	**985-1004**		**660.00**
13.	**1005-1024**		**674.00**
14.	**1025-1044**		**687.00**
15.	**1045-1064**		**701.00**
16.	**1065-1085**		**714.00**
17.	**1058** और उससे अधिक		**727.00**

(घ) अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित रीति से महंगाई राहत के लिए पात्र होंगेः

सारणी

क्र.सं. **(1)**	**(2)**		**(3)**
(i)	रु. **765/-** प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	:	उपर्युक्त **1(**क) के अनुसार परिकलित पेंशन की रकम का **66** प्रतिशत**,** किंतु अधिकतम राशि **500** रु. होगी।
(ii)	रु. **765/-** से रु. **1165/-** प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	:	**500/-** रु.
(iii)	रु. **1165/-** प्रतिमास या उससे अधिक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	:	उपर्युक्त **1(**क) के अनुसार परिकलित पेंशन की रकम का **42.90** प्रतिशत**,** किंतु अधिकतम राशि **715** रु. होगी।

फार्म II

[विनियम 35(1) देखें]

पेंशन पर महंगाई राहत

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित रूप में होगीः

(1) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो **1** सितम्बर**, 1987** को या उसके पश्चात किंतु कर्मचारी संवर्ग के लिए **1** नवंबर**, 1992** से पहले तथा अधिकारी संवर्ग के लिए **1** जुलाई**, 1993** से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं**, 1960 = 100** श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में **600** अंकों को ऊपर प्रत्येक अंक के लिए महंगाई राहत**,** यथास्थिति**,** प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी और ऐसे प्रत्येक उक्त **4** अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगीः

सारणी

क्र. सं.	प्रति मास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	रु. 1250 तक	**0.67** प्रतिशत
(ii)	रु. 1251 से रु. 2000	रु. 1250 का 0.67 प्रतिशत और रु. 1250 से अधिक मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत

(iii)	रु. 2001 से रु. 2130	रु. 1250 का 0.67 प्रतिशत और रु. 2000 और रु. 1250 के बीच का अंतर का 0.55 प्रतिशत और रु. 2000 से अधिक मूल पेंशन 0.33 प्रतिशत
(iv)	रु. 2130 से अधिक	रु. 1250 का 0.67 प्रतिशत और रु. 2000 और रु. 1250 के बीच का अंतर का 0.55 प्रतिशत और रु. 2130 और रु. 2000 के बीच का अंतर का 0.33 प्रतिशत और रु. 2130 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत

(2) ऐसे कर्मचारी संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में जो पहली नवंबर, **1992** को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए; और अधिकारी संवर्ग के मामले में पहली जुलाई, **2013** को या उसके पश्चात लेकिन पहली अप्रैल, **1998** से पहले सेवानिवृत्त होते हैं, **1960 = 100** श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में **1148** अंकों से ऊपर प्रत्येक चार अंक की महंगाई राहत यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी। ऐसे प्रत्येक उक्त **4** अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी:

सारणी

क्र. सं.	प्रति मास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	**(i)** रु. 2400 तक	**0.**35 प्रतिशत
(ii)	**(ii)** रु. **2401** से रु. **3850**	रु. 2400 का 0.35 प्रतिशत और रु. 2400 से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत
(iii)	**(iii)** रु. **3851** से रु. **4100**	रु. 2400 का 0.35 प्रतिशत और रु. 3850 और रु. 2400 के बीच का अंतर का 0.29 प्रतिशत और रु. 3850 से अधिक मूल पेंशन 0.17 प्रतिशत
(iv)	**(iv)** रु. **4100** से अधिक	रु. 2400 का 0.35 प्रतिशत और रु. 3850 और रु. 2400 के बीच का अंतर का 0.29 प्रतिशत और रु. 4100 और रु. 3850 के बीच का अंतर का 0.17 प्रतिशत और रु. 4100 से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत

(3) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो पहली अप्रैल, **1998** को या उसके पश्चात परन्तु **31** अक्टूबर, **2002** से पहले सेवानिवृत्त होते हैं, **1960 = 100** श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में **1684** अंकों से ऊपर प्रत्येक चार अंक की महंगाई राहत यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी। ऐसे प्रत्येक उक्त **4** अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी:

सारणी

क्र. सं.	प्रति मास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	रु. 3550 तक	**0.**24 प्रतिशत
(ii)	रु. 3551 से रु. 5650	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत और रु. 3550 से अधिक मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत
(iii)	रु. 5651 से रु. 6010	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत और रु. 3550 और रु. 5650 के बीच का अंतर का

		0.20 प्रतिशत और रु. 5650 से अधिक मूल पेंशन 0.12 प्रतिशत
(iv)	रु. 6010 से अधिक	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत और रु. 3550 और रु. 5650 के बीच का अंतर का 0.20 प्रतिशत और रु. 6010 और रु. 5650 के बीच का अंतर का 0.12 प्रतिशत और रु. 2130 से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत

(4) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो **1** नवम्बर**, 2002** को या उसके पश्चात किंतु **31** अक्टूबर**, 2007** से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं**, 1960 = 100** श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में **2288** अंकों से ऊपर प्रत्येक **4** अंक के लिए महंगाई राहत**,** यथास्थिति**,** प्रत्येक वृद्धि के लिए मूल पेंशन के **0.18** प्रतिशत की दर से संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी।

(5) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो **1** नवम्बर**, 2007** को या उसके पश्चात किंतु **1** नवंबर**, 2012** से पहले सेवानिवृत्त होते हैं**, 1960 = 100** श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में **2836** अंकों से ऊपर प्रत्येक **4** अंक के लिए महंगाई राहत**,** यथास्थिति**,** प्रत्येक वृद्धि के लिए मूल पेंशन के **0.15** प्रतिशत की दर से संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी।

(6) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो **1** नवम्बर**, 2012** को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं**, 1960 = 100** श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में **4440** अंकों से ऊपर प्रत्येक **4** अंक के लिए महंगाई राहत**,** यथास्थिति**,** प्रत्येक वृद्धि के लिए मूल पेंशन के **0.10** प्रतिशत की दर से संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी।

टिप्पण:

1. महंगाई राहत पहली फरवरी से प्रारंभ होने वाली और **31** जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पूर्व वर्ष के अक्तूबर**,** नवंबर और दिसम्बर माह के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत के आधार पर और पहली अगस्त से प्रारंभ होने वाली और **31** जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए उसी वर्ष के अप्रैल**,** मई और जून मास के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत आधार पर संदेय होगी।

2. कुटुंब पेंशन**,** अशक्त पेंशन के मामले में महंगाई राहत उपर्युक्त दरों के अनुसार संदेय होगी।

3. संराशीकरण के पश्चात भी पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमति होगी।

4. अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत संदेय नहीं है।

5. वे पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है लेकिन जिनकी मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है वे न्यूनतम पेंशन पर यथा लागू महंगाई राहत आहरित करेंगे।

फार्म III

[विनियम 37(1)(ग) देखें]

कुटुम्ब पेंशन की सामान्य दरें

कुटुम्ब पेंशन की सामान्य दरें निम्नलिखित होंगी:

(क) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न **1** नवम्बर**, 1992** से पूर्व सेवानिवृत्त हुए**,** अंशकालिक कर्मचारियों की बाबत:

सारणी

प्रतिमास वेतनमान **(1)**	मासिक कुटुम्ब पेंशन की रकम **(2)**
1500 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 375 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
1501 रु. से 3000	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए

रु.	गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 450 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
3000 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 600 रु. प्रतिमास से कम और 1250 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

(ख) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न **1** नवम्बर**, 1992** को या उसके पश्चात लेकिन **1** नवम्बर**, 1997** से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बाबतः

प्रतिमास वेतनमान **(1)**	मासिक कुटुम्ब पेंशन की रकम **(2)**
2870 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 720 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
2871 रु. से 5740 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 860 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
5740 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम 1150 रु. प्रतिमास और अधिकतम 2400 रु. प्रतिमास होगा।

(ग) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न पहली नवम्बर**, 1997** को या उसके पश्चात लेकिन पहली नवम्बर**, 2002** से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की बाबतः

सारणी

प्रतिमास वेतनमान **(1)**	मासिक कुटुम्ब पेंशन की रकम **(2)**
4210 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 1056 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
4211 रु. से 8420 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 1262 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
8420 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम 1687 रु. प्रतिमास और अधिकतम 3521 रु. प्रतिमास होगा।

(घ) अंशकालिक कर्मचारियों से अलग पहली नवम्बर**, 2002** को या उसके पश्चात लेकिन पहली नवम्बर**, 2007** से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की बाबतः

सारणी

प्रतिमास वेतनमान **(1)**	मासिक कुटुम्ब पेंशन की रकम **(2)**
5720 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन

	होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 1435 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
5721 रु. से 11440 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 1715 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
11440 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम 2292 रु. प्रतिमास और अधिकतम 4784 रु. प्रतिमास होगा।

(ड.) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न पहली नवम्बर**, 2007** को अथवा उसके पश्चात किंतु पहली नवम्बर**, 2012** से पूर्व सेवानिवृत्त हो रहे अंशकालिक कर्मचारियों की बाबतः

सारणी

प्रतिमास वेतनमान **(1)**	मासिक कुटुम्ब पेंशन की रकम **(2)**
7090 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 1779 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
7091 रु. से 14180 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 2186 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
14180 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 2841 रु. प्रतिमास से कम और 5930 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

(च) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न पहली नवम्बर**, 2012** को अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे अंशकालिक कर्मचारियों की बाबतः

सारणी

प्रतिमास वेतनमान **(1)**	मासिक कुटुम्ब पेंशन की रकम **(2)**
11100 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 2785 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
11101 रु. से 22200 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 3422 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
22200 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 4448 रु. प्रतिमास से कम और 9284 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

टिप्पण:

1. महंगाई राहत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन पर संदेय नहीं है।

2. यथापूर्वोक्त कुटुम्ब पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए "वेतन मान" विनियम **2** के उप खंड (न) में यथा परिभाषित "वेतन" और विनियम **33** के उप-विनियम (**1**) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित भत्तों का योग होगा।

3. अंशकालिक कर्मचारी के मामले में कुटुम्ब पेंशन की न्यूनतम राशि और कुटुम्ब पेंशन की अधिकतम राशि कर्मचारी को मिलने वाले मज़दूरी मान की दर के अनुपात में होगी।

4. मूल कुटुम्ब पेंशन और अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन के योग के न्यूनतम पेंशन के कम होने के मामले में पेंशनभोगी को न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ऐसी न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा और न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन के अलावा कोई अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन देय नहीं होगी।

प्ररूप IV

[विनियम 25(2) देखिए]

स्थायी अंशकालिक कर्मचारियों के अर्हक सेवा

सारणी

क्र. सं.	एक सप्ताह में मजदूरी मान पर स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई वास्तविक सेवा	पेंशन की राशि के संगणना के लिए स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तत्स्थानी अर्हक सेवा की अवधि
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	छह घंटे या उससे अधिक किंतु **13** घंटे से कम	वर्ष का एक तिहाई
2.	**13** घंटे से अधिक किन्तु **19** घंटे से कम	वर्ष का आधा
3.	**19** घंटे से अधिक किन्तु **29** घंटे तक	वर्ष का तीन चौथाई
4.	**29** घंटे से अधिक	एक वर्ष

प्ररूप V

[विनियम 37(1)(ग)देखें]

मूल कुटुंब पेंशन और अतिरिक्त परिवार पेंशन की संगणना

कर्मचारी जो **1** सितम्बर**, 1987** तक या बाद में बैंक की सेवा में थे और **31** अक्तूबर**, 1987** तक या पहले तक सेवा देते हुये उसकी मृत्यु हुई थी या **31** अक्तूबर**, 1987** को या पहले सेवानिवृत्त हुए परंतु मृत्यु हो गई थी**,** के संबंध में मूल कुटुंब पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेशन का संगणना का सूत्र निम्नलिखित होगा:-

(1) मूल कुटुंब पेंशन:

(क) मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय मृत कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन रुपये _____

(ख) नीचे दी गई सारणी के अनुसार साधारण दरों पर मूल कुटुंब पेंशन रुपये _____

(ग) उपर्युक्त (ख) में परिकलित मूल कुटुंब पेंशन पर परिशिष्ट-I में दी गई सारणी-**1** के अनुसार **1960=100** श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में **600** सूचकांक पर मंहगाई राहत रुपये _____

(घ) अद्यतन मूल कुटुंब पेंशन अर्थात (ख) + (ग) रुपये _____

(ङ) उपर्युक्त (घ) के अनुसार अद्यतन मूल कुटुंब पेंशन (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित करना) रुपये _____

(च) उपर्युक्त (घ) के मामले में नया आधार कुटुंब पेशन का डेढ़ गुना या दोगुना मूल कुटुम्ब पेंशन (अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित) रुपये _____

(2) अतिरिक्त कुटुंब पेंशन :

सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पहले विशेष भत्ते के अनुरूप **10** अप्रैल**, 1989** का द्विपक्षीय समझौता या सेवा विनियमों के शर्तों के अनुरूप भविष्य निधि में किये गये अनुदानों की राशि की मात्रा को विशेष भत्ता अतिरिक्त कुटुंब पेंशन के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

(3) कुटुंब पेंशन की सामान्य दरें निम्नलिखित होंगी:

सारणी

वेतन श्रृंखला	**कुटुंब पेंशन की राशि**
(1)	(2)
664 रुपये से कम	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 100 रु. से कम नहीं होगा और 166 रुपए से अधिक नहीं होगा।
664 रुपये से अधिक लेकिन 1992 रुपये से कम	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 166 रु. से कम नहीं होगा और 266 रुपए से अधिक नहीं होगा।
1992 रुपये से और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 12 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम 266 रु. प्रतिमाह और अधिकतम 415 रु. प्रतिमाह होगा।

टिप्पण:

1. अतिरिक्त कुटुंब पेंशन में मंहगाई राहत देय नहीं होती है।

2. जिस मामले में अद्यतित मूल कुटुंब पेंशन तथा अद्यतित अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग **375** रुपये से कम होता है पेंशनभोगी को **375** रुपये की पेंशन और उस पर मंहगाई राहत का भुगतान किया जायेगा तथा इस मामले में कोई अद्यतित अतिरिक्त कुटुंब पेंशन देय नहीं होगी।

प्ररूप V।

[विनियम 39 (9)देखें]

बैंक का नाम : आर्यावर्त बैंक

बिना चिकित्सा जांच के पेंशन के सरांशीकरण हेतु आवेदन

(सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा)

सेवा में

पासपोर्ट आकार की अनुप्रमाणित फोटो चिपकाने हेतु स्थान

पदनामित प्राधिकारी

महोदय,

मैं बैंक की सेवा से तारीख ---------- को सेवानिवृत्त हुआ/हो जाऊंगा। मैं बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के अनुरूप अपनी पेंशन के ---------- अंश के संराशीकरण हेतु इच्छुक हूं। आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

सेवानिवृत्ति के समय

पदनाम : _____

कार्यालय/विभाग का नाम जिससे

सेवानिवृत्त हुए : _____

जन्म की तारीख (बैंक के सेवा

अभिलेख के अनुसार) : _____

सेवानिवृत्ति की तारीख : _____

पेंशन की श्रेणी : _____

पेंशन का वह भाग जिसका

सरांशीरकण प्रस्तावित है जोकि

जोकि पेंशन के **1/3** से अधिक

नहीं होगा : _____

_____

हस्ताक्षर

स्थान : पता: ----------

अभिस्वीकृति

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ से पेंशन के सरांशीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

पूर्व पदनाम_____

स्थान :

तारीख : _____

(पदनामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप VII

[विनियम **39 (9)** देखें]

बैंक का नाम: आर्यावर्त बैंक

चिकित्सा जांच के अध्यधीन पेंशन के सरांशीकरण हेतु आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग – I

पासपोर्ट आकार की अनुप्रमाणित फोटो चिपकाने हेतु स्थान

सेवा में

पदनामित प्राधिकारी

महोदय,

मैं बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के अनुरूप अपनी पेंशन के ---------- अंश के संराशीकरण हेतु इच्छुक हूं। मेरे फोटो की एक अनुप्रमाणित प्रति आवेदन पर चिपकी हुई है और एक अनुप्रमाणित प्रति संलगन है। आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) : _____
2. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम : _____
3. कार्यालय/विभाग का नाम जिससे सेवानिवृत्त हुए : _____
4. जन्म की तारीख (बैंक के सेवा अभिलेख के अनुसार) : _____
5. सेवानिवृत्ति की तारीख : _____
6. पेंशन की श्रेणी : _____
7. पेंशन का वह भाग जिसका सरांशीरकण प्रस्तावित है जोकि

पेंशन के **1/3** से अधिक नहीं होगा : _____

8. उस स्थान की वरीयता (पसंद) जहां पर चिकित्सा जांच कराने के इच्छुक हैं : _____

स्थान :

तारीख :

_____

हस्ताक्षर

पता : ----------

अभिस्वीकृति

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ से पेंशन के सरांशीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।

(पूर्व पदनाम) _____

स्थान :

तारीख :

_____

(पदनामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप VII - भाग – II

(पदनामित प्राधिकारी द्वारा पूरा किया जाना है)

1. आवेदक का नाम : _____

2. जन्म की तारीख (बैंक के सेवा अभिलेख के अनुसार) : _____

3. सेवानिवृत्ति की तारीख : _____

4. पेंशन की श्रेणी : _____

5. पेंशन की राशि : _____

6. पेंशन की राशि जिसके सरांशीकरण

हेतु इच्छुक : _____

के आधार पर

_____

जोड़े गए वर्ष

सामान्य आयु ----------

1 वर्ष **2** वर्ष

_____	_____	_____
रुपये	रुपये	रुपये
_____	_____	_____

7.(i) आवेदक के अगले जन्मदिन जोकि

तारीख _____ को पड़ता है से पूर्व

सरांशीकरण पूरी हो जाने पर देय राशि : _____

(ii) आवेदक के अगले जन्मदिन जोकि

तारीख _____ को पड़ता है के पश्चात

सरांशीकरण पूरी हो जाने पर देय राशि : _____

8. संलग्नकों, यदि कोई हो, की संख्या (कृपया नीचे टिप्पण देखें)

स्थान :

तारीख :

_____

(पदनामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

टिप्पण: यदि आवेदक को अमान्य पेंशन प्रदान की गयी है या उसने पूर्व में अपनी पेंशन के अंश का सरांशीकरण करवाया है या वास्तविक आयु में वर्षों के जुड़ने के आधार पर सरांशीकरण को स्वीकार करने की मनाही की है या उसे चिकित्सा आधार पर मनाही (सरांशीकरण) की गयी है तो पदनामित प्राधिकारी को फॉर्म के साथ आवेदक के मामले की प्राप्ति या विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए।

प्ररूप **VII - भाग – II (**जारी)

श्री/श्रीमती/कु._____ _____

_____ को प्रतिलिपि अग्रेषित

(पूरा डाकपता दें)

बैंक के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के अध्याधीन, वह नामित प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पेंशन की राशि के बदले एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र होंगेः-

के आधार पर

_____

जोड़ा गया वर्ष

सामान्य आयु ----------

1 वर्ष **2** वर्ष

_____ _____ _____

रु. रु. रु.

_____ _____ _____

(i) संदेय राशि यदि संराशीकरण आवेदक के अगले जन्मदिन, जो कि _____ को पड़ता है, से पूर्व पूरा हो जाता है : _____

(ii) संदेय राशि यदि संराशीकरण आवेदक के अगले जन्मदिन, जो कि _____ को पड़ता है, के पश्चात पूरा होता है : _____

टिप्पण: वर्तमान मूल्य की तालिका जिसके आधार पर नामित प्राधिकारी द्वारा गणना की जाती है, किसी भी समय सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है और इसके परिणामस्वरूप यह आधार भुगतान करने से पूर्व संशोधन के लिए उत्तरदायी है और देय राशि संराशीकरण पूरा होने की तारीख के पश्चात आवेदक के जन्मदिन की आयु के लिए उपयुक्त राशि होगी या यदि चिकित्सा अधिकारी निर्देश देता है कि उस उम्र में उस वर्ष को जोड़ा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप आयु माना जाता है।

अभिस्वीकृति

श्री/श्रीमती/कु. _____ को _____ अपराह्न और _____ पूर्वाह्न के बीच बैंक के डिस्पेंसरी में बैंक के चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सकीय जांच के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। उन्हें अपने साथ हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप को छोड़कर भाग-**1** में आवश्यक विवरणों के साथ पूरा करके उसे संलग्न प्ररूप सं. **VII** के साथ ले जाना चाहिए।

स्थान :

तारीख :

_____

(नामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप VII - भाग III

बैंक का नाम : _____

(चिकित्सकीय जांच के लिए पेंशनभोगी को निर्दिष्ट

करते हुए बैंक के चिकित्सा अधिकारी को मसौदा पत्र)

संदर्भ सं.:

तारीख :

सेवा में

डॉ. _____

(बैंक के चिकित्सा अधिकारी)

महोदय/महोदया,

चिकित्सकीय जांच – पेंशन का संराशीकरण

श्री/श्रीमती/कु._____ जो सेवा से _____ को _____ _____ (पदनाम) के रूप में सेवानिवृत्त हुए, ने एकमुश्त भुगतान के लिए अपनी पेंशन के एक अंश को संराशीत करने के लिए आवेदन किया है। निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ अग्रेषित किए गए हैं।

(क) मूल रूप में प्ररूप सं. VII में आवेदन।

(ख)* आवेदक के मामले की रिपोर्ट या विवरण यदि उसे अमान्य पेंशन स्वीकृत की गई है या उसने अपनी पेंशन के एक अंश को पूर्व में संराशीकरण किया है या अपनी वास्तविक उम्र में वर्षों के अतिरिक्त के आधार पर संराशीकरण को स्वीकार करने से मना कर दिया है या चिकित्सकीय आधार पर संराशीकरण से इंकार कर दिया गया है।

विनियम के संदर्भ में आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, **2018** (पेंशन का संराशीकरण), श्री/श्रीमती/कु. _____ की बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती/कु. _____ _____ की चिकित्सकीय जांच के संबंध में यथा संभव हो सके तो चार सप्ताह के भीतर जांच किए जाने की व्यवस्था की जाए।

इस पत्र की एक प्रति उनके लिए पृष्ठांकित की जा रही है जिससे कि वह जल्द से जल्द चिकित्सकीय जांच के लिए उपस्थित हो सकें।

कृपया इस पत्र की अभिस्वीकृति स्वीकार की जाए।

भवदीय,

(नामित प्राधिकरण)

*जो भी लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप VIII

[विनियम **39(9)** देखें]

भाग I

बैंक का नाम : आर्यावर्त बैंक

सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाने के लिए स्थान

बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय

जांच करने के लिए पेंशनभोगी द्वारा घोषणा।

आवेदक को बैंक के चिकित्सा अधिकारी उसकी जांच करने से पूर्व इस घोषणा को पूरा करना होगा

और बैंक के चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में इस घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा।

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)

2. जन्म की तारीख (बैंक के सेवा अभिलेखों के अनुसार)

3. माता-पिता के बारे में विवरणः

पिता की उम्र, यदि जीवित हों और स्वास्थ्य की स्थिति।

मृत्यु के समय पिता की उम्र और मृत्यु का कारण।

माता की उम्र, यदि जीवित हों और स्वास्थ्य की स्थिति।

मृत्यु के समय माता की उम्र और मृत्यु का कारण।

4. क्या आपको अमान्य पेंशन देने के संबंध में विचार किया गया है?

यदि हां, तो उसका क्या आधार है?

5. क्या आपको आपकी सेवा के पिछले तीन वर्ष के दौरान चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश की

स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो अवकाश की अवधि और बीमारी की प्रकृति को स्पष्ट करें।

6. क्या आप पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान हैं -

(क) किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने से अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता रही है?

यदि हां, तो कृपया बीमारी की प्रकृति और अस्पताल में भर्ती करने की अवधि का विवरण दिया जाए; या

(ख) किसी बड़े सर्जरी ऑपरेशन से गुजरे हैं।

(ग) उल्लेखनीय रूप से भार में कमी या वृद्धि हुई है।

आवेदक द्वारा उद्घोषणा

बैंक के चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाना है

मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दिए गए सभी उत्तर जहां तक मेरा विश्वास है, सत्य और सही है।

मुझे भलीभांति यह ज्ञात है कि जानबूझकर गलत विवरण देने या संगत तथ्य को छिपाने से, मेरी संराशीकरण को खो देने का जोखिम होगा।

_____

आवेदक के हस्ताक्षर या आवेदक के साक्षर न होने के मामले में अंगूठे का निशान

_____

(बैंक के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप **VIII - पार्ट II**

पेंशनभोगी का चिकित्सकीय विवरण

(*जांचकर्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाना*)

1. वर्तमान (अपैरेंट) आयु

2. ऊंचाई

3. भार

4. आवेदक का कोई निशान या पहचान

संबंधी कोई चिह्न का वर्णन

5. पल्स दर -

क) सिटिंग

ख) स्टैंडिंग

नाड़ी की प्रकृति क्या है**?**

6. रक्त चाप -

क) सिस्टोलिक

ख) डायस्टोलिक

7. क्या मुख्य अंगों की बीमारी का कोई साक्ष्य है -

क) दिल

ख) फेंफड़े

ग) लीवर

घ) स्प्लीन

ड.) किडनी

8. जांच (जहां कहीं भी बैंक के चिकित्सा

अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाता है)

(i) मूत्र (अवस्था विशिष्ट गुरुत्व)

(ii) रक्त

(iii) एक्स-रे चेस्ट

(iv) ई.सी.जी.

9. कोई अतिरिक्त तथ्य

प्ररूप VIII - भाग III

पेंशन के संराशीकरण के भुगतान के लिए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

(*जांचकर्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाना है***)**

मैंने/हमने सावधानीपूर्वक श्री/श्रीमती/कु. _____ की जांच की है/ और मेरी राय है कि -

उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और जीवन की औसत अवधि की संभावना है।

या

उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह संराशीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है।

या

हालांकि वह _____

_____

_____

_____ से पीड़ित हैं फिर भी उन्हें संराशीकरण के लिए उपयुक्त माना जाता है किन्तु संराशीकरण के उद्देश्य से उनकी उम्र को _____ **(**शब्दों में) को उनकी वास्तविक उम्र से अधिक वर्षों के लिए लिया जाना चाहिए।

स्थान :

तारीख :

_____

(जांचकर्ता चिकित्सा अधिकारी

के हस्ताक्षर और पदनाम)

शिव बजरंग सिंह**,** अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./39/19]

ARYAVART BANK

NOTIFICATION

Lucknow, the 1st April, 2019

F. No. AB/SR/01/2019-20.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with sub-section (1) of section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Aryavart Bank after consultation with Bank of India being the Sponsor Bank and the National Bank and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.–

(1) These Regulations may be called **"Aryavart Bank (Employees') Pension Regulations, 2018".**

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

(a) "**Act"** means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "**actuary"** shall have the meaning assigned to it in clause (1) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(c) **"average emoluments"** means the average of the pay drawn by an employee during the last ten months of his service in the Bank;

(d) **"Bank"** means **Aryavart Bank** established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(e) **"Board"** means the Board of Directors of the Bank;

(f) **"child"** means a child of the employee, who if a son, is under twenty-five years of age and if a daughter, is unmarried and is under twenty-five years of age and the expression "children" shall be construed accordingly;

(g) **"competent authority"** shall have the same meaning as assigned to it in the Aryavart Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010;

(h) **"contribution"** means any sum credited by the Bank on behalf of employee to the Fund, but shall not include any sum credited as interest;

(i) **"date of retirement"** means the last date of the month in which an employee attains the age of superannuation or the date on which he is retired by the Bank or the date on which the employee voluntarily retires;

(j) **"employee"** means any person employed in the service of the Bank, whether as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages or as an officer and who opts and is governed by these regulations, but does not include a person employed either on contract basis or daily wage basis or on consolidated wages;

(k) **"effective date"** means the 1st day of April, 2018;

(l) **"eligible employee"** means an employee who is eligible for pension under these regulations;

(m) **"employees' pension scheme, 1995"** means the Employees' Pension Scheme constituted under the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);

(n) **"family"** in relation to an employee means,-

(i) wife in the case of a male employee or husband in the case of a female employee (whether the marriage took place before or after retirement);

(ii) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery and the person surviving was not held guilty of committing adultery;

(iii) (A) unmarried sons or unmarried daughters (born before or after retirement including those adopted) who have not attained the age of twenty-five years;

(B) unmarried sons or unmarried daughters suffering from any disorder or disability of mind or physically crippled;

(iv) widowed daughters or divorced daughters (born before or after retirement) without any age restriction;

(v) parents who were wholly dependent on the employee when such employee was alive, subject to the following conditions:

(A) the diseased employee had left behind neither a widow or widower nor an eligible son or daughter or a widowed or divorced daughter and that the earnings of the parents is less than two thousand five hundred and fifty rupees per month.

(B) where the diseased employee has left behind a childless widow, they become eligible for family pension only after the death of childless widow or when her independent income from all other sources becomes equal to or higher than two thousand five hundred and fifty rupees per month;

(o) **"family pension"** means the family pension referred to in regulation 37;

(p) **"financial year"** means a year commencing on the 1st day of April;

(q) **"Fund"** means the "Aryavart Bank (Employees') Pension Fund" constituted under regulation 4;

(r) **"National Pension System"** means the National Pension System as defined in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(s) **"notified date"** means the date on which these regulations are published in the Official Gazette;

(t) "**pay**" means the basic pay including stagnation increments, if any, and all allowances counted for the purpose of making contributions to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance;

(u) **"pension"** means the class of pension as specified in Chapter V and includes family pension;

(v) **"pensioner"** means an employee eligible for pension under these regulations;

(w) **"qualifying service"** means the service rendered on regular basis which shall be taken into account for the purpose of pension under these regulations;

(x) **"retirement"** means cessation from Bank's service,-

(i) on attaining the age of superannuation as specified in the service regulations;

(ii) on voluntary retirement in accordance with provisions contained in regulation 28;

(iii) on premature retirement by the Bank before attaining the age of superannuation in accordance with provisions contained in regulation 30;

(y) **"Service Regulations"** means the Aryavart Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010;

(z) **"trust"** means the trust of Aryavart Bank (Employees') Pension Fund constituted under sub- regulation (1) of regulation 4;

(za) **"trustee"** means the trustees of the Aryavart Bank (Employees') Pension Fund constituted under regulation 4;

(zb) **"Provident Fund"** means the provident fund of the Bank.

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act or the Aryavart Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act, or as the case may be, the Aryavart Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010.

CHAPTER II

APPLICATION AND ELIGIBILITY

3. Application.– (1) These regulations shall apply to any employee who -

(a) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 but had retired on or before 31 March, 2010 who exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become a member of the Fund and refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days, the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund; or

(b) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 who continue to be in the service of the Bank on or after the notified date and exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become member of the Fund and cause to transfer the entire contribution of the Bank along with the interest accrued thereon, to the credit of the Fund constituted under regulation 4; or

(c) was in the service of the Bank between the 1st day of September, 1987 and 31st March 2010 and continued in service on or after effective date but retired before the notified date, if he exercises an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become member of the Fund and refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund:

Provided that the family of the employee who –

(i) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 but died on or before 31st March, 2010; or

(ii) joined the service between 1st September, 1987 and 31 March, 2010 and died before the effective date; or

(iii) joined the service of the Bank between 1st September 1987 and 31 March 2010 and continued in service on or after the effective date but had died before one hundred twenty days after the notified date without the employee exercising an option in writing to become member of the Fund,

shall be entitled to family pension under these regulations, if the family of such deceased employee exercises an option in writing within one hundred and twenty days from the date of the death of the employee or the expiry of one hundred and twenty days from the notified date, whichever is later, to become member of the Fund and refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days the entire final amounts received by the family (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt of the amount by the family) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund.

(2) An employee or family of the deceased employee not exercising the option under sub-regulation (1) or who, after exercising the option, not refunding the amount shall be deemed not interested in becoming a member of the Fund and shall continue to be governed under the Employees' Pension Scheme, 1995.

(3) Notwithstanding anything contained in this regulation, any employee who joined the service of the Bank on or after the 1st April, 2010 shall have an option either to be covered by the National Pension System or to continue to be governed under the Employees' Pension Scheme, 1995.

(4) Notwithstanding anything contained in this regulation, any employee who join the service of the Bank on or after the 1st April, 2018 shall be covered by the National Pension System.

CHAPTER III

THE FUND

4. Constitution of the Fund.–

(1) The Bank shall constitute a Fund to be called the "Aryavart Bank (Employees') Pension Fund" under an irrevocable trust within one hundred twenty days from the notified date.

(2) The Fund shall have for its sole purpose the provision of the payment of pension or family pension in accordance with these regulations to the employee or his family.

(3) The Bank shall be a contributor to the Fund and shall ensure that sufficient sums are placed in it to enable the trustees to make due payments to beneficiaries under these regulations.

5. Liability of the Bank.–

(1) (a) The Bank, shall, after constitution of the Fund under regulation 4, cause to transfer to the Aryavart Bank (Employees') Pension Fund, the accumulated balance of the contribution of the Bank towards pension under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of the eligible serving employee opting to become a member of the Fund under regulation 3.

(b) The Bank shall, after constitution of the Provident Fund under the Act, transfer to that Fund, the accumulated balance of the contribution of the employee towards provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of eligible serving employee opting to become a member of the Fund under regulation 3.

(2) The retired employee or the family of the deceased employee opting for Fund under sub-regulation (1) of regulation 3, shall continue to receive the amount of pension component under the Employees' Pension Scheme, 1995 and the balance of the pension payable under these regulations shall be paid out of the Fund.

6. Composition of the Fund.–

The Fund shall consist of the following, namely: -

(a) contribution by the Bank based on actuarial assessment of initial gap between assets and liabilities of the Fund;

(b) the contribution by the Bank at the rate of ten per cent per month of the pay of the employee;

(c) the accumulated contributions of the Bank towards pension and provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of transfer to the Fund in respect of an eligible serving employee;

(d) the amount consisting of the provident fund contribution of the Bank under the Employees' Pension Scheme, 1995 refunded by the eligible retired employees;

(e) the investment in annuities or securities purchased out of the moneys of the Fund and interest thereon;

(f) amount of any capital gains arising from the capital assets of the Fund;

(g) the additional annual contribution made by the Bank in accordance with the provisions contained in regulation 10;

(h) any income from investments of the amounts credited to the Fund;

(i) the amount consisting of provident fund contribution of the Bank under the Employees' Pension Scheme, 1995 refunded by the family of the eligible deceased employee.

7. Board of trustees.–

(1) The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Fund shall vest in the board of trustees, which shall exercise all powers and do all acts and things which may be necessary for the payment of pension or family pension under these regulations.

(2) The board of trustees shall consist of such number of persons not less than three and *n*ot more than five, as may be determined by the Board, to be appointed by the Bank.

(3) The power to appoint the trustees shall be vested with the Bank and all such appointments shall be made in writing.

(4) The Bank shall nominate one of the trustees to be the Chairman of the board of trustees.

(5) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may reappoint a trustee who has already completed his term:

Provided that no trustee shall be appointed for more than two terms**.**

8. Trustees to carry out directions of the Board.–

In the discharge of its powers and functions under regulation 7, the board of trustees shall be guided by such directions as may be given by the Board to it, from time to time:

Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective thereof**.**

9. Books of accounts of the Fund.–

(1) The accounts of the Fund shall contain the particulars of all financial transactions relating to the Fund in such form as may be specified by the Bank.

(2) Within sixty days from the date of furnishing of the balance sheet of the Bank, the trust shall prepare a financial statement of the trust indicating therein the general account of assets and liabilities of the trust and forward a copy of the same to the Bank.

(3) The accounts of the Fund shall be audited in accordance with the provisions of section 19 of the Act.

10. Actuarial investigation of the Fund.–

The Bank shall cause an investigation to be made by an actuary into the financial condition of the Fund every financial year on the 31st day of March, and make such additional annual contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under these regulations:

Provided that the Bank shall cause an investigation to be made by an actuary into the financial condition of the Fund as on the 31st day of March immediately following the financial year in which the Fund is constituted.

11. Investment of the Fund.–

All moneys contributed to the Fund or received or accruing by way of interest or otherwise to the Fund, may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a current account or in a savings account with any scheduled bank or utilised in making payment of pensionary benefits in accordance with these regulations and to the extent such moneys as are not so deposited or utilised shall be invested in the Government securities, debt instruments, short term debt instruments, equities and related investments, asset backed trust structured and miscellaneous investments.

12. Payment out of the fund.–

The trust shall, subject to the other provisions of these regulations, be administered for grant of pensionary benefits to the eligible retired employees of the Bank or the family pension to the families of the deceased eligible employees of the Bank.

CHAPTER IV

QUALIFYING SERVICE FOR PENSION

13. Qualifying service for pension.–

Subject to the other provisions of these regulations, an employee who has rendered a minimum of ten years of service in the Bank shall qualify for pension.

14. Commencement of qualifying service.–

Subject to the provisions contained in these regulations, qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed on a regular basis and service on probation shall be counted if followed by confirmation in the post.

15. Counting of periods spent on leave.–

All leave during service in the Bank for which leave salary is payable shall count as qualifying service:

Provided that extraordinary leave on loss of pay shall not count as qualifying service except when the authority sanctioning the leave has directed that such leave not exceeding twelve months' during the entire service, may count as service for all purposes including pension.

16. Broken period of service of less than one year.–

If the period of service of an employee includes broken period of service of less than one year but more than six months, it shall be treated as one year and if such broken period is six months or less, it shall be ignored:

Provided that the provisions of this regulation shall not apply for determining the minimum qualifying service required for pension.

17. Counting of period spent on training.–

Period spent by an employee on training in the Bank immediately after his appointment shall count for qualifying service.

18. Counting of past service in the erstwhile bank.–

The service rendered by the employee, on regular basis in any other bank shall also be counted for qualifying service on amalgamation of that bank with the Bank:

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to any such employee who is appointed on contract basis or on daily wage basis or on consolidated wages.

19. Period of suspension.–

(1) Period of suspension of an employee pending inquiry shall count for qualifying service, where on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or the suspension is held to be wholly unjustified.

(2) In all other cases, the period of suspension shall not count as qualifying service unless the competent authority passing the orders under the service regulations governing such case expressly declare at the time that it shall count to such extent as such authority may declare.

20. Forfeiture of service.–

(1) Resignation not amounting to voluntary retirement or dismissal or removal or termination of an employee from the service of the Bank shall entail for forfeiture of his entire past service and consequently shall not qualify for pension under these regulations.

(2) An interruption in the service of an employee entails forfeiture of his past service, except in the following cases, namely: -

(a) authorised leave of absence;

(b) suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the employee dies or is permitted to retire or is retired under the provisions of the Service Regulations while under suspension.

21. Interruption in services due to participation in strike.–

An Interruption in service of employee due to participation in strike shall not be counted for qualifying service for pension during such interruption unless such interruption is condoned by the competent authority:

Provided that before making an entry in the service record of the Bank employee regarding such interruption in service because of his participation in strike, an opportunity of representation may be given to the employee.

22. Military service.–

An employee who has rendered military service before appointment in the Bank shall continue to draw the military pension, if any, but military service rendered by the employee shall not count as qualifying service for pension under these regulations.

23. Period of deputation to an organisation in India.–

Period of deputation of an employee to another organisation in India will count for qualifying service provided the organisation to which he is deputed or the employee, pays the pensionary contributions at the rates specified under these regulations or at the rates specified by the Bank at the time of deputation, whichever is higher, to the Bank.

24. Addition to qualifying service in special circumstances.–

An employee shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension specified in regulation 26, the actual period not exceeding one fourth of the length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded the upper age limit specified by the Bank for direct recruitment or a period of five years, whichever is less, if the service or post to which the employee is appointed is one –

(a) for which post-graduate research, or specialist qualification or experience in scientific, technological, or professional fields, is essential;

(b) to which candidates of age exceeding the upper age limit specified for direct recruitment are normally recruited; and

(c) for which the candidate was given age relaxation over and above the maximum age limit fixed by the Bank on account of his possessing higher qualifications or experience:

Provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service at the time of his superannuation is not less than ten years.

25. Counting of service rendered on permanent part-time basis.–

(1) In case of an employee who was employed on a permanent part-time basis in the service of the Bank in accordance with the erstwhile rules of appointment applicable to him and was contributing to the Employees' Provident Fund, the service rendered by him on a permanent part-time basis from the date of such contribution, shall be counted as qualifying service.

(2) For the purpose of calculating the amount of pension in respect of a permanent part-time employee, the length of qualifying service shall be determined in accordance with Form IV.

(3) For the purpose of calculating the amount of pension under this regulation, the actual service rendered shall be taken as qualifying service and in such cases the actual pay drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of average emoluments.

CHAPTER V

CLASSES OF PENSION

26. Superannuation pension.–

Superannuation pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of superannuation.

27. Pension on voluntary retirement.–

(1) On or after the effective date, at any time after an employee has completed twenty years of qualifying service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service:

Provided that this sub-regulation shall not apply to an employee who seeks retirement from service for being absorbed permanently in an autonomous body or a public sector undertaking or a company or institution or body, whether incorporated or not, to which he is on deputation, at the time of seeking voluntary retirement.

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-regulation (1) shall require acceptance by the appointing authority:

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3) (a) An employee referred to in sub-regulation (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons thereof.

(b) On receipt of a request under clause (a), the appointing authority may, subject to the provisions of sub-regulation (2), consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the employee shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months.

(4) An employee, who has elected to retire under this regulation and has given necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for such withdrawal shall be made before the intended date of his retirement.

(5) The qualifying service of an employee retiring voluntarily under this regulation shall be increased by a period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by such employee shall not in any case exceed thirty-three years and it does not take him beyond the date of superannuation:

Provided that the increase in his qualifying service, shall not entitle him to any notional fixation of pay for the purpose of calculating his pension.

28. Invalid pension.–

(1) Invalid pension may be granted to an employee who, -

(a) has rendered minimum ten years of service; and

(b) retires from the service on or after the effective date on account of any bodily or mental infirmity, which permanently, incapacitates him for the service.

(2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from a medical officer approved by the Bank.

(3) Where the medical officer approved by the Bank has declared the employee fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he may, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

(4) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the competent authority is aware of the intention of the applicant to appear before the medical officer approved by the Bank.

(5) The medical officer approved by the Bank shall also be supplied by the competent authority in which the applicant is employed, with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant.

29. Compassionate allowance.–

(1) An employee, who is dismissed or removed or terminated from service, shall forfeit his pension:

Provided that the authority higher than the authority competent to dismiss or remove or terminate him from service may, if -

(i) such dismissal, removal, or termination is on or after the effective date; and

(ii) the case is deserving of special consideration,

sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of the pension which would have been admissible to him on the basis of the qualifying service rendered upto the date of his dismissal, removal, or termination.

(2) The compassionate allowance sanctioned under the proviso to sub-regulation (1) shall not be less than the amount of minimum pension payable under regulation 34.

30. Premature retirement pension.–

Premature retirement pension may be granted to an employee who, -

(a) has rendered minimum ten years of service; and

(b) retires from service on account of orders of the Bank to retire prematurely in the public interest or for any other reason to be recorded in writing, if otherwise he was entitled to such pension on superannuation, on that date.

31. Compulsory retirement pension.–

An employee compulsorily retired from service as a penalty, on or after the effective date, in terms of the Service Regulations, may be granted by the authority higher than the authority competent to impose such penalty, pension at a rate not less than two-thirds and not more than full pension admissible to him on the date of his compulsory retirement, if otherwise he was entitled to such pension on superannuation, on that date:

Provided that where the pension awarded under this regulation is less than the full pension admissible under these regulations, the Board of Directors shall be consulted before such order is passed.

32. Payment of pension or family pension in respect of certain employees.–

(1) An employee who was in service between 1st day of September, 1987 and 31st day of March 2010 and retired from the service of the Bank before 31st day of March, 2018 shall, subject to the provisions of these regulations, be eligible for payment of pension from the effective date.

(2) The family of a deceased employee, who was in service between the 1st day of September, 1987 and 31st day of March 2010 and died before the 31st day of March, 2018 shall, subject to the provisions of these regulations, be eligible for payment of family pension from the effective date.

CHAPTER VI

RATE OF PENSION

33. Amount of pension.–

(1) In case of an employee who retired between the 1st day of September, 1987 and 31st day of October, 1987, the basic pension and additional pension wherever applicable, shall be upgraded as per the formula specified in **Form-I**.

(2) In the case of an employee retiring after completing a qualifying service of not less than thirty-three years, the amount of basic pension shall be calculated at fifty per cent of the average emoluments.

(3) (a) Additional pension referred to in sub-regulation (1) shall be fifty per cent of the average amount of the allowance drawn by an employee during the last ten months of his service.

(b) No dearness relief shall be paid on the amount of additional pension.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, "allowance" means allowance which are admissible to the extent counted for making contributions to the Provident Fund.

(4) Pension, as computed, being aggregate of pension and additional pension, shall be subject to the minimum pension as specified in regulation 34.

(5) An employee who has commuted the admissible portion of his pension as per the provisions of regulation 39, shall receive only the balance of pension, monthly.

(6) (a) In the case of an employee retiring before completing a qualifying service of thirty-three years, but after completing a qualifying service of ten years, the amount of pension shall be proportionate to the amount of pension and additional pension admissible under sub-regulations (2) and (3) and in no case the amount of pension shall be less than the amount of minimum pension specified in these regulations.

(b) Notwithstanding anything contained in these regulations, the amount of invalid pension shall not be less than the ordinary rate of family pension which would have been payable to his family in the event of his death while in service.

(7) The amount of pension finally determined under these regulations shall be expressed in whole rupee and where the pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee.

34. Minimum pension.–

The amount of minimum pension shall be,-

(a) three hundred and seventy-five rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, where the employee had retired before the 1st day of November, 1992 (in case of employees other than officers) or before the 1st day of July, 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in the case of a permanent part-time employee who retired before the 1st day of November, 1992;

(b) seven hundred and twenty rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, where the employee had retired on or after the 1st day of November, 1992 (in case of employees other than officers) or on or after 1st day of July 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in the case of a permanent part-time employee who had retired on or after the 1st day of November, 1992;

(c) one thousand and sixty rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, who retired on or after 1st April, 1998 but before 31st October, 2002 and three hundred and fifty-five rupees in respect of such employee drawing one third of scale wages, five hundred and thirty rupees in respect of such employee drawing one half of scale wages and seven hundred and ninety-five rupees in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after 1st day of April, 1998;

(d) one thousand four hundred and thirty-five rupees per month in respect of an employee, other than permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st November, 2002 and four hundred and eighty rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, seven hundred and twenty rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and one thousand and eighty rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of May, 2005;

(e) one thousand seven hundred and seventy-nine rupees per month in respect of an employee, other than a permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st day of November, 2007 and five hundred and ninety-five rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, eight hundred and ninety-two rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and one thousand three hundred and thirty-nine rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2007;

(f) two thousand seven hundred and eighty-five rupees per month in respect of an employee, other than a permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st day of November, 2012 and nine hundred and thirty-two rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, one thousand three hundred and ninety-seven rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and two thousand and ninety-six rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2012.

35. Dearness relief.–

(1) Dearness relief shall be granted on basic pension or family pension or invalid pension or on compassionate allowance in accordance with the rates specified in Form II.

(2) Dearness relief shall be allowed on full basic pension even after commutation.

36. Determination of the period of ten months for average emoluments.–

(1) The period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the

date of retirement.

(2) In the case of voluntary retirement or premature retirement, the period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee voluntarily retires or is prematurely retired by the Bank in public interest or for any other reasons to be recorded in writing.

(3) In the case of dismissal or removal or compulsory retirement or termination of service, the period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee is dismissed or removed or compulsorily retired or terminated by the Bank.

(4) If during the last ten months of the service, an employee had been absent from duty on extraordinary leave on loss of pay or had been under suspension and the period whereof does not count as service, the aforesaid period of extraordinary leave or suspension shall not be taken into account in the calculation of the average emoluments and equal period before the ten months shall be included.

CHAPTER VII

FAMILY PENSION

37. Family pension.–

(1) Notwithstanding the provisions contained in regulation 13, where an employee dies–

(a) after completion of one year of continuous service; or

(b) before completion of one year of continuous service, provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by a medical officer approved by the Bank and declared fit for employment in the Bank; or

(c) after retirement from service and was on the date of his death, in receipt of a pension, or compassionate allowance,

the family of the deceased shall be entitled to family pension, the amount of which shall be determined in accordance with **Form III**:

Provided that in respect of an employee who was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1987 or retired on or before 31st day of October, 1987 but died later, the family of the deceased shall, subject to exercising the option to become a member of the Fund under these regulations and refunding the amount in accordance with regulation 3, shall, subject to other provisions of these regulations, be entitled to additional family pension, the amount of which shall be determined in accordance with **Form V**.

(2) The amount of pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee:

Provided that in no case a pension in excess of the maximum prescribed under these regulations shall be allowed.

(3) (a) Where an employee, who is not governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923),–

(i) dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or twice the family pension admissible under sub-regulation (1), whichever is less, and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of seven years or for a period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of sixty-five years had he survived, whichever is less; and

(ii) dies after retirement, the family pension as determined under sub-clause (i) shall be payable for a period of seven years or for a period upto the date on which the retired deceased employee would have attained the age of sixty-five years had he survived, whichever is less:

Provided that in no case the amount of family pension determined under sub-clauses (i) and (ii) shall exceed the pension payable on retirement of such employee from the Bank.

(b) Where an employee, who is governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or one and half times the family pension admissible under sub-regulation (1), whichever is less and the pension so determined shall be payable for a period of seven years or for a period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of sixty-five years had he survived, whichever is less.

(c) After the expiry of the period referred to in clauses (a) and (b), the family, in receipt of family pension under these clauses shall be entitled to family pension at the rate admissible under sub-regulation (1).

38. Payment of family pension.–

(1) The period for which family pension is payable shall be,-

(a) in case of a childless widow, for life or till her independent income from all sources become equal to two thousand five hundred and fifty rupees or more;

(b) in the case of a widow with children or a widower, upto the date of death or remarriage, whichever is earlier;

(c) in the case of a son or daughter (including widowed or divorced daughter), till such son or daughter attains the age of twenty-five years or upto the date of marriage of the son or daughter or remarriage of the daughter, whichever is earlier:

Provided that the family pension payable to the son or daughter (including widowed or divorced daughter) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of two thousand five hundred and fifty rupees per month from any source:

Provided further that an unmarried, widowed or divorced daughter who is not married or remarried even after the age of twenty-five years shall be eligible for family pension if there is no other family member or if her income from any source exceeds two thousand five hundred fifty per month.

(d) in the case of an unmarried son or daughter of an employee suffering from any disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to condition that there is no other eligible family member:

Provided that -

(i) if such son or daughter is one among two or more living children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in sub-regulation (3) until the last minor child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;

(ii) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible and if the family pension is payable to twin children, it shall be paid in the manner set out in sub-regulation 4;

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of a physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the competent authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years, a certificate from a medical officer approved by the Bank, to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled;

(vi) if such son or daughter starts earning a sum in excess of two thousand five hundred and fifty rupees per month and in such cases, it shall be the duty of the guardian or the son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that he or she has not started earning his or her livelihood or in case of daughter, that she has not yet married;

(e) in the case of parents, the family pension payable shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from any source exceeds two thousand five hundred and fifty rupees per month:

Provided that the family pension shall be payable first to the mother and after her death, to the father.

(2) If a deceased employee or a pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child or failing which, to the eligible parents.

(3) Family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them shall not be eligible for family pension unless the elder next above him or her has become ineligible for the grant of family pension.

(4) Where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares:

Provided that where one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and where both of them cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children, as the case may be.

(5) Where family pension is granted under this regulation to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

(6) In case both wife and husband are employees of the Bank and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the surviving husband or wife and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents, subject to the limits specified below, namely:-

(a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) and clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 37, the amount of both pension shall be limited to-

(i) two thousand five hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992;

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died after the 1st day of November, 1992 (in the case of employee other than officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer);

(iii) six thousand seven hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of April, 1998;

(iv) nine thousand five hundred and sixty-five rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of May, 2005;

(v) eleven thousand eight hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

(b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rates mentioned in sub clause (i) of clause (a) or clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 37 and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 37 becomes payable, the amount of both the pension shall also be limited to-

(i) two thousand five hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or prior to 1st day of July, 1993 (in the case of an officer);

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in case of an employee other than an officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer);

(iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of April, 1998:

(iv) nine thousand five hundred and sixty-five rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of May, 2005;

(v) eleven thousand eight hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of November, 2007.

(c) if both the family pensions are payable at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 37, amount of the two pensions shall be limited to-

(i) one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or 1st day of July, 1993(in the case of an officer);

(ii) two thousand four hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer);

(iii) three thousand three hundred and seventy-eight rupees in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of April, 1998;

(iv) four thousand seven hundred and eighty-three rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of May, 2005;

(v) five thousand nine hundred and twenty-eight rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of November, 2007.

(d) (i) Where family pension is payable to more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares.

(ii) On the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child:

Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

(iii) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee or pensioner:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

(iv) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from a divorced wife or wives, such eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of death of the employee or pensioner had she not been so divorced:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

(7) Where an employee dies leaving behind a judicially separated spouse with no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving if such spouse is not remarried:

Provided that where the judicial separation is granted on the ground of adultery and the death of the employee takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

(8) (a) Where an employee dies leaving behind a judicially separated spouse with a child or children, the family pension payable in respect of the deceased shall be payable to the surviving spouse provided he or she is the guardian of such child or children.

(b) Where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children.

(9) If the son or unmarried daughter eligible for the grant of family pension has attained the age of eighteen years, the family pension may be paid to such son or unmarried daughter directly.

(10) (a) If a person who, in the event of death of an employee while in service, is eligible to receive family pension under these regulations, is charged with the offence of murdering the employee or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person, including other eligible member or members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceeding instituted against him.

(b) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (a), the person concerned,–

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the employee, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be payable to the other eligible member of the family, from the date of death of the employee;

(ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the employee, the family pension shall be payable to such a person from the date of death of the employee.

(c) The provisions of sub-clauses (a) and (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of an employee after his retirement.

CHAPTER VIII

COMMUTATION

39. Commutation.–

(1) An employee shall be entitled to commute for a lump sum payment of a fraction not exceeding one-third of his pension:

Provided that in respect of an employee who was in service before the effective date but died after his retirement before the notified date, the family of such employee shall also be entitled to commute for a lump sum payment a fraction not exceeding one-third of the pension admissible to the employee.

(2) An employee shall indicate the fraction of pension, which he desires to commute, and may either indicate the maximum limit of one-third pension or such lower limit, as he may desire to commute.

(3) If fraction of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation.

(4) The lump sum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the Table given below:

TABLE

Commutation values for a pension of one rupee per annum

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
(1)	(2)	(3)	(4)
17	19.28	35	16.92
18	19.20	36	16.72
19	19.11	37	16.52
20	19.01	38	16.31
21	18.91	39	16.09
22	18.81	40	15.87
23	18.70	41	15.64
24	18.59	42	15.40
25	18.47	43	15.15
26	18.34	44	14.90
27	18.21	45	14.64
28	18.07	46	14.37
29	17.93	47	14.10
30	17.78	48	13.82
31	17.62	49	13.54
32	17.46	50	13.25
33	17.29	51	12.95
34	17.11	52	12.66

53	12.35	69	7.22
54	12.05	70	6.91
55	11.73	71	6.60
56	11.42	72	6.30
57	11.10	73	6.01
58	10.78	74	5.72
59	10.46	75	5.44
60	10.13	76	5.17
61	9.81	77	4.90
62	9.48	78	4.65
63	9.15	79	4.40
64	8.82	80	4.17
65	8.50	81	3.94
66	8.17	82	3.72
67	7.85	83	3.52
68	7.53	84	3.32
		85	3.13

Notes:

1. The table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday.

2. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 10.46 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs.100 X 10.46 X 12 = Rs. 12,552.

(5) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(6) An applicant who is authorised a superannuation pension, voluntary retirement pension, premature retirement pension, compulsory retirement pension, invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations:

Provided that on and from 1st July, 2003, an applicant in whose case the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of retirement or from the date from which commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception and where payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute, the difference between the normal monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date on which commutation becomes absolute and the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid.

(7) In the case of a pensioner eligible for superannuation pension or pension on voluntary retirement or premature retirement pension, no medical examination shall be necessary if the application for commutation is made within one year from the date of retirement and where such a pensioner applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement, the same will be permitted subject to medical examination:

Provided that in the case of an applicant who is in receipt of a provisional pension under regulation 44 and for whom pension in whole or in part on the finalisation of the departmental or judicial proceedings has been authorised, the period of one year referred to in this sub-regulation shall reckon from the date of issue of the orders consequent upon the finalisation of the departmental or judicial proceedings.

(8) An applicant who -

(i) retires on invalid pension under regulation 28; or

(ii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 29; or

(iii) is compulsorily retired by the Bank and is eligible for compulsory retirement pension under regulation 31,

shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in sub-regulation (1), after he has been declared fit by a medical officer approved by the Bank.

(9) The commutation of pension shall be become absolute in the case of an employee-

(i) retiring on superannuation or on voluntary retirement who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date or retirement:

Provided that the employee governed by sub-regulation (3) of regulation 27 shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months and the commutation of pension shall become absolute only on the expiry of the period of notice referred to in sub-regulation (1) of regulation 27;

(ii) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applied for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the competent authority;

(iii) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of the medical certificate given by medical officer approved by the Bank;

(iv) who was in service between 1st September, 1987 and 31st March, 2010 and retired on or before 31st March, 2018 and who opts to become a member of the Fund under these regulations, on the 1st day of April, 2018, where the application of commutation is made in Form VI within one year from the date of retirement and Form VII and Form VIII in all other cases, within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3;.

(v) who was in the service of the bank on or after the 1st day of April, 2018, but who retired prior to the publication of these regulations, on the day immediately following the date of his retirement, where the application is made in Form VI within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3;

(vi) who retired on or after the 1st day of April, 2018, but died prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application for commutation is made within one year from the date of his death by the family of the deceased in Form VI, within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3;

(vii) in respect of whom invalid pension under regulation 28 or compassionate allowance under regulation 29 or compulsory retirement pension under regulation 31 is admissible commutation shall become absolute on the date of the medical certificate given by medical officer approved by Bank.

CHAPTER IX

GENERAL CONDITIONS

40. Pension subject to future good conduct.–

Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these regulations.

41. Withholding or withdrawal of pension.–

The competent authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or criminal breach of trust or forgery or acting fraudulently or is found guilty of grave misconduct:

Provided that where part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the minimum pension per mensem payable under these regulations.

42. Conviction by court.–

Where a pensioner is convicted of a serious crime by a court, action shall be taken in the light of the judgment of the court relating to such conviction.

43. Pensioner guilty of grave misconduct.–

In a case not falling under regulation 42, if the competent authority considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, it shall, before passing an order, follow the procedure specified in the Service Regulations.

44. Provisional pension.–

(1) An employee who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued, a provisional pension, equal to the maximum pension which would have been admissible to him, would be allowed subject to adjustment against final retirement benefits sanctioned to him, upon conclusion of the proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld, either permanently or for a specified period.

(2) In cases referred to in sub-regulation (1), the gratuity shall be paid to the employee and only on conclusion of the proceedings and any recoveries to be made from an employee shall be adjusted against the amount of gratuity payable.

Explanation - in this Chapter,-

(a) "serious crime" includes a crime involving an offence under the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);

(b) "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret official code or password or any sketch, plan, model, article, note, documents or information, such as is mentioned in section 5 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) which was obtained while holding office in the Bank so as to prejudicially affect the interests of the general public or the security of the State;

(c) "fraud" shall have the meaning assigned to it under section 25 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(d) "criminal breach of trust" shall have the meaning assigned to it under section 405 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(e) "forgery" shall have the meaning assigned to it under section 463 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

45. Commutation of pension during departmental or judicial proceedings.–

An employee against whom departmental or judicial proceedings have been instituted before the date of his retirement shall not be eligible to commute a fraction of his provisional pension under these regulations during the pendency of such proceedings.

46. Recovery of pecuniary loss caused to the Bank.–

(1) The competent authority may withhold or withdraw a pension or a part there of, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or acts done fraudulently during the period of his service:

Provided that before passing any final orders under this sub-regulation, the Board shall be consulted:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations:

Provided also that departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be the proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued service.

(2) No departmental proceedings shall be initiated in respect of an event if more than four years time lapsed after the event:

Provided that the disciplinary proceedings initiated under this sub-regulation shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

(3) Where the competent authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one third of the pension admissible on the date of retirement of the employee.

47. Recovery of Bank's dues.–

The Bank shall be entitled to recover the dues to the Bank on account of housing loans, advances license fees, other recoveries and recoveries due to staff co-operative credit society from the commutation value of the pension or the pension or the family pension.

48. Commercial employment after retirement.–

(1) A pensioner who immediately before his retirement was holding the post of an officer who wishes to accept any commercial employment before the expiry of one year from the date of his retirement, shall obtain the previous sanction of the Bank before such acceptance and subject to the provision of sub-regulation (2), the Bank may, by order in writing, grant permission subject to such conditions as it may deem necessary or refuse permission, for reasons to be recorded in writing.

(2) In granting or refusing permission under sub-regulation (1) to a pensioner for taking up any commercial employment, the Bank shall have regard to the following factors, namely:-

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Bank;

(c) whether the pensioner while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such pensioner had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contract work with Bank;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under Bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

(g) any other relevant factor.

(3) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the Bank does not communicate the grant or refusal of permission to the applicant, the applicant shall be deemed to have been granted the permission:

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the Bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(4) Where the Bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Bank may make such orders thereon as it deems fit:

Provided that no order shall be made under this sub-regulation without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(5) If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of one year from the date of his retirement without the prior permission of the Bank or commits a breach of any condition for such permission, it shall be competent for the Bank to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such periods as may be specified in the order:

Provided that no such order shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of show cause against the order proposed to be made:

Provided further that in making any order under this sub-regulation, the Bank shall have regard to the following factors, namely:-

(i) the financial circumstances of the pensioner concerned;

(ii) the nature of, and the emoluments from, the commercial employment taken up by the pensioner concerned, and;

(iii) any other relevant factor.

(6) Every order passed by the Bank under this regulation shall be communicated to the pensioner concerned.

(7) In this regulation, the expression "commercial employment" means–

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking

company), and partnership of such firm but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as advisor or consultant in matters in respect of which the pensioner -

(A) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(B) has professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(C) has to undertake work involving liaisons or contact with the offices or officers of the Bank.

Explanation.- For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

49. Nomination.–

(1) The trust shall allow every employee governed by these regulations to make a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount of pension benefits under these regulations in the event of his death before that amount becomes payable or, having become payable, has not been paid and such nomination shall be made in such form as may be specified by the Bank from time to time.

(2) If any employee nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall, in his nomination, specify the amount or share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount of the pension benefits that may be payable in the event of his death.

(3) A nomination made by an employee may, at any time, be modified or revoked by him after giving a written notice to the trust of his intention of doing so in such form as the Bank may from time to time specify.

(4) A nomination or its revocation or its modification shall take effect to the extent it is valid on the date on which it is revised by the trust.

50. Date from which pension becomes payable.–

(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 41 and regulation 44 apply, pension other than the family pension shall become payable from the effective date or, as the case may be, from the date following the date of retirement, whichever is later, if the employee has exercised his option to become a member of the Fund and refunded the entire amount of Bank's contribution within the time stipulated under these regulations.

(2) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 41 and regulation 44 apply, family pension shall become payable from the effective date or, as the case may be, from the date following the date of death of the employee, whichever is later, if the family of the deceased employee has exercised the option to become member of the Fund and refunded the entire amount of Bank's contribution within the time stipulated under these regulations.

51. Currency in which pension is payable.–

All pension admissible under these regulations shall be payable in rupees in India only.

52. Manner of payment of pension.–

A pension fixed at a monthly rate shall be payable monthly on or after the first day of the following month.

53. Power to issue instructions.–

The Chairman of the Bank, with the approval of the Board may from time to time issue instructions, as may be considered necessary or expedient for the implementation of these regulations.

54. Residuary provisions.–

In case of doubt, in the matter of application of these regulations, regard may be had to the corresponding provisions of Central Civil Services Rules, 1972 or Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 applicable for Central Government employees with such exceptions and modifications as the Bank, after consultation with Bank of India being the Sponsor Bank and the National Bank and with the previous sanction of the Central Government, may from time to time, determine.

Form – I

[See regulation 33(1)]

UPDATION OF BASIC PENSION AND ADDITIONAL PENSION

1. The formula of updating basic pension and additional pension in respect of employees who retired during the period between 1st day of September, 1987 and 31st October, 1987 shall be as under:

(A)	(a)	50 per cent of first Rs.1000 of the average emoluments reckonable for pension	Rs.----------
	(b)	45 per cent of next Rs.500	Rs.----------
	(c)	40 per cent of the average emoluments reckonable for pension exceeding Rs.1500	Rs.----------
		Total (a+b+c)	Rs.----------
(B)		50 per cent of the average monthly emoluments for the last 10 months in service prior to retirement	Rs.----------
(C)		Dearness Relief at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, on basic pension calculated at (A) above,	Rs.----------
(D)		Total basic pension = (B) + (C) X Number of years of qualifying service (Maximum 33 years) / 33	Rs.----------
(E)		Basic pension as on 1.4. 2018 (Rounded off to the next higher rupee)	Rs.----------

2. Special allowances to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund corresponding to the special allowances drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of additional pension.

3. Rates of dearness relief worked out at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 for all classes of employees who retired during the period between 1st day of September, 1987 and 31st October, 1987:

(a)	Employees in subordinate staff cadre	:	80.40 per cent of pension calculated at 1(A) above.
(b)	Employees in clerical staff cadre drawing pension up to Rs.756 per month	:	67 per cent of pension calculated at 1(A) above.

(c) Employees in clerical staff cadre drawing pension of Rs.757 per month and above will be eligible for dearness relief as under:

TABLE

Sl. No.	Amount of basic pension drawn (Rs.)		The amount of dearness relief per month admissible (Rs.)
(1)	(2)		(3)
1.	757-796		508.00
2.	797-804		534.00
3.	805-824		540.00
4.	825-844		553.00
5.	845-864		567.00
6.	865-884		580.00
7.	885-904		593.00
8.	905-924		607.00
9.	925-944		620.00
10.	945-964		634.00
11.	965-984		647.00
12.	985-1004		660.00
13.	1005-1024		674.00
14.	1025-1044		687.00
15.	1045-1064		701.00
16.	1065-1085		714.00
17.	1058 above		727.00

(d) Employees in officer cadre shall be eligible for dearness relief as under:

TABLE

Sl.No. (1)	(2)		(3)
(i)	For those drawing basic pension Up to Rs.765 per month	:	66 per cent of the amount of Pension calculated at 1(A) above subject to a maximum of Rs.500
(ii)	For those drawing basic pension From Rs.766 to Rs.1165 per month	:	Rs.500
(iii)	For those drawing basic pension of Rs.1166 per month or above	:	42.90 per cent of amount of pension calculated as at 1(A) above Subject to a maximum of Rs.715

FORM II

[See regulation 35(1)]

DEARNESS RELIEF ON PENSION

Dearness relief on basic pension shall be as under:

(1) In the case of employees who retired on or after the 1st day of September, 1987, but before the 1st day of November, 1992 for workmen cadre and before the 1st of July 1993 for officers cadre, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the all India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100 and such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:

TABLE

Sl. No.	Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
(i)	Up to Rs.1250	0.67 per cent.
(ii)	Rs.1251 to Rs. 2000	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs.1250.
(iii)	Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs.2000.
(iv)	Above Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs.2130 & Rs. 2000 Plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.2130.

(2)In the case of employees in workmen cadre who retired on or after 1st day of November, 1992; and in the case of employees in the officers cadre who retire on or after the 1st day of July 2013 but before the first day of April 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial workers in the series 1960=100 and such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:

TABLE

Sl. No.	Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
(i)	(i) Up to Rs.2400	0.35 per cent.
(ii)	(ii) Rs.2401 to Rs.3850	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs.2400.
(iii)	(iii) Rs.3851 to Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent .of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.3850.
(iv)	(iv) Above Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs.4100 and Rs.3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs.4100.

(3) In case of employees who retire on or after 1st day of April 1998 but on or before the 31st October 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 and such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :

TABLE

Sl. No.	Scale of Basic Pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
(i)	Upto Rs.3550	0.24 per cent
(ii)	Rs.3551 to Rs.5650	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the basic pension in excess of Rs.3550
(iii)	Rs.5651 to Rs.6010	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs.5650
(iv)	Above Rs.6010	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 per cent difference between Rs.6010 and Rs.5650 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs.6010

(4) In respect of employees who retire on or after 1st day of November, 2002 but before the 31st October, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, at the rate of 0.18 per cent of basic pension.

(5) In respect of employees who retire on or after 1st day of November, 2007 but before the 1st day of November 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, at the rate of 0.15 per cent of basic pension.

(6) In respect of employees who retire on or after 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, at the rate of 0.10 per cent of basic pension.

Note:

1. Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.
2. In the case of family pension, invalid pension, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.
3. Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.
4. Dearness relief is not payable on additional pension.
5. Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.

FORM III

[See regulation 37(1)(c)]

ORDINARY RATES OF FAMILY PENSION

The ordinary rates of family pension shall be as under:

(a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee retired before 1st day of November, 1992.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Upto Rs.1500	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.375 per month.
Rs.1501 to Rs.3000	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.450 per month.
Above Rs.3000	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.600 per month and not more than Rs.1250 per month.

(b) In respect of employees other than part-time employees, retired on or after the 1st day of November, 1992 but before the 1st day of November, 1997.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Upto Rs.2870	30 per cent of the 'pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.
Rs.2871 to Rs.5740	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.
Above Rs.5740	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1150 per month and a maximum of Rs.2400 per month.

(c) In respect of employees other than part-time employees retiring on or after 1st day of November, 1997 but before the 1st day of November, 2002.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Upto Rs.4210	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1056 per month.
Rs.4211 to Rs.8420	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1262 per month.
Above Rs.8420	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1687 per month and a more than Rs.3521per month.

(d) In respect of employees other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2002 but before the 1st day of November, 2007

TABLE

Scale of pay per month (1)	**Amount of monthly family pension (2)**
Up to Rs.5720	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1435 per month.
Rs.5721 to Rs.11440	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1715 per month.
Above Rs.11440	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.2292 per month and a more than Rs.4784 per month.

(b) In respect of employees other than part-time employees retiring on or after 1st day of November, 2007 but before the 1st day of November, 2012

TABLE

Scale of pay per month (1)	**Amount of monthly family pension (2)**
Up to Rs7090	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1779 per month.
Rs.7091 to Rs.14180	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.2186 per month.

Above Rs.14180	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.2841 per month and a more than Rs.5930 per month.

(c) In respect of employees other than part-time employees retiring on or after 1st day of November, 2012.

TABLE

Scale of pay per month (1)	**Amount of monthly family pension (2)**
Up to Rs 11100	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 2785 per month.
Rs. 11101 to Rs.22200	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.3422 per month.
Above Rs. 22200	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.4448 per month and a more than Rs. 9284 per month.

Note:

1. Dearness relief is not payable on additional family pension.
2. Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of 'pay' as defined in sub-clause (t) of regulation 2 and "allowances" as defined in the explanation to sub-regulation (1) of regulation 33.
3. In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.
4. In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension and no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.

FORM IV

[See regulation 25(2)]

QUALIFYING SERVICE FOR PERMANENT PART TIME EMPLOYEES

TABLE

Sl. No.	**Actual service on scale wages rendered on permanent part-time basic in one week**	**Length of corresponding qualifying service for each year of service rendered on permanent part-time basis for calculating the amount of pension**
(1)	(2)	(3)
1.	Six hours or more but up to 13 hours	One third of a year
2.	More than 13 hours but up to 19 hours	One half of a year
3.	More than 19 hours but up to 29 hours	three fourth of a year
4.	More than 29 hours	one year

FORM V

[See regulation 37(1)(c)]

COMPUTATION OF BASIC FAMILY PENSION AND ADDITIONAL FAMILY PENSION

The formula for computing basic family pension and additional family pension in respect of employees who were in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1987 or had retired on or before the 31st day of October, 1987 but died shall be as under:-

(1) Basic Family Pension:

(A) Pay drawn by the deceased employee at the time of death/ retirement **Rs.** _____

(B) Basic family pension at the ordinary rates as per Table given below **Rs.** _____

(C) Dearness Relief at index 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 as per Table I given in Appendix- I on the basic family pension calculated at (B) above. **Rs.** _____

(D) Updated basic family pension i.e. (B) + (C) **Rs.** _____

(E) Updated basic family pension as per (D) above (rounded off to next higher rupee) **Rs.** _____

(F) Basic family pension at one and half times or twice the updated basic family pension as the case may be of (D) above (rounded off to next higher rupee) **Rs.** _____

(2) Additional Family pension:

Special allowance to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund in terms of the Bipartite Settlement dated 10th April, 1989 or Service Regulations corresponding to the special allowance drawn before the retirement or death shall be reckoned for the purpose of additional family pension.

(3) The basic family pension shall be at the rates given as under:

TABLE

Pay Range	**Amount of family pension**
(1)	(2)
Below Rs.664	30 per cent of pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of the allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.100 and maximum of Rs.166.
Rs.664 and above	15 per cent of pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which

but below Rs.1992	counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.166 and maximum of Rs.266.
Rs.1992 and above	12 per cent of pay shall be the basic family pension plus 12 per cent of allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.266 and maximum of Rs.415.

Note:

1. Dearness relief is not payable on additional family pension.

2. In case the aggregate of updated basic family pension and updated additional family pension falls short of Rs.375, the pensioner may be paid Rs.375 with dearness relief thereon in which case no updated additional family pension shall be payable.

Form VI

[See regulation 39 (9)]

Name of the Bank : Aryavart Bank

Application for Commutation of Pension without Medical Examination

(to be submitted within one year from the date of retirement)

To

Designated Authority

Space for Affixing attested passport size photograph

Dear Sir,

I retired/will retire from the Bank's service with effect from ---------- and have opted for Bank's Pension Scheme. I desire to commute a fraction of my pension in accordance with the Aryavart Bank (Employee's) Pension Regulations, 2018. The necessary particulars are furnished below:

Name in full (in block letters) : _____

Designation at the time of Retirement : _____

Name of Office/Department from which retired : _____

Date of birth (as per Bank's Service Record) : _____

Date of Retirement : _____

Class of Pension : _____

Signature

Place : Address: ----------

Acknowledgement

Received from Shri/Smt/Kum _____
application for commutation of Pension.

Former Designation

Place :

Date : _____

(Signature of Designated Authority)

Form VII

[See regulation 39 (9)]

Name of the Bank : Aryavart Bank

Application for Commutation of Pension subject to Medical Examination

(to be submitted in duplicated)

PART – I

Space for Affixing attested passport size photograph

To

Designated Authority

Dear Sir,

I desire to commute a fraction of my pension in accordance with Aryavart Bank (Employee's) Pension Regulations, 2018. An attested copy of my photograph is affixed on the application and an unattested copy is enclosed. The necessary particulars are furnished below:

1. Name in full (in block letters : _____
2. Designation at the time of retirement : _____
3. Name of Office/Department from which retired : _____
4. Date of birth (as per Bank's Service Record) : _____
5. Date of Retirement : _____
6. Class of Pension : _____
7. Fraction of Pension proposed to be commuted not exceeding 1/3rd thereof : _____
8. Preference for station where medical examination is desired to take place : _____

Place :

Date :

_____

Signature

Address : ----------

____

Acknowledgement

Received from Shri/Smt/Kum. ____
__________________ application for commutation of Pension.

(Former Designation)

Place :

Date : ____________________________

(Signature of Designated Authority)

Form VII - PART – II

(To be completed by the Designated Authority)

1. Name of the Applicant : ________________________________

2. Date of birth (as per Bank's Service Record) : ________________________________

3. Date of Retirement : ________________________________

4. Class of Pension : ________________________________

5. Amount of Pension : ________________________________

6. Amount of Pension desired to be commuted : ________________________________

On the basis of

____

Added Years

Normal Age --------------------------------
1 Year 2 Years

__________ __________ __________

Rs. Rs. Rs.

__________ __________ __________

7.(i) Sum payable if commutation becomes absolute before the applicant's next birthday which falls on ___________ : ________________________________

(ii) Sum payable if commutation becomes absolute after the applicant's next birthday which falls on __________ : ________________________________

8. Number of enclosures, if any (see note below)

Place :

Date :

____

(Signature of Designated Authority)

Note: The Designated Authority should enclose with the Form, a copy of the receipt or statement of the applicant's case if the applicant has been granted invalid pension or has previously commuted a part of his pension or declined to accept commutation on the basis of an addition of years to actual age, or has been refused (commutation) on medical grounds.

Form VII - PART – II (contd.)

Copy forwarded to Shri/Smt./Kum.____

(give complete postal address)

with the remarks that subject to the Bank's Medical Officer's recommendation, he/she will, on the basis of the report of the Designated Authority be eligible for the lump sum payment in lieu of the amount of pension to be commuted as follows:-

On the basis of		
	Added Years	
Normal Age	1 Year	2 Years
Rs.	Rs.	Rs.

(i) Sum payable if commutation becomes absolute before the applicant's next birthday which falls on ___________ : ______________________________

(ii) Sum payable if commutation becomes

absolute after the applicant's next

birthday which falls on __________ : ________________________________

Note: The Table of the present value, on the basis of which calculation by the Designated Authority has been made, is subject to alteration at any time without notice and consequently the basis is liable to revision before payment is made and the sum payable will be the sum appropriate to the applicant's age on his birthday next after the date on which the commutation becomes absolute or if the medical authority directs that years will be added to that age, to the consequent assumed age.

Acknowledgement

Shri/Smt./Kum. _________________________________ should report for medical examination to the Bank's Medical Officer at Bank's Dispensary between ________ a.m. and ________ p.m. on ___________. He/She should take with him/her the enclosed Form No.VIII with the particulars required in Part-1 completed except the signature or thumb impressions.

Place :

Date :

____

(Signature of Designated Authority)

Form VII - PART III

Name of Bank : Aryavart Bank

(Draft Letter to Bank's Medical Officer

Referring the pensioner for Medical Examination)

Ref. No.:

Date :

To

Dr. ___________________________________

(Bank's Medical Officer)

Sir/Madam,

Medical Examination-Commutation of Pension

Shri /Smt./ Kum.____ who retired from the service on __________________ _________as____________________________ (Designation) has applied for commuting a fraction of his/her pension for a lump sum payment. The following documents are forwarded herewith.

(a) Application in Form No.VII in original.

(b)* Report or statement of the applicant's case if he has been granted invalid pension or has previously commuted a fraction of his pension or declined to accept commutation on the basis of addition of years to his actual age or has been refused commutation on Medical Grounds.

In terms of regulation_____of Aryavart Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 (commutation of pension), Shri/Smt./Kum._____should be examined by a Bank's Medical Officer. It is requested that arrangement may be made to get Shri / Smt. / Kum _____ _____ examined as expeditiously as possible preferably within four weeks.

A copy of this letter is being endorsed to him/her so that he/she may appear for medical examination before you at the earliest.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully

(Designated Authority)

*Strike off whichever not applicable

Form VIII

[See regulation 39(9)]

PART I

Name of Bank : Aryavart Bank

Space for Affixing attested passport size photograph

Declaration by the Pensioner for facilitating

Medical Examination by the Bank's Medical Officer.

The applicant must complete this statement prior to his examination by Bank's Medical Officer and must sign the declaration appended thereto in the presence of Bank's Medical Officer.

1. Name in full (in block letters)
2. Date of birth (as per Bank's Service Record)
3. Particulars regarding Parents.

   Father's age, if living and state of health.

   Father's age at death and cause of death.

Mother's age, if living and state of health.

Father's age at death and cause of death.

4. Have you been considered for grant of invalid Pension ?

If so, state the ground thereof.

5. Have you been granted leave on Medical certificate during the

Last three years of your service ? if so, state period of leave

and nature of illness.

6. Have you during the last three years period

(a) suffered from any major illness requiring hospitalization ?

If so, the nature of illness and period of hospitalization may please be indicated; or

(b) undergone any major surgical operation

(c) lost or gained weight markedly

Declaration by Applicant

To be signed in presence of the Bank's Medical Officer

I declare all the above answers to be, to the most of my belief, true and correct.

I am fully aware that by wilfully making a false statement or concealing a relevant fact, I shall incur the risk of losing the commutation.

_____

Applicant's signature or thumb- impression in case of illiterate applicant

_____

(Signature of Bank's Medical Officer)

Form VIII - PART II

Medical details of the Pensioner

(*To be filled by the examining Medical Officer*)

1. Apparent age
2. Height
3. Weight
4. Describe any scars or identifying

Marks of the applicant

5. Pulse rate-

a) Sitting

b) Standing

What is the character of the pulse ?

6. Blood pressure-

a) Systolic

b) Diastolic

7. Is there any evidence of disease of the main organs -

a) Heart

b) Lungs

c) Liver

d) Spleen

e) Kidney

8. Investigations (wherever considered necessary by the Bank's Medical Officer)

(i) Urine (State specific gravity)

(ii) Blood

(iii) X-R-ray Chest

(iv) E.C.G.

9. Any additional finding

Form VIII - PART III

Certificate of Fitness for Payment of Commutation of pension

(*To be filled by the examining Medical Officer*)

I/We have carefully examined Shri/Smt./Kum._____and am/are of opinion that-

He /She is in good bodily health and has the prospect of an average duration of life.

OR

He /She is not in good bodily health and is not a fit subject for commutation.

OR

Although he/she is suffering from _____

_____

_____

_____he/she is considered fit subject for commutation but his/her age for the purpose of commutation, i.e. the age next birthday should be taken to be_____(In words) years more than his/her actual age.

Place :

Date :

_____

(Signature and Designation of Examining Medical Officer)

S. B SINGH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./39/19]

अधिसूचना

लखनऊ, 9 मई, 2019

आर्यावर्त बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमन–2010

फा. सं. आब/सर/01/2019-20.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मण्डल, आर्यावर्त बैंक ने प्रवर्तक बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना**– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **आर्यावर्त बैंक** (अधिकारियों और कर्मचारियों) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 है।

(टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, उप-खण्ड (i) में संख्यांक 162 तारीख 03 जून 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या .....---..... , तारीख .....----..... के द्वारा इसमें संशोधन किया गया)

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये बैंक के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को लागू होंगे :

परन्तु ये इन विनियमों में उपबंधित के सिवाय या ऐसे विस्तार तक जो बोर्ड द्वारा विशिष्टतया या साधारणतया विनिर्दिष्ट की जाय –

(क) ऐसे व्यक्ति को जो दैनिक वेतन पर अस्थाई तौर पर नियुक्त है या ऐसे व्यक्ति जो संविदा पर है, लागू नहीं होंगे;

(ख) प्रायोजित बैंक, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्त प्राधिकारी" से विनियम 5 के उपविनियम (1) में विहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "बैंक" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित आर्यावर्त बैंक अभिप्रेत है;

(घ) "बोर्ड" से बैंक का निदेशक मंडल अभिप्रेत है;

(ड.) "शाखा प्रबंधक" से बैंक की किसी शाखा का कोई भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "कलेंडर वर्ष" से वर्ष की जनवरी के पहले दिन से प्रारंभ होने और उसी वर्ष की दिसम्बर के 31 वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है :

(i) अध्यक्ष– अधिकारी स्केल–III, IV एवं V के सम्बन्ध में;

(ii) महाप्रबन्धक– अधिकारी स्केल–I एवं II के सम्बन्ध में; और

(iii) जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए स्केल से अन्यून का अधिकारी– समूह "ख" कार्यलय सहायक (बहुप्रयोजनीय) एवं समूह "ग" कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) के सम्बन्ध में

(भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एफ. न0 7/20/2012–आर.आर.बी. दिनांकित, नई दिल्ली 20 दिसम्बर 2012 के आधार पर संशोधित):

परंतु यदि जहां कोई महाप्रबंधक नहीं है कर्मचारियों के संबन्ध में सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा।

(ज) "कर्त्तव्य" के अंतर्गत,–

(i) परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में सेवा,

(ii) अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यग्रहण की अवधि पर है,

(iii) आकस्मिक छुट्टी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत विशेष आकस्मिक छुट्टी पर बिताई गई अवधि,

(iv) प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि जब वह सेवा में है,

(v) किसी अन्य संगठन में संबद्ध या प्रतिनियुक्ति पर बिताई गई अवधि भी है।

(झ) "उपलब्धियां" से वेतन और भत्तें यदि कोई हों, का योग अभिप्रेत हैं;

(ञ) "कर्मचारी" से विनियम 3 के उपविनियम (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन यथावर्गीकृत बैंक का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जो विनियम 75 के अधीन अन्य संगठन को उधार पर सेवा देते हैं;

(ट) "कुटुंब" से अधिकारी या कर्मचारी की पति पत्नी सम्मिलित हैं (यदि पति या पत्नी भी बैंक के अधिकारी या कर्मचारी नहीं है) और अधिकारी या कर्मचारी के बच्चे, माता–पिता, भाई और बहनें जो उस अधिकरी या कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं किन्तु उसमें वह सम्मिलित नहीं है जो वैध रूप से पृथक पति या पत्नी हैं;

(ठ) "अधिकारी" से विनियम 3 के उपविनियम (1) के खंड (क) के अधीन यथावर्गीकृत बैंक का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "वेतन" से अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी वेतनमान में उसके द्वारा आहरित मूल वेतन अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत वेतनरूद्ध वृद्धियां और उपलब्धियों का कोई भाग जो इन विनियमों के अधीन वेतन के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से वर्गीकृत हो सकेगा;

(डक) ''पेंशनविनियम" से आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 अभिप्रेत है; (टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, उप-खण्ड (i) में संख्यांक 162 तारीख 03 जून 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या .....---..... , तारीख .....----..... के द्वारा इसमें संशोधन किया गया)

(ढ) "प्रादेशिक प्रबंधक" से बैंक के प्रादेशिक कार्यालय का भारसाधक कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) "संबल" से वेतन और मंहगाई भत्ता का कुल अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजित बैंक" से बैंक आफ इण्डिया अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय – 2

अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण, नियुक्त, परिवीक्षा और सेवा की समाप्ति

3. अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण

(1) बैंक के अधिकारी और कर्मचारी निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे, अर्थात :–

(क) समूह "क" – अधिकारी **कनिष्ठ प्रबंध**

(i) स्केल I (सहायक प्रबंधक) **मध्य प्रबंध**

(ii) स्केल II (प्रबंधक)

(iii) स्केल III (ज्येष्ठ प्रबंधक) **ज्येष्ठ प्रबंध**

(iv) स्केल IV (मुख्य प्रबंधक)

(v) स्केल V (सहायक महा प्रबंधक)

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, किसी अधिकारी को, शाखा अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक या महा–प्रबंधक के रूप में कार्य या उसे अभिहित कार्यों के आधार पर और अधिकारी के वेतनमान पर अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगा।

(ख) समूह "ख" – कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय)

(ग) समूह "ग" –कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय)

(2) इन विनियमों मे किसी बात के होते हुए भी, बैंक में सेवारत अधिकारी या कर्मचारी के सभी काडरों या प्रवर्गों को सभी समय बैंक की अपेक्षा के अनुरूप गठित होंगे।

4. नैमित्तिक कर्मचारी– इन विनियमों में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी ऐसे साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन और प्रायोजित बैंक के परामर्श से, नैमित्तिक आधार पर समूह "ग" में व्यक्तियों को किसी अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए किसी वर्ष में 90 दिनों से अनधिक किसी अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा।

5. बैंक की सेवा में अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति– (1) अध्यक्ष, अधिकारी के संबध में नियुक्त प्राधिकारी होगा और कर्मचारियों के संबध में नियुक्त प्राधिकरी महाप्रबंधक होगाः

परन्तु यदि महाप्रबंधक के पद पर कोई पदधारी नहीं है तो कर्मचारियों के संबंध में भी अध्यक्ष नियुक्त प्राधिकारी होगा।

(2) विनियम 4 में उपबंधित के सिवाय, अधिनियम की धारा 29 के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसरण में बैंक में सभी नियुक्तियां होंगी।

(3) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा में पहली नियुक्ति पर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र देना होगा जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट हो सकेगा।

(4)(i) **निरर्हता**– वह अधिकारी या कर्मचारी –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी;

(ii) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर अनुसूची–1 के अनुसार अपनी वैवाहिक प्रास्थिति की घोषणा देगा।

6. वेतनमान और भत्ते– विनियम 3 में निर्दिष्ट किसी समूह में किसी पद पर नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी के वेतन, भत्ते और वेतनवृद्धियों अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर यथाअवधारित की जाये, होगी।

7. सेवा का प्रारंभ– बैंक में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा का प्रारम्भ उसे नियुक्ति के लिए किये गये प्रस्ताव के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण में किसी पद पर कर्तव्य के लिए वह रिपोर्ट करता है पर किसी कार्य दिवस से प्रारंभ होती होगी :

परंतु ऐसे कार्य दिवस के मध्याह्न में उसके पद ग्रहण करने की दशा में उक्त दिन के लिए वेतन और भत्ते पाने का हकदार नहीं होगा।

8. परिवीक्षा–

(1) समूह "क" पद पर सीधे नियुक्त कोई अधिकारी 2 वर्ष की परिवीक्षा पर होगा जिसे नियुक्त अधिकारी द्वारा एक वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) समूह "क" स्केल 1 में किसी पद पर प्रोन्नत कोई कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा जिसे नियुक्त अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक किसी अवधि के विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) (क) समूह "ख" या समूह "ग" में सीधे नियुक्त कोई कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा जिसे नियुक्त अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक किसी अवधि के विस्तारित किया जा सकेगा ;

(ख) समूह "ग" के किसी कर्मचारी को समूह "ख" में किसी पद पर प्रोन्नति पर परिवीक्षा की अवधि छह मास के लिए होगी जिसे नियुक्त अधिकारी द्वारा तीन मास से अनधिक किसी अवधि के विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) किसी अधिकारी या कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि उसके द्वारा असाधारण छुट्टी लेने पर या परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका कार्यसंपादन नियुक्त प्राधिकारी की राय में असमाधानप्रद था, अनुज्ञेय सीमा तक विस्तार विस्तारित कर सकेगा।

9. पुष्टिकरण–

(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक की सेवा में पुष्ट होगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी परिवीक्षा समाधानप्रद रूप में पूर्ण कर ली है।

(2) जहां परिवीक्षा अवधि के दौरान जिसके अर्न्तगत परिवीक्षा की विस्तार की अवधि भी है, यदि कोई हो, नियुक्त अधिकारी की राय है कि यथा–स्थिति, अधिकारी या कर्मचारी उक्त पद पर पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है, –

(क) सीधे नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी की दशा में उसकी सेवाएं एक मास की सूचना या उसके बदले वेतन देने के पश्चात समाप्त हो सकेंगीं;

(ख) किसी कर्मचारी की दशा में जो समूह "ख" से समूह "क" के स्केल 1 या समूह "ग" से समूह "ख" में प्रोन्नत है वह उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा जिससे वह प्रोनन्त हुआ था।

10. सूचना द्वारा सेवा की समाप्ति–

(1) (क) कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक में अपनी सेवाओं को नियुक्त अधिकारी को अपनी सेवा जारी न रखने का पद त्याग के अपने आशय की लिखित में पहले सूचना दिये बिना अपनी सेवा का त्याग या छोड़ नहीं सकेगा;

(ख) सूचना की अवधि,—

(i) पुष्ट अधिकारी या पुष्ट कर्मचारी की दशा, तीन मास

(ii) अधिकारी या कर्मचारी जो परिवीक्षा पर हैं, एक मासअपेक्षित होगी।

(ग) उपविनियम (1) के खंड (ख) के भंग की दशा में, कोई अधिकारी या कर्मचारी उसे अपेक्षित सूचना की अवधि के लिए अपने वेतन के समान किसी रकम को प्रतिकर के रूप में बैंक को देने के लिए दायी होगा।

(2) उपविनियम (1) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी अधिकारी या कर्मचारी जिसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात हैं या लंबित हैं, नियुक्त अधिकारी की पूर्व अनुमोदन के बिना बैंक से अपनी सेवाओं का त्याग या विरत या पदत्याग नहीं कर सकेगा और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र की कोई सूचना ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के पहले या उसके दौरान प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे सक्षम प्राधिकारी स्वीकार नहीं करता है।

स्पष्टीकरण— इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अनुध्यात या लंबित समझी जाएगी यदि वह निलंबन या कोई उसे कारण बताओ सूचना जारी की गई है कि क्यों न उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है।

11. अधिवर्षिता और सेवानिवत्ति— (1) किसी अधिकारी या कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होगाः

परंतु अध्यक्ष, उपविनियम (3) के अधीन गठित विशेष पुनर्विलोकन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर, 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बैंक में कुल सेवा के 30 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, इसमें से जो पूर्वत्तर हो, किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकेगाः

परंतु यह और कि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस उपविनियम के अधीन सेवानिवृत्त नहीं होगा जब तक कि किसी अधिकारी की दशा में कम से कम तीन मास और किसी कर्मचारी की दशा में एक मास की लिखित सूचना न दे दी गई हो या इसके बदले में किसी अधिकारी की दशा में तीन मास या किसी कर्मचारी की दशा में एक मास के वेतन के समतुल्य रकम का संदाय ऐसे अधिकारी या कर्मचारी कर दिया गया हो :

परंतु यह और कि भी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित होता है वह ऐसे आदेश पारित होने की तारीख एक मास के भीतर अध्यक्ष के विनिश्चय के विरूद्ध बोर्ड को लिखित में प्रतिवेदन देगा और बोर्ड ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति पर तीन मास की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय करेगा।

(2) जहां बोर्ड यह विनिश्चय करता है कि अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश न्यायनुमत नहीं है तो यह संबद्ध अधिकारी या कर्मचारी को पुनर्स्थापित होगा जैसे यदि अध्यक्ष द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया है।

(3) अध्यक्ष एक विशेष पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगा जो बोर्ड के तीन से अन्यून सदस्यों से गठित होगी जो यह पुनर्विलोकन करेगी कि क्या कोई अधिकारी या कर्मचारी विनियम (1) के अनुसरण में सेवानिवृत्त होंगे।

(4) विशेष पुनर्विलोकन समिति समय समय पर प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के मामले का पुनर्विलोकन करेगी और अध्यक्ष को अपनी सिफारिश करेगी।

स्पष्टीकरण— इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अधिकारी या कर्मचारी,—

(i) वह जिनकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की पहली तारीख पर जन्मतिथि है पूर्वमास की अंतिम तारीख पर जिसको वह अधिवर्षिता की आयु पूरी करता है ;

(ii) जो किसी तारीख पर जो किसी कलेंडर मास के दौरान पहले दिन से भिन्न पर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है,

उक्त मास की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होगा।

अध्याय 3

सेवा, ज्येष्ठता, प्रोन्नति और प्रतिवर्तन के अभिलेख

12.सेवा का अभिलेख— बैंक, यथास्थिति, किसी अधिकारी या कर्मचारी के सेवा अभिलेख रखेगा और ऐसे स्थान या स्थानों पर ऐसे प्ररूप में रखेगा और उसमें ऐसे जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो बोर्ड द्वारा समय समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।

13.ज्येष्ठता—

(1) उपविनियम (3), उपविनियम (4) और उपविनियम (5) के उपबंधों और ऐसे विनिर्देश तथा मार्गनिर्देश में, जो बोर्ड द्वारा, समय समय पर, जारी हो सकेंगे, किसी बात के होते हुए भी, बैंक, अधिकारी या कर्मचारियों के प्रत्येक काडर के लिए पृथक ज्येष्ठता सूची और किसी काडर के भीतर प्रवर्ग के प्रकार में ज्येष्ठता सूची रखेगा।

(2) ज्येष्ठता सूची ऐसे अंतरालों पर पुनर्विलोकित और अध्यतन होगी जो बैंक द्वारा विनिश्चित हो सकेगी और यथास्थिति, अधिकारियों या कर्मचारियों के मध्य परिचालित की जाएगी।

(3)(क) किसी काडर या वेतनमान में किसी प्रोन्नत अधिकारी या कर्मचारी की ज्येष्ठता या काडर या इसके वेतनमान में उसके नियुक्ति की तारीख के संदर्भ के साथ गणना में होगी ;

(ख) जहां उक्त काडर या वेतनमान में समान सेवा अवधि के दो या अधिक प्रोन्नति अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पूर्ववर्ती काडर या वेतनमान में उनकी ज्येष्ठता के संदर्भ मे उनकी गणना की जाएगी ;

(ग) जहां दो या अधिक प्रोन्नत अधिकारी या कर्मचारी ऐसे पूर्ववर्ती काडर या स्केल में सेवा की समान अवधि रखते हैं, यथास्थिति, पूर्ववर्ती काडर या वेतनमान में उनकी ज्येष्ठता के सन्दर्भ से अवधारित होगी।

(4) शाखा अधिकारी की तुलना में पूर्ववती क्षेत्र अधिकारी या लेखाकारों की परस्पर ज्येष्ठता जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग, बैंककारी प्रभाग नई दिल्ली के पत्र सं. एफ–2/17/79–आरआरबी तारीख 29 अप्रैल, 1980 बैंक द्वारा अंगीकृत किया गया है द्वारा परिचालित पुनरीक्षित वेतनमान जो उस तारीख को बैंक की सेवा में थे, इस प्रकार गणना की जा सकेगी कि सभी तत्कालीन क्षेत्र अधिकारी और/या लेखाकार का रैंक तत्कालीन सभी विद्यमान शाखा अधिकारियों से कनिष्ठ होगा :

परंतु सरकारी पत्र सं. 11–3/90 आरआरवी 1 तारीख 22 फरवरी, 1991 से तत्काल पूर्व यथाविद्यमान किसी काडर या वेतनमान में अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके मध्य समान बनी रहेगी।

(5) किसी बैच में सीधे भर्ती अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता किसी काडर या वेतनमान में उनके चयन के समय उनको आबंटित रैंक के संदर्भ के साथ गणना में होगी :

परंतु यदि अधिकारी या कर्मचारी बैंक को आबंटित साधारण या आरक्षित प्रवर्ग के अधीन भर्ती हुए हैं, इस प्रकार आबंटित ऐसे अभ्यर्थियों के मध्य परस्पर ज्येष्ठता जिन्होंने उसी तारीख को पद ग्रहण कर लिया है ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसरण में बिना आरक्षित प्रवर्ग के लिए कल्पित अंकों को जोड़े बिना होगी।

14. प्रोन्नति– सभी प्रोन्नतियां बैंक के विवेक पर की जाएंगी और कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी पद या काडर में प्रोन्नति को अधिकार के विषय के रूप में दावा नहीं करेगा :

परंतु बैंक में अधिकारियों या कर्मचारियों की प्रोन्नति अधिनियम की धारा 29 के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में होगी।

15. प्रत्यावर्तन– कोई अधिकारी या कर्मचारी जो किसी उच्च काडर या वेतनमान में स्थानापन्न पर नियुक्त है बिना किसी सूचना के जहां वह इस प्रकार स्थानापन्न है किसी भी समय प्रत्यावर्तन का दायी होगा।

अध्याय 4

आचरण, अनुशासन और अपील

16. किसी अधिकारी और कर्मचारी की सेवा का विस्तार– प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी होगा और बैंक के निस्तारण पर होगा, तथा वह ऐसी क्षमता में और ऐसे स्थान पर बैंक को उसके कारोबार में सेवा करेगा जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समय–समय पर उसे निदेश दिए निदेश दिए जाएं जिनकी अधिकारिता, अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन वह तत्समय तैनात है।

17. किसी अधिकारी के कर्तव्य– प्रत्येक अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा जो बैंक के प्रत्येक दिन सामान्य कार्य का कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की समय की अपेक्षा में आवश्यक हों जिसके अंतर्गत बैंक परिसर या शाखा, दस्तावेज और उपस्कर तथा प्राप्ति को संभालना, प्रक्रिया करना, दस्तावेजों और अभिलेखों का प्रचालन और उन्हें प्रेषित करना और ऐसे अन्य विषय जो बैंक के कारबार से संबंधित हों, भी हैं ।

18. विनियम और आदेशों का पालन करने का दायित्व– प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों का पालन करने को सुनिश्चित करेगा और जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समय–समय पर उसे सभी आदेशों और निदेशों का पालन, अनुपालन और आदर करेगा जो उसे दिए जाएं जिनकी अधिकारिता, अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन वह तत्समय तैनात है।

19. गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता– प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक के मामलों और उसके संघटकों की बाबत कड़ी गोपनीयता बनाए रखेगा तथा गोपनीय प्रकृति की किसी जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या तो जनता के किसी सदस्य को या बैंक के कर्मचारिवृंद को प्रकट नहीं करेगा जब तक कि कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के अनुपालन में न हो या किसी ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लिखित रूप में ऐसा करने का अनुदेश न दिया हो और अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट घोषणा जमा करेगा।

20. बैंक के हितों को प्रोन्नति करने की बाध्यता – प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक सेवा करेगा तथा वह बैंक के हितों को प्रोन्नति करने का अधिकतम प्रयास करेगा ओर सरकार के अधिकारियों, बैंक के संघटकों और उपभोक्ताओं से सभी संव्यवहार और व्यवहार में शालीनता तथा सावधानीपूर्वक करेगा।

21. प्रेस, रेडियो इत्यादि को अभिदाय– (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचारपत्र या किसी अन्य आवधिक प्रकाशन के संपादन या प्रबंधन में अपना स्वयं का पूर्ण रूप से या भागतः या संचालन या भाग नहीं लेगा।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना या उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन के सिवाय, रेडियो प्रसारण, टेलीविजन या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यम में या किसी लेख में अभिदाय या कोई पत्र लिखने या तो अपने नाम से या किसी समाचारपत्र या किसी आवाधिक या कोई सार्वजनिक या कोई अन्य दस्तावेज, कागजपत्र या सूचना जो उसकी पदीय हैसियत में उसके कब्जे में आती है अपने नाम से या अनाम या कोई अन्य नाम से प्रकाशित नहीं कराएगा।

(3) कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी शासकीय सामग्री का कोई श्रव्य या वीडियो या फोटो रिकार्डिंग नहीं करेगा या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी शासकीय सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा या नहीं कराएगा।

(4) कोई अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना, कोई पुस्तक या कोई समान मुद्रित सामग्री जिसका वह लेखक है या नहीं, प्रकाशित करेगा या कराएगा :

परंतु यदि ऐसा प्रसारण या अभिदाय या प्रकाशन जो पूर्णतः साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक या सामाजिक लक्षण की है के लिए मंजूरी की अपेक्षा नहीं होगी।

22. अधिकारी या कर्मचारी नियोजन के बाहर या कारबार या पारिवारिक कारबार के उन्नयन में भाग नहीं लेना— कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी बाहरी क्रियाकलाप, नियोजन या कार्यालय चाहे वह वैतनिक हो या अवैतनिक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना, स्वीकार, याचना या मांग नहीं करेगा :

परंतु यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना कोई सामाजिक या पूर्त प्रकृति या किसी साहित्यिक कलात्मक, वृत्तिक या सांस्कृति शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक प्रकृति का कोई कार्य यदाकदा जिससे उसके पदीय कर्तव्यों में कोई व्यवधान नहीं होता है के अधीन करता है :

परंतु यह और कि वह ऐसे कार्य को नहीं करेगा या उसे प्रारंभ नहीं करेगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने का निदेश दिया जाए।

स्पष्टीकरण— इस विनियम के प्रयोजन के लिए,—

(1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी यदि उसके कुटुंब का कोई सदस्य किसी व्यापार या कारबार या बीमा अभिकरण या कमीशन अभिकरण स्वयं का या प्रबंध में लगा हुआ है बैंक को रिपोर्ट देगा;

(2) बीमा अभिकरण या कमीशन अभिकरण या उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके प्रबंधाधीन के कारबार के समर्थन में कोई अधिकारी या कर्मचारी संयाचना करता है इस विनियम का भंग समझा जाएगा;

(3) कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के सिवाय किसी बैंक या किसी अन्य कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है या कोई वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण, प्रोन्नति या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा :

परंतु कोई अधिकारी या कर्मचारी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त कोई तत्स्थानीय विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत शैक्षणिक, वैज्ञानिक या पूर्त सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण, उन्नयन या प्रबंधन में भाग ले सकेगा ;

(4) कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी लोक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा।

23.कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं होगा या उपस्थिति में विलंब नहीं करेगा —
(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं होगा, न ही बीमारी या दुर्घटना की दशा में बैंक को स्वीकार्य किसी चिकित्सा व्यवसायी से किसी उचित चिकित्सीय प्रमाणपत्र को दिए बिना अनुपस्थित नहीं होगा।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो छुट्टी के बिना या अपनी छुट्टी से अधिक रूकने पर अनुपस्थित रहता है ऐसी अनुपस्थिति या अधिक रूकने की अवधि के लिए किसी वेतन और भत्ते को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा वह ऐसे अनुशासनात्मक उपायों का दायी होगा जो सक्षम प्राधिकारी अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु सक्षम अधिकारी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिकारी या कर्मचारी अनुपस्थित बने रहना या अधिक रूकना ऐसी परिस्थितियों के अधीन था जो उसके नियंत्रण से बाहर थी ऐसी अनुपस्थिति या अधिक रूकने को माफ कर सकेगा तथा निदेश देगा कि ऐसी अनुपस्थिति या अधिक रूकने को स्वीकार्य छुट्टी द्वारा विनियमित होगी।

24. स्टेशन से अनुपस्थित— कोई अधिकारी और कर्मचारी पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना अपने मुख्यालय से रातभर अनुपस्थित नहीं रहेगा,—

(1) कोई शाखा अधिकारी/शाखा का प्रभारी अधिकारी की दशा में, क्षेत्रीय प्रबंधक या महाप्रबंधक ;

(2) अन्य दशा में, शाखा अधिकारी/बैंक का प्रभारी अधिकारी।

25. उपहार और दहेज को स्वीकार करने का प्रतिषेध– (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को याचना या स्वीकार या अनुज्ञात नहीं करेगा या उसके निमित्त कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति को बैंक के किसी संघटक या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी या कर्मचारी को कर्मचारी से उपहार स्वीकार नहीं करेगा।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी,–

(क) दहेज को देने या लेने या प्रेरित करने,

या

(ख) कोई दहेज यथास्थिति, किसी वधू या वर के माता–पिता या संरक्षक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः मांग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–इस विनियम के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में समनुदेशित है।

26. स्टाक, शेयर इत्यादि में सट्टेबाजी– कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी संस्था के स्टाक, शेयर, प्रतिभूति या किसी भी प्रकार की वस्तु की सट्टेबाजी नहीं करेगा :

परंतु इस विनियम में की कोई बात किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपने निजी निधि को ऐसी रीति में जिसकी वह इच्छा कर सकेगा के सदभावपूर्वक विनिधान करने से प्रतिषेध करने वाली नहीं समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण,– इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी संस्था के स्टाक, शेयर या प्रतिभूति या किसी प्रकार की वस्तु के बारबार क्रय करने या विक्रय करने को सट्टेबाजी समझा जाएगा।

27. उधार देने या उधार लेने या विनिवेश पर निर्बंधन– (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में,–

(i) अपने कुटुंब के किसी सदस्य को या या किसी ब्रोकर या किसी साहूकार या किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संगम, फर्म, कंपनी या संस्था चाहे वह निगमित हों या न हों जो बैंक से संव्यवहार करती है, किसी धनीय बाध्यता के अधीन अपने को अन्यथा रखते हुए या अपने कुटुंब के किसी सदस्य को उधार लेने या उधार लेने को अनुज्ञात नहीं करेगा ;

(ii) बिना किसी निधि के किसी स्टाक, शेयर या प्रतिभूति का क्रय या विक्रय स्क्रिप्ट को क्रय करने की दशा में या उसके पूर्ण मूल्य को पूरा करना ;

(iii) किसी दौड़ में भाग लेने के लिए ऋण उपगत करना ;

(iv) बैंक के किसी संघटक को अपनी निजी क्षमता में धन उधार देना या विनिमय पत्र, सरकारी प्रपत्र या कोई अन्य प्रतिभूति के क्रय या विक्रय में ऐसे संघटक के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करना; और

(v) किसी अन्य व्यक्ति की धनीय बाध्यताओं को व्यक्तिगत क्षमता में गारंटी देना या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय हानि से अन्य व्यक्ति को ऐसी क्षमता में क्षतिपूर्ति के लिए करार करना :

परंतु कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी नातेदार या व्यक्तिगत मित्र को, बिना ब्याज के कोई छोटी रकम का निश्चित अस्थायी ऋण दे सकेगा या स्वीकार कर सकेगा या सदभावपूर्वक किसी व्यापारी से उधारखाता प्रचालित कर सकेगा या अपने निजी कर्मचारी को कोई अग्रिम दे सकेगाः

परंतु यह और कि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी सहकारी प्रत्यय सोसाइटी जिसका वह सदस्य है से ऋण प्राप्त कर सकेगा या किसी सहकारी प्रत्यय सोसाइटी जिसका वह सदस्य है से अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में प्रतिभूति दे सकेगा।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी दिवाला आभ्यासिक ऋणग्रस्तता से बचने के लिए अपने निजी मामले से प्रबंध करेगा।

(3) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो ऋणग्रस्त है सक्षम प्राधिकारी को अर्धवार्षिक 30 जून और 31 दिसम्बर को अपनी स्थिति की हस्ताक्षरित विवरणी देगा और विवरणी में यह प्रदर्शित करेगा कि अपनी स्थिति के सुधार के लिए उसके द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं।

स्पष्टीकरण– इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऋण में होना समझा जाएगा ;

(i) यदि उसका कुल दायित्व जो पूर्ण सुरक्षित हैं उसकी बारह मास के लिए सारवान वेतन से अधिक हैं अनन्य होंगे ;

(ii) यदि यह प्रतीत होता है कि किसी युक्तयुक्त समय के भीतर अपने व्यक्तिगत स्रोतों से और अपरिहार्य चालू व्ययों को ध्यान में रखते हुए, अपने ऋणों का परिसमापन करने में असमर्थ है, वह दो वर्ष की अवधि के भीतर ऋण में प्रवरित होगा।

(4) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो इस विनियम के अधीन मिथ्या विवरणी देता है या जो विहित विवरणी देने में असफल रहता है या किसी युक्तियुक्त समय के भीतर अपने ऋणों को समाप्त करने में असमर्थ है या किसी दिवालिया न्यायालय के संरक्षण के लिए आवेदन किया है पदच्युति के लिए दायी होगा।

28. जंगम या स्थावर और मूल्यवान संपत्तियां– (1) प्रत्येक अधिकारी अपने पहली नियुक्ति पर अपनी आस्तियों और दायित्वों की निम्नलिखित की बाबत पूर्ण विशिष्टियां देते हुए एक विवरणी देगा–

(क) या तो उसके नाम से या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के नाम से स्थावर संपत्ति जो उसके विरासत या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित या पट्टे पर या बंधक हैं ;

(ख) उसके द्वारा विरासत में या समान रूप से स्वामित्वाधीन या अर्जित या उसके द्वारा धारित शेयर, डिबेंचर और नकद जिसके अंतर्गत बैंक जमा भी है ;

(ग) उसके द्वारा विरासत में या समान रूप से स्वामित्वाधीन या अर्जित या उसके द्वारा धारित अन्य जंगम संपत्ति; और

(घ) उसके द्वारा उपगत ऋण या अन्य दायित्व :

परंतु किसी अधिकारी की दशा में जो इन विनियमों के आरंभ की तारीख को बैंक की सेवा में पहले से ही है इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर विवरण देगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को उक्त वर्ष के 30 अप्रैल से पहले बैंक को स्थावर/ जंगम संपत्ति की विवरणी देगा।

(3) कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को पूर्व सूचना के सिवाय पट्टा बंधक क्रय, विक्रय, उपहार या अन्यथा या तो अपने नाम से या अपने कुटुंब के किसी आश्रित सदस्य के नाम से कोई स्थावर संपत्ति को अर्जित या उसका निपटान नहीं करेगा :

परंतु अधिकारी द्वारा उसे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी,–

(क) अधिकारी के साथ पदीय व्यवहार रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई संव्यवहार किया जाता है; या

(ख) अन्यथा किसी नियमित या ख्यातिप्राप्त व्यवहारी द्वारा ऐसा संव्यवहार किया जाता है।

(4) प्रत्येक अधिकारी, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अपने नाम में या अपने कुटुंब के किसी आश्रित सदस्य के नाम में धारित जंगम संपत्ति से संबंधित प्रत्येक संव्यवहार की रिपोर्ट, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य 25000/– रू. से अधिक है तो सक्षम प्राधिकारी को करेगा :

परंतु यदि ऐसा संव्यवहार–

(क) अधिकारी के साथ, शासकीय रूप से सबंध रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है; या

(ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यैहारी के माध्यम से अन्यथा किया जाता है,

तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त करनी होगी।

(5) पूर्वगामी उप–विनियम में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी समय पर, किसी अधिकारी या कर्मचारी से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके द्वारा या उसकी ओर से धारित या अर्जित या उसके कुटुंब के किसी आश्रित सदस्य के नाम की ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति के विस्तृत और पूरे विवरण, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, की अपेक्षा कर सकेगा और यदि बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे विवरण में ऐसे साधन या स्रोत भी सम्मिलित होंगे जिनके द्वारा ऐसी संपत्ति अर्जित की थी।

29. विवाह संबंधी निर्बन्धन– (1) (i) कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसक पति या पत्नी जीवित है, विवाह या विवाह की संविदा नहीं करेगा।

(ii) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा या विवाह की संविदा नहीं करेगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि,–

(क) ऐसा विवाह ऐसे अधिकारी या कर्मचारी और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है ; और

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं

तो वह ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को खंड (i) या खंड (ii) में यथा–विनिर्दिष्ट किसी ऐसे विवाह को करने या विवाह की संविदा करने से छूट दे सकेगा।

(2) कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिसने भारतीय राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करता है, तुरंत बैंक के इस तथ्य की सूचना देगा।

30. ऋण या आपराधिक आरोप के आधार पर किसी अधिकारी या कर्मचारी की गिरफ्तारी–

(1) किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की प्रक्रिया के अनुसरण में ऋण के लिए या किसी आपराधिक आरोप के आधार पर गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश दिया गया हो तो, यथास्थिति, उसकी गिरफ्तारी और/या निरूद्ध करने की तारीख से उस तारीख तक या ऐसी अवधि के दौरान जो सक्षम प्राधिकारी निदेश करें, निलंबित या निलंबनाधीन समझा जा सकेगा :

परंतु उस अवधि की बाबत जिसके लिए उसे ऐसा समझा जाता है, उसे विनियम 46 में यथा–विनिर्दिष्ट जीवन निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(2) उप–विनियम (1) के अधीन किसी अधिकारी या कर्मचारी को किया गया कोई संदाय उसके वेतन और भत्तों के समायोजन के अध्यधीन होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार और इस विनिश्चय को दृष्टि में रखकर किया जाएगा कि ऐसी अवधि की गणना ड्यूटी की अवधि के रूप में की जाए या छुट्टी की अवधि के रूप में :

परंतु पूर्ण वेतन और भत्ते केवल तभी अनुज्ञेय होंगे यदि ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को,–

(i) ऐसी अवधि के दौरान ड्यूटी पर समझा जाता है; और

(ii) सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निरोध से नियुक्त करने या उसके निरोध को अपास्त करने की दशा में वह सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसे ऐसे अनुचित आचरण का दोषी नहीं पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसका निरोध किया गया था।

(3) (क) कोई अधिकारी या कर्मचारी तब पदच्युति या विनियम 39 में निर्दिष्ट किसी अन्य शास्ति का दायी होगा यदि उसे ऋण के लिए कारावास भेजा जाता है या ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है जिसमें सक्षम प्राधिकारी की राय में या तो नैतिक अधमता अंतर्वलित है या बैंक के किसी कामकाज से संबंधित है या बैंक में अधिकार या कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में है, इस बाबत सक्षम प्राधिकारी की राय निश्चायक होगी और अधिकारी या कर्मचारी पर आबद्धकर होगी ;

(ख) ऐसी पदच्युति या अन्य शास्ति उसके कारावास जाने से या सिद्धदोष ठहराए जाने की तारीख से अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे अधिरोपण पर विनियम 39 की कोई बात लागू नहीं होगी।

(4) जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी को उपविनियम (3) के अनुसरण में पदच्युत किया गया है और उच्चतर न्यायालय द्वारा संबंधित दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया जाता है और अधिकारी या कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया जाता है वहां उसे बैंक की सेवा में बहाल कर दिया जाएगा।

(5) जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी से अनुपस्थिति छुट्टी के बिना है या छुट्टी के उपरांत अनुपस्थिति ऋण के लिए या आपराधिक आरोप के आधार पर उसे गिरफ्तार किए जाने या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में उसे निरूद्ध किए जाने के कारण है, वहां विनियम 23 के उपबंध भी लागू होंगे और उस विनियम के प्रयोजन के लिए उस अधिकारी या कर्मचारी को, यथास्थिति, छुट्टी के बिना स्वयं को अनुपस्थित रखना या उसके नियंत्रण के परे परिस्थितियों के अधीन से अन्यथा छुट्टी के उपरांत अनुपस्थित रहना माना जाएगा।

31. राजनीति में भाग लेने और निर्वाचन लड़ने के लिए प्रतिषेध– कोई अधिकारी या कर्मचारी राजनीति या किसी राजनैतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या विधायी निकाय, नगरपालिका, जिला परिषद् या जिलाबोर्ड या किसी अन्य स्थानीय निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचन नहीं लड़ेगा।

32. कतिपय संगमों, हड़तालों आदि में सम्मिलित होने के लिए प्रतिषेध– (1) कोई अधिकारी जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थान्तर्गत कर्मकार नहीं है–

(क) बैंक के ऐसे कर्मचारियों के, जो अधिनियम के अर्थान्तर्गत कर्मकार है, किसी व्यवसाय संघ का या ऐसे व्यवसाय संघों के परिसंघ का सदस्य या पदधारी नहीं बनेगा या नहीं बना रहेगा अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहबद्ध नहीं होगा या नहीं बना रहेगा।

(ख) अपनी सेवा शर्तों या बैंक के किसी अन्य कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित किसी मामले के संबंध में, किसी प्रकार की हड़ताल का आश्रय नहीं लेगा या उसका किसी प्रकार से दुष्प्रेरण नहीं करेगा या उसके संबंध में किसी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

(2) किसी ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में, जो ऐसे ग्रेड या पद पर कार्यवहन करता है जो कर्मकार का ग्रेड या पद नहीं है, यह विनियम भी उस समय तक लागू होगा जब तक ऐसा कर्मचारी ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद पर कार्यवहन करता है।

(3) कोई कर्मचारी किसी ऐसे संगम का सदस्य नहीं होगा या बना रहेगा जिसके उद्देश्य या क्रियालाप भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, मानहानि, अपराध उद्दीपण के हित के प्रतिकूल है।

33. साक्ष्य देना– (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहां कोई अनुमोदन उपविनियम (1) के अधीन दिया गया है वहां कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसा साक्ष्य देते समय भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा बैंक की नीति या किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।

34. अधिकारी या कर्मचारी के सम्मान में कार्यक्रम– (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, कोई मानार्थ या विदाई अभिनंदन प्राप्त नहीं करेगा या कोई शंसापत्र स्वीकार नहीं करेगा अथवा अपने सम्मान में या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार में भाग नहीं लेगाः

परंतु इस उपविनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी–

(i) किसी अधिकारी या कर्मचारी के सम्मान में या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के अवसर पर या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हाल ही में बैंक की सेवा छोड़ दी है, आयोजित सारभूत रूप से प्राइवेट और अनौपचारिक प्रकृति का कोई विदाई सत्कार समारोह ; और

(ii) अधिकारियों या कर्मचारियों के संगम द्वारा आयोजित सामान्य और सस्ते सत्कार की स्वीकृति।

(2) (क) कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी अधिकारी या कर्मचारी पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव या प्रभाव डालकर उसे किसी विदाई सत्कार समारोह के लिए चंदा देने के लिए उत्प्रेरित या बाध्य नहीं करेगा ;

(ख) कोई अधिकारी या कर्मचारी, किसी उच्चतर ग्रेड वाले किसी अधिकारी या कर्मचारी के सत्कार के लिए किसी मध्यवर्ती या निम्न ग्रेड के अधिकारी या कर्मचारी से विदाई सत्कार के लिए चंदे का संग्रहण नहीं करेगा।

35. संयाचना करना– कोई अधिकारी या कर्मचारी, बैंक में उसकी सेवा से संबंधित विषयों की बाबत उसके हितों को बढ़ाने हेतु किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डलवाएगा या डलवाने का प्रयास नहीं करेगा।

36. अभिदाय– कोई अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी प्रकार के किसी उद्देश्य के अनुसरण में संघटकों या ग्राहकों से कोई निधि उगाहने या अन्य संबंधों के लिए नकद में या वस्तु रूप में अभिदायों के लिए मांग नहीं करेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा या अन्यथा उससे स्वयं को सहबद्ध नहीं करेगा।

37. मादक सामग्रियों का उपभोग– कोई अधिकारी या कर्मचारी,–

(क) जिस क्षेत्र में तत्समय मौजूद हो उस क्षेत्र में मादक पेय, औषधियों या अन्य सामग्रियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का सर्वथा पालन करेगा ;

(ख) अपनी ड्यूटी के अनुक्रम के दौरान किसी मादक पेयों, औषधियों या अन्य सामग्रियों के प्रभाव में नहीं रहेगा और इस बात की सम्यक् सावधानी भी बरतेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों के निष्पादन में ऐसे पेयों, औषधियों या सामग्रियों द्वारा किसी प्रकार से दुष्प्रभाव न पड़े ;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मादक पेयों, औषधियों, अन्य सामग्रियों के उपभोग से विरत रहेगा ;

(घ) मादकता की स्थिति में किसी सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं हेगा।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ''सार्वजनिक स्थान'' से कोई ऐसा स्थान या परिसर अभिप्रेत है जहां जनता को, पैसे देकर या इससे अन्यथा प्रवेश कर सकती है या प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

38. यौन उत्पीड़न– कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यस्थल पर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो किसी स्त्री के यौन उत्पीड़न की कोटि में आता हो।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ''यौन उत्पीड़न'' के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित अवांछनीय लैगिक रूप से कामुक व्यवहार भी है–

(क) शारीरिक स्पर्श और पहल ;

(ख) यौन चाह की मांग या अनुरोध ;

(ग) यौन रंजित अभ्युक्तियां ;

(घ) कोई अश्लील साहित्य दिखाना ; या

(ङ) अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक यौन प्रकृति का आचरण।

39. शास्तियां– इस अध्याय के पूर्वगामी विनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो इन विनियमों का भंग करता है या जो उपेक्षा, अदक्षता या निष्क्रियता प्रदर्शित करता है या जो ऐसे कृत्य करता है जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक है या उसके अनुदेशों के विरोध में है या जो अनुशासन भंग करता है अथवा कदाचार के किसी अन्य कृत्य का दोषी है, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शक्तियों का दायी होगा, अर्थात्:–

1. अधिकारी :

(क) छोटी शास्तियां

(i) परिनिंदा करना ;

(ii) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धि विधारित करना या रोकना ;

(iii) पदोन्नति रोकना ;

(iv) उपेक्षा या आदेश भंग द्वारा बैंक को हुई किसी संपूर्ण धनीय हानि या उसके भाग का उपलब्धियों या ऐसे अन्य रकमों से वसूली जो उसके प्रति शोध्य है ;

(v) संचयी प्रभाव के बिना दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए समय वेतनमान के निरन्तर प्रक्रम तक घटाना।

(ख) मुख्य शास्तियां

(i) विनियम 39 के उपविनियम (1) के खंड (क) की मद (अ) में यथा–उपबंधित के सिवाय किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय वेतनमान में इस बारे में और निर्देशों सहित निम्नतर प्रक्रम तक कमी कि क्या अधिकारी ऐसी कमी की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर कमी का उसके वेतन की भावी वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव होगा या नहीं होगा ;

(ii) निम्नतर ग्रेड या पद में कमी ;

(iii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(iv) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(v) पदच्युति जो सामान्यतः भावी नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित बातें शास्ति की कोटि में नहीं आएंगी, अर्थात्:–

(i) किसी अधिकारी की, उस पद की नियुक्ति के निबंधानुसार, जो उसने धारण किया है, विभागीय परीक्षण या परीक्षा उत्तीर्ण करने में उसकी असफलता के कारण उसकी एक या अधिक वेतनवृद्धि को रोकना;

(ii) दक्षतारोध पार करने की अनुपयुक्तता के आधार पर किसी अधिकारी के समय वेतनमान में उसकी दक्षतारोध पर वेतनवृद्धियों को रोकना ;

(iii) किसी अधिकारी का उस उच्चतर ग्रेड पद के लिए स्थानापन्न कर्तव्यभार न देना या प्रोन्नति न करना, जिसके लिए वह विचार करने हेतु पात्र हो सकेगा किन्तु उसके लिए उसके मामले पर विचार करने के पश्चात् वह अनुपयुक्त पाया जाता है ;

(iv) प्रोन्नति के लिए कतिपय अपेक्षा के पूरा न होने या अनुशासनिक कार्यवाहियों के लंबित रहने जैसे कारणों के लिए किसी अधिकारी की प्रोन्नति को रोकना या स्थगित करना ;

(v)उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न किसी अधिकारी का इस आधार पर कि उसे विचारण के पश्चात् या उसके आचरण से असबद्ध प्रशासनिक आधारों पर ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त समझा गया, निम्नतर ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन ;

(vi) परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में किसी अन्य ग्रेड या पद के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किसी अधिकारी का, उसकी नियुक्ति के निबंधनों, या नियमों अथवा ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले आदेशों के अनुसार पूर्व ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन ;

(vii) प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी का उसके मूल संगठन में प्रतिवर्तन ;

(viii) किसी अधिकारी की,–

(क) किसी संविदा या करार के अधीन से अन्यथा अस्थायी हैसियत में नियुक्त उस अवधि की समाप्ति पर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया या उससे पूर्व उसकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार ;

(ख)किसी संविदा या करार के अधीन नियुक्ति, ऐसी संविदा या करार के निबंधनों के अनुसार ;

(ग)छंटनी के भाग रूप में, सेवा की समाप्ति :

परंतु विनियम 39 के उप विनियम (1) के खंड (क) की मद (प) से मद (अ) में यथा विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक अधिरोपित नहीं की जाएंगी जब तक अधिकारी को लिखित में निम्नलिखित सूचना नहीं दे दी जाती,–

(i) उसे उन आधारों की सूचना देना जिसके आधार पर उसने उक्त शास्तियों के अधिरोपण का प्रस्ताव किया है ;

(ii) उसे सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर लिखित में प्रतिरक्षा का कथन तैयार करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देना और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा के कथन, यदि कोई हो, पर सुनवाई के पश्चात् विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट प्रमुख शास्तियों में से किसी शास्ति के अधिरोपण का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित किसी आदेश के सिवाय, नहीं किया जाएगा और लिखित में आरोप या आरोपों को विरचित किए बिना और अधिकारी को दिए बिना और इस जांच किए बिना कि उसके पास आरोप या आरोपों का उत्तर देने और स्वयं की प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर रहे, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि कोई जांच नहीं की जाएगी, यदि,—

(i) यदि ऐसे मामलों में कदाचार साबित हो जाता है, बैंक का हटाए जाने या पदच्युति का दण्ड अधिरोपित करने का आशय नहीं है ; और

(ii) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी की है जिसमें उसे कदाचार और उस दंड की सूचना दी गयी है जिसका वह ऐसे कदाचार के लिए दायी हो सकेगा ; और

(iii) अधिकारी ने पूर्वोक्त कारण बताओ सूचना के अपने जवाब में स्वयं के दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है ;

2. कर्मचारी :

(क) छोटी शास्तियां :

(i) परिनिंदा ;

(ii) उसके विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां अभिलिखित करना ;

(iii) छह माह से अनधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोके रखना ;

(ख) मुख्य शास्तियां :

(i) जुर्माना ;

(ii) छह मास से अनधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धि (वृद्धियां) रोके रखना ;

(iii) विशेष भत्ते वापस लेना ;

(iv) यदि कोई कर्मचारिवृंद अधिकतम वेतनमान पर पहुंच जाता है तो दो वर्ष की अधिकतम अवधि तक अगले निम्नतर प्रक्रम तक वेतन को घटाना ;

(v) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(vi) पदच्युति :

परंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियम 39 के उप विनियम (2) के खण्ड (ख) की मद (प) से मद (अप) में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य शास्तियां तब तक अधिरोपित नहीं की जाएंगी जब तक—

(i) आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो और ऐसा कोई आदेश, लिखित में आरोप (आरोपों) का विरचित किए बिना और कर्मचारी को दिए बिना और जांच किये बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(ii) उसे लिखित में आरोप (आरोपों) का उत्तर देने और स्वयं की प्रतिरक्षा करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि,—

(i) कदाचार ऐसा है कि यदि साबित भी हो जाता है तो भी बैंक का आशय हटाए जाने या पदच्युति का दंड अधिरोपित करने का नहीं है ; और

(ii) बैंक कर्मचारी को कारण बताओ सूचना जारी की है जिसमें उसे कदाचार और उस दंड की सूचना दी है, जिसका वह ऐसे कदाचार के लिए दायी हो सकेगा ; और

(iii) कर्मचारी ने पूर्वोक्त कारण बताओ सूचना के अपने जवाब में स्वयं के दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है।

40. प्रक्रिया का अधित्यजन— सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियम 39 की अपेक्षाओं का अधित्यजन किया जा सकेगा,—

(क) यदि वह तथ्य जिसके आधार पर अधिकारी या कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित की जाती है, न्यायालय या सेवा न्यायालय में स्थापित कर दिया गया है ; या

(ख) जहां अधिकारी या कर्मचारी को आपराधिक आरोप के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है;

(ग) जहां अधिकारी या कर्मचारी फरार हो गया है ; या

(घ) जहां किसी अन्य कारण से अधिकारी या कर्मचारी को इसी संसूचना देना असाध्य हो गया है; या

(ङ) जहां युक्तियुक्त रूप से विनियम 39 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना साध्य नहीं है;

परंतु विनियम 39 की अपेक्षाओं का तब तक अधित्यजन नहीं किया जा सकेगा जब तक ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते हैं।

41. जांच करने की शक्ति का प्रत्यायोजन– सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित को प्रत्यायोजन कर सकेगा–

(i) अधिकारी की दशा में, कोई ऐसा अधिकारी, जो उस अधिकारी से उच्चतर वेतनमान में है, जिसके विरूद्ध में कार्यवाहियां आरंभ की जाती है ;

(ii) कर्मचारी की दशा में, विनियम 39 के अधीन जांच करने के लिए कोई अधिकारी :

परंतु सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से बैंक में कार्यरत किसी ऐसे अधिकारी को नाम निर्देशित कर सकेगा, जिसके अंतर्गत वे अधिकारी, जो किसी अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं, या कोई लोक सेवक जो उस अधिकारी या कर्मचारी से उच्चतर वेतनमान में हैं जिसके विरूद्ध कार्रवाहियां आरंभ की गई हैं, भी हैं।

42. सामान्य जांच– इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी घटना में भिन्न–भिन्न ग्रेडों के दो अधिकारी या एक अधिकारी अथवा एक कर्मचारी संयुक्त रूप से अंतर्गस्त है और उन दोनों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की जानी हैं और अध्यक्ष की यह राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और कर्मचारी दोनों की बाबत सक्षम अधिकारी एक ही होना चाहिए तो अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि अधिकारी की बाबत सक्षम प्राधिकारी, अंतर्गस्त अधिकारी और कर्मचारी दोनों की बाबत सक्षम प्राधिकारी होगा और दोनों के विरूद्ध आरोपों में सामान्य जांच की जाएगी।

43. भ्रष्ट आचरण– इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित उपबंध वहां लागू होंगे जहां यह अभिकथन किया जाता है कि अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, अर्थात्–

(क) जहां यह अभिकथन किया जाता है कि कोई किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास आनुपातिक आस्तियां हैं या उसने आपराधिक कदाचार का कृत्य कारित किया है या ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य अपेक्षित है जो बैंक के अधिकारी या कर्मचारी नहीं हैं या जहां अध्यक्ष की राय में अभिकथनों का अन्वेषण बैंक द्वारा सुविधाजनक रूप से नहीं किया जा सकता है वहां अभिकथनों का अन्वेषण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकारी को सौंपी जा सकेगी जिसका अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किया जाए;

(ख) यदि अन्वेषण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने का यह प्रथम दृष्टया मामला है तो वह अन्वेषण रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिश्चित किया जाए, उसकी यह सलाह लेने के लिए कि क्या संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए, भेज सकेगा ;

(ग) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकारी की सलाह पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की जा सकती है तो इन विनियमों के अधीन जांच, विभागीय जांच आयुक्त या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए, सौंपी जा सकेगी;

(घ) विभागीय जांच आयुक्त या केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामनिर्देशित कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उसकी सलाह के लिए अग्रेषित करेगा कि क्या, यथास्थिति आरोप या आरोपों को विरचित किया जाए या किए जाएं और विनियम के अधीन विनियम 39 के अधीन शास्ति या शास्तियां अधिरोपित की जाएं ।

(च) सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विचार करने के पश्चात शास्ति अधिरोपित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी को भ्रष्ट आचरण का दोषी तब समझा जाएगा यदि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13, धारा 14, धारा 15 और धारा 16 में यथा परिभाषित आपराधिक कदाचार का कृत्य करता है या वह अनुचित प्रयोजन के लिए या भ्रष्ट रीति में कार्य करता है या वह अनुचित या भ्रष्ट हेतु के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से विरत रहता है।

44. विधिक व्यवसायी को विनियोजित करने का निर्बंधन— इन विनियमों के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी विधिक व्यवसायी को नियोजित नहीं करेगा।

45. सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाहियां— (1) कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जो कदाचार को आरोप के आधार पर निलंबनाधीन है और जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के चालू रहने और उसके निष्कर्ष और उसपर अंतिम आदेश जारी करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् भी सेवा में समझा जाएगा।

(2) ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो निलम्बनाधीन है, अधिवर्षिता के तारीख के पश्चात् की अवधि के लिए किसी जीवन निर्वाह भत्ते का पात्र नहीं होगा।

(3) ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई है, अधिवर्षिता की तारीख पर सेवा में नही रहेगा किंतु अनुशासनात्मक कार्यवाही इस प्रकार चालू रहेगी मानो जब तक कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती और उसके संबंध में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता, वह सेवा में था।

(4) ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई है, अधिवर्षिता की तारीख के पश्चात् कोई वेतन और/या भत्ते प्राप्त नहीं करेगा और कार्यवाही पूरी होने और उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक अभिदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में अपने स्वयं के अभिदाय के सिवाय किसी अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के संदाय का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषाधिकार छुट्टी और उपदान के भुगतान जैसे सामान्य सेवानिवृत्ति फायदे, अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूरा होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक रोका जा सकेगा और फायदों का निर्मोचन सक्षम प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार किया जायेगा।

46. निलंबन— सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकेगा और ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार होगा, अर्थात्—

1. किसी अधिकारी की दशा में :

(अ) मूल वेतन

(i) निलम्बन के पहले तीन मास में जांच की प्रकृति पर विचार किए बिना उस मूल वेतन का एक तिहाई जो अधिकारी, निलंबन की तारीख से पूर्व की तारीख को आहरण कर रहा था,—

(ii) पश्चातवर्ती अवधि के लिए,—

(क) जहां जांच बैंक द्वारा विभागीय तौर पर की जाती है वहां अधिकारी के उस मूल वेतन का 1/2 भाग जो अधिकारी निलंबन की तारीख से पूर्व तारीख को आहरण कर रहा था ;

(ख) जहां जांच किसी बाहरी अभिकरण द्वारा की जाती है वहां अगले तीन मास के लिए मूल वेतन का एक तिहाई और निलंबन की शेष अवधि में एक बटा दो (1/2) ;

(आ) भत्ते :

निलंबन की पूरी अवधि के लिए, यदि कोई हो, विशेष भत्ते के सिवाय, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्तों की संगणना विनियम 46 के उपविनियम (i) के खंड (क) की मद (i) और (ii) में यथा विनिर्दिष्ट घटाए गए वेतन के आधार, वर्तमान दरों पर या अधिकारियों के उसी प्रवर्ग को लागू दरों पर की जाएगी।

2. कर्मचारी :

(अ) मूल वेतन—

(i) निलम्बन के पहले तीन मास में जांच की प्रकृति पर विचार किए बिना उस मूल वेतन का एक तिहाई जो उस कर्मचारी को निलंबन की तारीख के पूर्व की तारीख को मिल रहा था ;

(ii) पश्चात्वर्ती अवधि के लिए :

(क) जहां जांच बैंक द्वारा विभागीय तौर पर की जाती है वहां उस मूल वेतन का आधा (1/2) जो कर्मचारी के निलंबन की तारीख से पूर्व की तारीख को ले रहा था ;

(ख) एक वर्ष पश्चात्, पूरा वेतन, यदि विभागीय जांच में विलंब संबंधित कर्मचारी या उसके किसी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के कारण नहीं होता है ;

(ग) जहां जांच किसी बाहरी अभिकरण द्वारा की जाती है और उक्त अभिकरण कर्मचारी को अभियोजित नहीं करने के निष्कर्ष पर पहुंचता है तो ऐसे अभिकरण की रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से छह मास के पश्चात या निलंबन के एक वर्ष

पश्चात्, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, और जांच में विलंब कर्मचारी या उसके प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) कारण नही होने की दशा में, पूरा वेतन संदेय होगा।

(आ) भत्ते :

निलंबन की पूरी अवधि के लिए विशेष भत्ते के सिवाय, यदि कोई हो, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्तों की संगणना विनियम 46 के उपविनियम (2) के खंड (अ) की मद (i) और (ii) के निबंधनों में यथा विनिर्दिष्ट घटाए गए वेतन पर वर्तमान दरों पर या कर्मचारियों के समान प्रवर्ग को लागू दरों पर की जाएंगी :

परंतु कोई अधिकारी या कर्मचारी तब तक जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जब तक वह इस बात की घोषणा नहीं करता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा है :

परंतु यह और कि निलंबन की अवधि के दौरान यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी, अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कारण सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से उसे कोई जीवन निर्वाह भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा।

47. जीवन निर्वाह भत्ते से वसूली–किसी अधिकारी या कर्मचारी को संदेय निर्वाह भत्ते से सभी अनिवार्य कटौतियां और बैंक द्वारा दिए गए अप्रतिभूत ऋण और अभिदायों, यदि कोई हो, की सभी किश्तों की वसूली की जाएगी।

48. निलंबन अवधि और सहबद्ध विषयों का निरुपण– (1) सक्षम प्राधिकारी, शास्ति अधिरोपित करते समय, यह निदेश दे सकेगा कि क्या अधिकारी या कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते और उन परिलब्धियों के, जो वह ऐसे निलंबन के लिए या उस अवधि के लिए जिसमें वह निलम्बनाधीन था, बीच का अंतर संदत्त किया जाएगा और यदि सक्षम प्राधिकारी इससे अन्यथा विनिश्चित करता है तो ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे जीवन निर्वाह भत्ते का प्रतिदाय करने हेतु बाध्य करे।

(2) उस अवधि को, जिसके दौरान अधिकारी या कर्मचारी निलंबित रहता है, यदि उससे हटाया या पदच्युत नहीं किया जाता है ड्यूटी पर बिताई गई अवधि या इसके अन्यथा सक्षम प्राधिकारी जो निदेश करे, के रूप में मानी जाएगी।

49. अपील का अधिकार– (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर विनियम 50 में उल्लिखित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकारी अधिमानतः अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा और आदेश पारित करेगा।

50. 'अपील प्राधिकारी– कोई अपील निम्नलिखित के समक्ष की जाएगी,–

(i) बोर्ड, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है;

(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबन्धक सक्षम प्राधिकारी है; और

(iii) महाप्रबन्धक जहां सक्षम अधिकारी विनियम 2 (1) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (पपप) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किया गया हो।

('भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एफ. न0 7/20/2012–आर.आर.बी. दिनांकित, नई दिल्ली 20 दिसम्बर 2012 के आधार पर संशोधित)

51. अपील की अपेक्षाएं– प्रत्येक अपील में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) यह लेखबद्ध रूप में तथा शिष्ट और सम्मानीय भाषा में व्यक्त की जाएगी और अनापेक्षित विस्तार और अतिशय शब्दाडम्बर से मुक्त होगी।

(ii) इसमें ऐसे सभी वृत्तिक कथन और दलीलें अंतर्विष्ट होंगी जिनका आलम्ब लिया है और यह अपने आप में पूर्ण होगी ;

(iii) इसमें वांछित अनुतोष विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(iv) यह निदेशक को व्यक्तिगत रूप से संबोधित नहीं की जाएगी।

अध्याय 5

वेतन और भत्ते

52. कब प्रोद्भूत और संदेय होंगे–

इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वेतन और भत्ते, किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के प्रारंभ से प्रोद्भूत होंगे और प्रत्येक मास के अन्तिम कार्यदिवस को उक्त मास के दौरान की गई सेवा की बाबत संदेय हो जाएंगे।

53. कब वेतन और भत्ते समाप्त होंगे–

किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा समाप्त होते ही वेतन और भत्तों का प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा।

परंतु यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी, बैंक की सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है तो अधिकारी या कर्मचारी के वेतन और भत्ते पदच्युति की तारीख से समाप्त हो जाएंगे :

परंतु यह और कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु सेवा में हो जाती है तो वेतन और भत्ते उस पश्चात्वर्ती तारीख से समाप्त हो जाएंगे जिसको मृत्यु होती है।

54. वेतन वृद्धि–

किसी वेतनमान में वेतनवृद्धि, उस वेतनमान के प्रत्येक प्रक्रम पर सेवा की प्रत्येक विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर प्रोद्भूत होगी, चाहे ऐसी अवधि परिवीक्षा की, स्थानापन्न कीया सारभूत हो :

परंतु कोई अधिकारी या कर्मचारी मास के प्रथम दिन, जिसमें यह आता है, इसमें उद्भूत की तारीख को ध्यान दिए बिना, को वेतन वृद्धि लेगा।

अध्याय 6

छुट्टी और पदग्रहण का समय

55. छुट्टी के प्रकार– इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कोई अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियों के लिए पात्र होगा, अर्थात् :–

(क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) विशेषाधिकार छुट्टी

(ग) बीमारी की छुट्टी

(घ) असाधारण छुट्टी

(ङ) विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी

(च) प्रसूति छुट्टी, और

(छ) पितृत्व अवकाश

56. छुट्टी मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी–सक्षम प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी विनियम 55 में यथाविनिर्दिष्ट किसी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी दे सकेगा।

57. छुट्टी से इंकार या छुट्टी से किसी अधिकारी या कर्मचारी को वापस बुलाने की छुट्टी– (1) छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, जब बैंक की सेवा की अत्यावश्यकता अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा किसी प्रकार की छुट्टी का नामंजूर या प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(2) जब कभी बैंक ऐसा करना ठीक समझे, सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी या कर्मचारी को वापस बुला सकेगा जो बैंक में अपने कर्तव्य ग्रहण करने पर छुट्टी पर था :

परतु यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय के बाहर है तो वह अपने और अपने कुटुंब के सदस्यों द्वारा मुख्यालय लौटने के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक व्ययों को संदत्त किए जाने के लिए पात्र होगा।

58. छुट्टी से वापस आने पर रिपोर्ट करने का स्थान– कोई अधिकारी या कर्मचारी जो छुट्टी पर है, जब तक इसके विरूद्ध अन्यथा कोई अनुदेश न जारी किया गया हो, उसी स्थान पर ड्यूटी पर वापस आएगा जहां वह छुट्टी पर जाने से पूर्व तैनात था।

59. निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी के लिए छुट्टी अनुज्ञेय नहीं– किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी जो निलंबनाधीन है।

60. आकस्मिक छुट्टी– (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी एक कलेंडर वर्ष में पूरी परिलब्धियों पर 12 कार्यदिवस की आकस्मिक छुट्टी ले सकता है :

परंतु एक समय में चार दिन से अधिक की आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है :

परंतु यह और कि ऐसी छुट्टी के साथ अवकाश वाले दिनों और रविवारों को ऐसी रीति से नहीं जोड़ा जाएगा कि एक वर्ष में अनुपस्थिति बढ़कर छह दिन से अधिक हो जाए।

(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी की उसकी सेवा के प्रथम कैलेंडर वर्ष पूरे हुए प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक दिन की दर से समानुपातिक आधार पर अनुज्ञेय होगी।

(3) (क) किसी अधिकारी के संबंध में किसी कैलेंडर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी अगले वर्ष में बीमारी की छुट्टी के आगे या पीछे जोड़ दी जाएगी।

(ख) किसी कर्मचारी के संबंध में किसी कैलेंडर वर्ष में उसके द्वारा नही ली गई आकस्मिक छुट्टी की पूर्ण पर्याप्त वेतन पर बीमारी की छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह बीमारी की छुट्टी विनियम–62 में विनिर्दिष्ट पात्र बीमारी की छुट्टी सीमाओं के अतिरिक्त होगी।

(4) आकस्मिक छुट्टी, उपविनियम (3) के खंड (क) के अधीन यथा उपबंधित छुट्टी के सिवाय आकस्मिक छुट्टी, विनियम 64 के अधीन विशेष आकस्मिक छुट्टी विनियम 65 के अधीन प्रसूति छुट्टी के विनियम 66 के अधीन पितृत्व छुट्टी के सिवाय किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मंजूर नहीं की जा सकती है।

61. विशेषाधिकार छुट्टी–(1) अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर सेवा के 11 दिन के लिए लिए एक दिन के हिसाब से संगणित विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा :

परंतु उसकी सेवा पर कार्यभार ग्रहण करने पर सेवा के ग्यारह महीने पूरे होने से पूर्व कोई विशेषाधिकार छुट्ट नहीं ली जाएगी।

(2) अधिकारी या कर्मचारी किसी भी समय अपने द्वारा अर्जित विशेषाधिकार छुट्टी में से ली गयी छुट्टी को घटाकर शेष बची विशेषाधिकार छुट्टी में से ली गई छुट्टी को घटाकर शेष बची विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा।

(3) विशेषाधिकार छुट्टी पर चलने वाला अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी की अवधि के लिए पूरी परिलब्धियां पाने का हकदार होगा।

(4) 31 दिन 1989 तक संचयित 180 दिन की अवधि के लिए विशेषाधिकार छुट्टी और 1 जनवरी, 1990 से 240 दिन से अनधिक की विशेषाधिकार छुट्टी संचित की जा सकती है।

(5) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार छुट्टी के लिए आवेदन उस तारीख से एक मास पूर्व प्रस्तुत की जाएगी जिसको ऐसी छुट्टी अपेक्षित है।

(6) वह आवेदन जिसमें उपनियम (5) की अपेक्षा का समाधान नहीं होता है और किसी कारण को बताए बिना इंकार किया जा सकता है :

परंतु यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अपेक्षा संभव नहीं थी तो वह अपने विवेकानुसार अपेक्षा को हटा सकेगा।

62. बीमारी की छुट्टी और अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी–

(क) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी अग्रिम में चिकित्सा छुट्टी पंद्रह दिन की दो किस्तों में प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन में नामे डाली जाएगी।

(2)(क) इस छुट्टी को सेवा के प्रत्येक पूरे कैलेंडर मास के लिए 5/2 दिन की दर से उक्त छुट्टी खाते में नामे डाला जाएगा जिसे वह उस कैलेंडर वर्ष जिसमें वह नियुक्त किया गया है की बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी में देगा।

(ख) बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी, जिसमें अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्याग पत्र देने वाला है, के लिए सेवानिवृत्ति और त्याग–पत्र की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेन्डर मास के लिए 5/2 दिन की दर से जमा करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(ग) जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाता है या सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तब उस कैलेंडर मास जिसमें उसे सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है या उसकी मृत्यु हो गयी है, के पहले वाले कैलेंडर मास के अंत तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर मास में 5/2 दिन की दर से बीमारी छुट्टी चिकित्सा छुट्टी को जमा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(घ) जहां अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि को बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी ''छूट दिवस'' के रूप में माना गया है, वहां अगली बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी के शुरू होने पर जमा की जाने वाली उसकी बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी को अधिकतम 10 दिन के अध्यधीन ''छूट दिवस'' अवधि के एक के अठारहवें भाग से घटा दिया जाएगा :

परंतु बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उसकी समस्त सेवा के दौरान संचित की जा सकती है, अर्थात् :–

(i) अधिकारी या कर्मचारी, बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी की अवधि के दौरान एक महीने की पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने का पात्र होगा :

परंतु यदि अधिकारी या कर्मचारी ऐसी वांछा करे तो बैंक उसे मंजूर की गई बीमारी की छुट्टी के किसी भी भाग के संबंध में पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि उसकी बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी के इस प्रयोजन के लिए खाते में से दुगुनी अवधि की छुट्टियां घटा दी जाएंगी।

(ii) सेवा के प्रथम वर्ष के दौरान बीमारी की छुट्टी या चिकित्सा की छुट्टी समानुपातिक आधार पर मंजूर की जाएगी।

(iii) बैंक को स्वीकार्य किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके ही केवल बीमारी की छुट्टी या चिकित्सा की छुट्टी ली जा सकती है।

(iv) बीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी की समाप्ति पर फिर से ड्यूटी पर आने के इच्छुक अधिकारी या कर्मचारी से बैंक इस आशय का मान्यताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि अब वह ड्यूटी पर आने योग्य है।

स्पष्टीकरण :– इस विनियम के प्रयोजन के लिए–

1. ''1 सितंबर, 1987'' तक कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवा में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन की बीमारी की छुट्टी या चिकित्सा की छुट्टी का पात्र होगा। ऐसी छुट्टी 180 दिन तक संचित की जाती है।

2. 1 सितम्बर, 1987 से 18 अक्टूबर, 2005 तक अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 20 दिन की बीमारी की छुट्टी या चिकित्सा की छुट्टी का पात्र होगा।

3. 19 अक्तूबर, 2005 से कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 18 मास के अध्यधीन रहते हुए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिन की बीमारी की छुट्टी या चिकित्सा की छुट्टी का पात्र होगा और ऐसी छुट्टी पूर्ण सेवा के दौरान 540 दिन की अवधि के लिए संचयित की जा सकती है और बैंक या इसकी लागत पर नामनिर्दिष्ट बैंक के विवेकानुसार उसको स्वीकार्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने पर ही प्राप्त की जा सकेगी।

4. 19 अक्तूबर, 2005 से, जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसने सेवा के 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वह अधिकतम 90 दिन के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिन की अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी का पात्र होगा।

63. असाधारण छुट्टी– (1) अधिकारी या कर्मचारी को असाधारण छुट्टी तभी जाएगी जब उसके पास कोई साधारण छुट्टी शेष न हो और जब तक उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीमारी छुट्टी को न्यायोचित नहीं माना जाता है।

(2) अधिकारी या कर्मचारी को मंजूर की जाने वाली असाधारण छुट्टी की अवधि किसी भी समय 90 दिन या उसकी सेवा की समस्त अवधि के दौरान 360 दिन से अधिक नहीं होगी :

परंतु आपवादिक परिस्थितियों में, अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी को कुल 720 दिन की अवधि तक असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है :

परंतु यह और कि अधिकारी या कर्मचारी की पुरानी बीमारी के मामले में बोर्ड के अनुमोदन से अध्यक्ष उसे 720 दिन से अधिक असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है और बोर्ड, ऐसा अनुमोदन देते समय, लिखित रूप में उसके लिए विशेष कारण अभिलिखित करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, इन विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अधिकारी या कर्मचारी को अनुज्ञेय किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ या उसके आगे असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है।

(4) असाधारण छुट्टी की अवधि के दौरान वेतन एवं भत्ते अनुज्ञेय नहीं है और इस प्रकार की व्यतीत छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी :

परंतु जहां सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि असाधारण छुट्टी की मंजूरी बीमारी या किसी अन्य ऐसे कारण से आवश्यक हुई थी जो कि अधिकारी या कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी, वह निदेश सकता है कि असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए की जाए।

64. विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी– किसी अधिकारी या कर्मचारी को खेलकूद, रक्तदान, परिवार नियोजन, जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी के बचाव या सिविल रक्षा ज्वाइन करने या किसी अन्य प्रयोजनों के लिए जैसा कि केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जाए, विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है।

65. प्रसूति छुट्टी– (1) प्रसूति छुट्टी के रूप में एक बार में छह मास तक की अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकती है, जिसके अंतर्गत प्रसूति के बाद की अवधि या गर्भस्राव अथवा गर्भपात के समय की छुट्टी भी शामिल है तथापि, ऐसी छुट्टी महिला अधिकारी या कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 12 मास से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रसूति छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है किंतु प्रसूति छुट्टी के साथ आवेदित किसी अन्य प्रकार की छुट्टी को तभी मंजूरी प्रदान की जाएगी जबकि ऐसे अनुरोध के साथ बैंक को स्वीकार्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी प्रमाणपत्र समर्थन में ही हो।

(3) प्रसूति छुट्टी, किसी महिला अधिकारी या कर्मचारी को पूर्ण सेवा अवधि के दौरान एक बार भी मंजूर किया जा सकता है, जिसके कोई जीवित बालक नहीं है विधिक रूप से उस बालक के दत्तक ग्रहण के लिए आयु से 1 वर्ष से कम है या 1 वर्ष तक आयु पहुंचने तक निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन दो मास की अधिकतम अवधि के अध्यधीन :–

(क) केवल एक बालक के दत्तक ग्रहण के लिए छुट्टी मंजूर की जाएगी ;

(ख) अधिकारी या कर्मचारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि की सम्यक् प्रक्रिया के माध्यम से बालक का दत्तक ग्रहण किया जाएगा और ऐसी छुट्टी के अनुमोदन के लिए बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करेगा।

66. पितृत्व अवकाश– (1) पुरुष अधिकारी जिसके पास दो उत्तरजीवी बालक से कम हैं, शिशु जन्म के लिए उसकी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिन की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश मंजूर किया जा सकता है, अर्थात् बालक के जन्म की तारीख से 15 दिन पूर्व तक या जन्म की तारीख से छह मास तक ;

(2) 15 दिन की ऐसी अवधि के दौरान किसी पुरुष अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व ले रहे वेतन के बराबर छुट्टी के वेतन का संदत्त किया जाएगा।

(3) पित्त्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ सम्मिलित किया सकेगा।

(4) पित्त्व अवकाश को पुरुष अधिकारी या कर्मचारी के किसी अन्य छुट्टी के खाते में विकलित नहीं किया जाएगा

(5)यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पित्त्व अवकाश का फायदा नहीं लिया जाता है तो ऐसी छुट्टी को व्यपगत माना जाएगा।

67. छुट्टी का व्यपगत होना– अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु पर या उसके बैंक की सेवा में न रहने पर उसकी सभी छुट्टियां व्यपगत हो जाएंगी :

परंतु यदि अधिकारी या कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधियां को ऐसी राशियां देय होंगी जो मानो उस अधिकारी या कर्मचारी को उसकी मृत्यु के समय विनियम 61 के उप–विनियम (4) के अध्यधीन संचित विशेषाधिकार छुट्टी लेने की स्थिति में देय होती :

परंतु यह और कि जहां कोई कर्मचारिवृंद बैंक की सेवा से निवृत्त होता है तो वहां उसे उसके द्वारा संचित विशेषाधिकार छुट्टी की अवधि के लिए विनियम 61 के उप–विनियम (4) के अध्यधीन परिलब्धियों के बराबर की राशि देय होगी :

परंतु यह भी कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जहां कि छंटनी के फलस्वरूप उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उसे उसके खाते की विशेषाधिकार छुट्टी की अवधि के लिए वेतन और भत्ते संदत्त होंगे।

68. बैंक को छुट्टी की अवधि के दौरान पता देना– जिस अधिकारी या कर्मचारी की अपनी तैनाती के स्थान पर छुट्टी या छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं वह बैंक को अपने उस पते की सूचना देगा जिस पते पर मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान उससे संपर्क किया जा सके।

69. छुट्टी का प्रारंभ और समाप्त होना– (1) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन अपना कार्यभार सौंपेगा उसके ठीक पश्चात् के पहले कार्यदिवस से उसकी छुट्टी का पहला दिन होगा।

(2) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन ड्यूटी पर अपनी वापसी की रिपोर्ट करेगा, उसके पहले का कार्यदिवस उसकी छुट्टी का अंतिम दिन होगा।

70. पदग्रहण अवधि– (1) अधिकारी या कर्मचारी एक बार पदग्रहण अवधि के लिए पात्र होगा ताकि वहः

(क) नए पद पर पदग्रहण करने में समर्थ हो सके जिसके लिए ड्यूटी के दौरान अपने पुराने पद में नियुक्त हुआ था।

(ख) छुट्टी से वापस आकर नए पद पर पदग्रहण कर सकने में समर्थ हो सके।

(2) पदग्रहण समय की अवधि निम्न प्रकार की होगी :

(क) अधिकारी के संबंध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर सात दिनों से अनधिक की अवधि, और

(ख) कर्मचारी के संबंध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर छः दिनों से अनधिक की अवधि।

(3) पदग्रहण समय पर व्यतीत अवधि के दौरान अधिकारी या कर्मचारी नए या पुराने स्थान पर तैनाती के अनुसार जो भी कम हो, परिलब्धियां लेने का पात्र होगा।

(4) अधिकारी या कर्मचारी को अनुज्ञेय पदग्रहण अवधि की गणना करते समय वह दिन जिसको वह अवमुक्त हुआ था, छोड़ दिया जाएगा :

परंतु उसकी अवमुक्ति के बाद के सार्वजनिक अवकाशों की गणना उनके पदग्रहण समय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(5) ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी को पदग्रहण अवधि अनुज्ञेय नहीं होगी यदि,–

(i) स्थानांतरण में विभिन्न स्थानों में तैनाती अंतवर्लित नहीं है।

(ii) उसकी तैनाती अस्थायी प्रकृति की है इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उसकी तैनाती एक स्थान से भिन्न जिसके लिए वह स्थायी रूप से तैनात है, किसी स्थान या स्टेशन पर तैनाती है।

(iii) स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर है।

(iv) स्थानांतरण उसी पंचायत या नगरपालिक या शहरी समूह या नगरपालिक निगम या ग्राम या शहर में है।

अध्याय—7

प्रकीर्ण

71. भविष्य निधि तथा पेंशन– (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नवत लगातार सेवा पूरी की ली है, कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य होगा और अधिकारी या कर्मचारी और बैंक द्वारा भविष्य निधि में किया जाने वाला अंशदान उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी या कर्मचारी, उक्त अधिनियम की धारा ''6क'' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गयी कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(ख) इस प्रकार तैयार की गई पेंशन योजना 16 नवंबर, 1995 से प्रभावी होगी।

(3) यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पेंशन विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत पेंशन विनियम निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करता है और उक्त विकल्प का चयन करने के पश्चात् उक्त उप-विनियिम के अनुसार बैंक की भविष्य निधि के न्यास के द्वारा उपार्जित ब्याज सहित बैंक के संपूर्ण अंशदान को पेंशन विनियम के अंतर्गत गठित निधि को अंतरित करवाता है, पेंशन विनियम के द्वारा शासित होगा।

(4) मृतक कर्मचारी का परिवार, जो पेंशन विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत पेंशन विनियम निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करता है और उक्त विकल्प का चयन करने के पश्चात् उक्त उप-विनियिम के अनुसार राशि वापस करता है, पेंशन विनियम के द्वारा अभिशासित होगा।

(5) इस विनियम के उप-विनियम (1) से (4) में किसी बात के होते हुए, यदि कोई कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2018 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा में आता है, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के द्वारा शासित होगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड(i) में परिभाषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है।"

(टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग – 3, खण्ड-4, उप-खण्ड (i) में संख्यांक 162 तारीख 03 जून 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या .....---..... , तारीख .....----..... किया संशोधन इसमें द्वारा के (गया)

72. उपदान– (1) अधिकारी या कर्मचारी उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों या उप–विनियम (2) के अनुसार, जो भी अधिक हो, संदाय का पात्र होगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :–

(क) सेवानिवृत्ति पर,

(ख) मृत्यु पर,

(ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणपत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अयोग्य है, या

(घ) 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के पश्चात् त्याग–पत्र देने पर, या

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात् दंडस्वरूप सेवा समाप्ति को छोड़कर, अन्य किसी कारण से सेवा समाप्ति पर :

परंतु कदाचार के कारण पदच्युत कर्मचारी के संबंध में उपदान की राशि का समपहरण नहीं किया जाएगा सिवाय ऐसे मामलों में केवल उस सीमा तक जहां कि ऐसे कदाचार के कारण बैंक को वित्तीय हानि हुई हो।

(3) अधिकारी या कर्मचारी को संदेय उपदान की राशि प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा अथवा छह महीने से अधिक के भाग के लिए एक महीने का वेतन संदय होगी, जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अध्यधीन होगी:

परंतु यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे मास के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा :

परंतु यह और कि किसी अधिकारी के संबंध के संदेय उपदान उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन पर आधारित संदेय होगा:

परंतु यह भी कि किसी कर्मचारी के वेतन के संबंध में उपदान की गणना किए जाने के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति मृत्यु, अशक्तता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या सेवा की समाप्ति से पहले 12 मास के दौरान संदेय मूल वेतन (100 प्रतिशत), मंहगाई भत्ते तथा विशेष भत्ते और स्थानापन्न भत्तों का औसत होगा।

73. अधिवास–(1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय अनुसूची–3 मे दिए गए प्ररूप–ख में लिखित रूप से अपने अधिवास की घोषणा करेगा और यदि ऐसा अधिवास उसका जन्म स्थान नहीं है तो उसे वह नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान तक सिद्ध करना चाहिए।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो एक बार अपना निवास स्थान उपदर्शित कर चुका है उसे उसको बदलने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बैंक का समाधान नहीं करता कि वह परिवर्तन वास्तव में है।

(3) किसी भी मामले में अधिकारी या कर्मचारी को अपने निवास स्थान में ऐसी रीति से परिवर्तन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा जिससे कि ऐसी किसी रियायत के लिए बैंक की खर्चे में वृद्धि हो।

74. स्थानांतरणीयता– (1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में स्थानांतरण के लिए दायी हैं।

(2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी स्केल–प्ट या स्केल टके अधीन नियुक्त कोई भी अधिकारी उसी बैंक द्वारा प्रायोजित किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थानांतरित किये जाने के लिए दायी होगा।

75.अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं को अन्य संगठन में देना– किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन और ऐसी अवधि के लिए अन्य संगठन को दी जा सकेंगी जिसे बोर्ड अनुमोदित कर सके :

परंतु किसी अधिकारी या कर्मचारी की इच्छा के विरूद्ध उसकी सेवा किसी अन्य संगठन को नहीं दी जा सकेगी :

परंतु यह और कि प्रायोजक बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा देने के मामले में पहला परंतुक लागू नहीं होगा।

76. विनियमों का कार्यान्वयन– अध्यक्ष समय–समय पर ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या इन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

77. निरसन और व्यावृत्तियां–(1) यहां अंतर्विष्ट विनियमों के तत्स्थानी प्रत्येक नियम, विनियम, उप–नियम या कसी करार अथवा संकल्प का कोई उपबंध जो इन विनियमों के आरंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, और उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित उपबंधों के अधीन किए गए आदेशों या की गयी कार्रवाई इन विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत किए गए या की गई मानी जाएगी।

अनुसूची 1

(विनियम 5(4)(ii) देखें)

वैवाहिक प्रास्थिति की घोषणा

मैं, श्री / श्रीमती / कुमारी ..... पुत्र / पत्नी / पुत्री.....निम्नानुसार घोषणा करता / करती हूँ :

(i) मैं विवाहित / विधुर / विधवा हूँ

(ii) मैं विवाहित हूँ और मेरे साथ केवल एक जीवित पति या पत्नी है।

(iii) मैंने ऐसे व्यक्ति से उसके पति या पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह किया है। मुझे नीचे दिए गए आधार पर छूट मंजूर की जाए। छूट मंजूर किये जाने के लिए आवेदन संलग्न है।

आधार

2. मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सही है और मैं समझता हूँ कि मेरी नियुक्ति के पश्चात् घोषणा के गलत पाए जाने की दशा में मैं सेवा से पदच्युत के लिए दायी रहूंगा।

तारीख : हस्ताक्षर

अनुसूची 2

(विनियम 18 देखें,)

निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा

मैं ..... घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ..... बैक के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में और उक्त बैंक में मेरे द्वारा धारित कार्यालय से संबंधित या स्थिति से संबद्ध मुझसे अपेक्षित कर्तव्यों को सत्यनिष्ठा तथा सर्वोत्तम कुशलता से निष्पादित और पूरा करूंगा/ करूंगी।

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उक्त बैंक के कार्यों से संबंधित कोई सूचना या उक्त बैक के साथ डील करने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित किसी कार्य के बारे में कोई सूचना उसके लिए विधिक रूप से अपात्र व्यक्ति को न तो प्रकट करूंगा/करूंगी और न ही ऐसा किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करूंगा/करूंगी और न तो उक्त बैंक के अधिकार में किसी बही या इलेक्ट्रानिक्स दस्तावेज और न ही उक्त बैंक के कारोबार से संबंधी या उक्त बैंक के साथ डील करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कारोबार का निरीक्षण करने की अनुज्ञा प्रदान करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षरः .....
पूरा नाम : .....
पदनाम : .....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित–
पूरा नाम : .....
पदनाम : .....

स्थान
तारीख

अनुसूची 3

(विनियम 73 देखें,)

अधिवास की घोषणा

स्थान : .....
तारीख : .....

मैं, अधोहस्ताक्षरी ..... बैंक की सेवा में नियुक्ति के पश्चात् घोषणा करता/करती हूँ कि ..... (स्थान) .....(जिला) मेरा अधिवास है।

1. 'उपर्युक्त स्थान मेरा जन्म स्थान है।

या

'उपर्युक्त स्थान मेरा जन्म स्थान नहीं है मेरा जन्म स्थान ..... (स्थान) ..... (जिला) ..... किंतु ..... (स्थान) को निम्नलिखित कारणों से अपना अधिवास घोषित किया गया है।

.....
.....

हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पदनाम और नियुक्ति की प्रकृति :
नियुक्ति की तारीख :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

शिव बजरंग सिंह, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./39/19]

NOTIFICATION

Lucknow, the 9th May, 2019

Aryavart Bank (Officers and Employees) Service Regulations- 2010

F. No AB/SR/01/2019-20.—In exercise of powers conferred by Section 30 of the **Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976)** the Board of Directors of **ARYAVART BANK** after consultation with the **Bank of India**, being the Sponsor Bank and the **National Bank for Agriculture and Rural Development** and with the previous sanction of the **Central Government** hereby makes the following regulations to further amend the Aryavart Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 namely:-

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. **1. Short title, commencement and application.**- (1)* These regulations may be called Aryavart Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018.

2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

They shall apply to every officer and employee of the Bank:

Provided that they shall not apply, except as otherwise provided in these regulations or to such extent as may be specifically or generally specified by the Board to, -

(a) a person employed temporarily on daily wages or to such person engaged on contract;

(b) a person on deputation from Sponsor Bank, the Central Government, the State Government or any other organization.

2. **Definitions**, - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "Appointing Authority" means the authority prescribed in sub-regulation (1) of regulation 5;

(c) "Bank" means ARYAVART BANK established under sub - section (1) of section 3 of the Act;

(d) "Board" means the Board of Directors of the Bank;

(e) "Branch Manager" means an officer in charge of the branch of the Bank;

(f) "Calendar Year" means the period commencing from the 1st day of January of the year and ending with the 31st day of December of such year;

(g) *"Competent Authority" means:

(i) the Chairman in respect of officer Scale-III, IV and V;

(ii) General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and

(iii) as decided by the Board, not below the rank of Scale-IV Officer in respect of employees Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose)

(*As amended vide Govt. of India notification F.No.7/20/2012-RRB, New Delhi dated the 20th December, 2012)

(h) "Duty" includes, -

(i) service as a probationer,

(ii) period during which an officer or employee is on joining time,

(iii) period spent on casual leave, special casual leave duly authorized by the competent authority,

(iv) period spent on training while in service,

* The principal notification was published vide number 162 dated the 3rd June 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 and subsequently amended vide notification number _____-_____ dated the ____---__-_____.

(v) period spent on attachment or deputation to other organizations;

(h) "Emoluments" means the aggregate of salary and allowances, if any;

(i) "Employee" means an employee of the Bank as classified under clause (b) and (c) of sub-regulation (1) of regulation 3, and includes such employee whose services are lent to other organizations under regulation 75;

(j) "Family" means and includes the spouse of the officer or employee (if the spouse is also not the officer or employee of the Bank) and children, parents, brothers and sisters of the officer or employee wholly dependent on the officer or employee but shall not include a legally separated spouse;

(k) "Officer" means an officer of the Bank as classified under Clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3;

(l) Pay" means basic pay drawn per month by the officer or employee in a pay-scale including stagnation increments and any part of the emoluments which may specifically be classified as pay under these regulations.

(ma)[#] "Pension Regulations" means the Aryavart Bank (Employees') Pension Regulations, 2018;'

(m) "Regional Manager" means an officer holding the charge of regional office of the Bank;

(n) "Salary" means aggregate of pay and dearness allowance.

(o) "Sponsor Bank" means the BANK OF INDIA.

(2) Words and expressions used here in and not defined but defined in the Act have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER - II

CLASSIFICATION OF OFFICERS AND EMPLOYEES, APPOINTMENT, PROBATION AND TERMINATION OF SERVICE

3. Classification of officers and employees (1) The officers and employees of the Bank shall be classified as follows, namely,-

(a) Group 'A' – Officer

Junior Management
(i) Scale I (Assistant Manager)
Middle Management
(ii) Scale II (Manager)
(iii) Scale III (Senior Manager)
Senior Management
(iv) Scale IV (Chief Manager)
(v) Scale V (Assistant General Manager)
Explanation: For the purposes of these regulations, the Chairman may designate the officer, as Branch Manager, Regional Manager or General Manager, depending on the work or functions assigned and the scale of the officer.

(b) Group 'B' - Office Assistants (Multipurpose).

(c) Group 'C' – Office Attendants (Multipurpose).

(2) Nothing in this regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times all the cadres or categories of the officers or employees serving the Bank.

4. Casual employees - Notwithstanding anything to the contrary contained in these regulations, the Chairman may, subject to such general or special instructions as may be issued by the Board from time to time and in consultation with the Sponsor Bank appoint person(s) in Group C on casual basis for a period not exceeding 90 days in a year to meet any exigency.

5. Appointment of the officer and employee in the Bank's service - (1) The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of officer and the General Manager shall be the Appointing Authority in respect of employee:

[#] The principal notification was published vide number 162 dated the 3rd June 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 and subsequently amended vide notification number _____-_____ dated the ____---__-_____.

Provided that if there is no incumbent to the post of General Manager, the Chairman shall be the Appointing Authority in respect of employee also.

(2) Save as provided in regulation 4, all appointments in the Bank shall be made in accordance with the rules made by the Central Government in terms of section 29 of the Act.

(3) Every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank, shall be required to produce a certificate of fitness by the medical authority as may be specified by the Bank.

(4) (i) Disqualification. – No officer or employee, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Appointing Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt from the operation of this regulation;

(ii) every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank shall furnish a declaration about his marital status as per Schedule - I.

6. Scale of Pay and Allowances. - The scale of pay, allowances and increments of an officer or employee appointed to a post in any of the Groups referred to in regulation 3, shall be such as may be determined by the Central Government from time to time, under sub-section (1) of section 17 of the Act.

7. Commencement of service - Service of a person appointed in the Bank shall commence on the working day on which he reports for duty on a post in accordance with the terms and conditions of the offer of appointment made to him:

Provided that in the event of his joining in the afternoon of such working day, he shall not be entitled to draw pay and allowances for that day.

8. Probation -

(1) An Officer directly appointed in Group 'A' Post shall be on probation for a period of two years, which may be extended by the Appointing Authority for a period not exceeding one year.

(2) An employee promoted to a post in Scale I of Group 'A' shall be on probation for a period of one year, which may be extended by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.

(3) (a) An employee directly appointed in Group 'B' or Group 'C' shall be on probation for a period of one year which may be extended by the Appointing Authority for a period not exceeding six months;

(b) An employee in Group 'C' promoted to a post in Group 'B' shall be on probation for a period of six months, which may be extended by the Appointing Authority for a period not exceeding three months.

(4) Probation period of an officer or employee shall be liable to be extended within the permissible limits to the extent of extra ordinary leave availed by him or if in the opinion of Appointing Authority his performance was dissatisfactory during probation.

9. Confirmation - (1) An officer or employee shall be confirmed in the service of the Bank if in the opinion of the Appointing Authority, the officer or employee has satisfactorily completed his probation.

(2) Where during the period of probation, including the period of extension of probation, if any, the Appointing Authority is of the opinion that the officer or employee, as the case may be, is not fit for confirmation in the said post,-

(a) in the case of a directly appointed officer or employee, his services may be terminated after giving one month's notice or pay in lieu thereof;

(b) in the case of an employee, promotion from Group 'B' to Scale I of Group 'A' or from Group 'C' to Group 'B', he may be reverted to the post from which he was promoted.

10. Termination of Service by Notice - (1)(a) No officer or employee shall leave or discontinue his service in the Bank without first giving notice in writing to the Appointing Authority of his intention to leave or discontinue his service or resign;

(b) The period of notice required shall be, –

(i) three months, in the case of confirmed officer or confirmed employee,

(ii) one month, in the case of officer or employee who is on probation.

(c) In case of breach of clause (b) of sub-regulation (1), an officer or employee shall be liable to pay to the Bank as compensation a sum equal to his pay for the period of notice required of him.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-regulation (1), an officer or employee against whom disciplinary proceeding is contemplated or pending shall not leave, discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval of the Appointing Authority and any notice of resignation given by such officer or employee before or during the disciplinary proceeding shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

***Explanation*.** - For the purposes of this regulation, disciplinary proceeding shall be deemed to be contemplated or pending against an officer or employee if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceeding should not be instituted against him until final order are passed by the Competent Authority.

11. Superannuation and Retirement - (1) An officer or employee shall retire on completion of 60 years of age:

Provided that the Chairman may, on recommendation by the Special Review Committee constituted under sub-regulation (3), retire an officer or employee at any time after completion of the 55 years of age or after the completion of 30 years of the total service in the Bank, whichever is earlier:

Provided further that no officer or employee shall be retired under this sub-regulation unless notice in writing has been served on him at least three months in case of an officer and one month in case of an employee in advance or an amount equivalent to three months pay in case of an officer and one month pay in case of an employee shall be given to such officer or employee in lieu thereof:

Provided also that if an officer or employee aggrieved by an order passed by the Chairman, he may within one month from the date of passing of such order, give in writing a representation to the Board against the decision of the Chairman and on receipt of such representation the Board shall take a decision within a period of three months,

(2) Where the Board decides that the order passed by the Chairman is not justified, the concerned officer or employee shall be reinstated as if the Chairman had not passed the order.

(3) The Chairman shall constitute a Special Review Committee consisting of not less than three members of the Board to review whether an officer or employee should be retired in accordance with the sub-regulation (1).

(4) The Special Review Committee shall, from time to time, review the case of each of the officer or employee and make recommendation to the Chairman.

***Explanation*:-** For the purposes of this regulation, the officer or employee,

(i) whose date of birth is first day of month retire on superannuation on the last day of the previous month on which he completes the age of superannuation;

(ii) who attains the age of superannuation on a day other than the first day during a calendar month,

shall retire on the last day of that month.

CHAPTER - III

RECORD OF SERVICE, SENIORITY, PROMOTION AND REVERSION

12. Record of Service – The Bank shall maintain the service record of an officer or employee, as the case may be, and shall keep at such place or places and in such form and shall contain such information as the Board may, from time to time, specify in this behalf.

13. Seniority - (1) Subject to the provisions of sub-regulations (3), (4) and (5) and such instructions and guidelines as may be issued by the Board from time to time, the Bank shall maintain separate seniority lists for each cadre of officer or employee and category-wise seniority lists within a cadre.

(2) The seniority lists shall be reviewed and updated at such intervals as may be decided by the Bank and circulated amongst the officers or employees, as the case may be.

(3) (a) The seniority of a promotee officer or employee in a cadre or scale shall be reckoned with reference to the date of his appointment in the cadre or scale;

(b) where there are two or more promotee officers or employees of the same length of service in that cadre or scale, their *inter-se-seniority* shall be reckoned with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale;

(c) where there are two or more promotee officers or employees having the same length of service in such preceding cadre or scale the seniority shall be determined with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale, as the case may be.

(4) The *inter-se seniority* of the erstwhile Field Officers or Accountants *vis-a-vis* the Branch Managers who were in the service of the Bank on the date on which the revised pay scales circulated by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi letter No F-2/17/79-RRB, dated the 29 April, 1980 are adopted by the Bank, may be so reckoned that all erstwhile Field Officers and/ or Accountants rank junior to all the then existing Branch Managers:

Provided that the *inter-se seniority* of officers or employees amongst themselves within a cadre or scale as existing immediately prior to the Government letter No 11-3/90-RRB (l), dated 22 February, 1991 shall remain the same.

(5) The *inter-se seniority* of officers or employees directly recruited in a batch to any cadre or scale shall be reckoned with reference to the rank allotted to them at the time of their selection:

Provided that if officers or employees recruited under the general or reserved categories are allotted to the Bank the inter-se seniority amongst the candidates so allotted who joined on the same date shall be determined in accordance with the marks obtained by such candidates without adding notional marks for the reserved category.

14. Promotion - All promotions shall be made at the discretion of the Bank and no officer or employee shall claim as a matter of right to be promoted to any post or cadre:

Provided that promotion of officers or employees in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of section 29 of the Act.

15. Reversion – An officer or employee who has been appointed to officiate in a higher cadre or scale shall be liable to be reverted without notice at any time where he is so officiating.

CHAPTER - IV

CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEALS

16. Scope of service an officer and employee - Every officer or employee shall be a whole time officer or employee and shall be at the disposal of the Bank, and he shall serve the Bank in its business in such capacity and at such place as he may from time to time be directed by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may for the time being be placed.

17. Duties of an officer - Every officer shall perform such duties and actions as may be necessary in times of need to ensure the carrying out of the normal work of the Bank every day including securing access to the office premises or branch, documents and equipment and receipt handling, processing, movement and dispatch of documents and records and such other matters relating to the business of the Bank.

18. Liability to abide by the regulations and orders - Every officer or employee shall conform to and abide by these regulations and shall also observe, comply with and obey all orders and directions which may, from time to time be given to him by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may for the time being be posted.

19. Obligation to maintain secrecy - Every officer or employee shall maintain the strict secrecy regarding the Bank's affair and its constituents and shall not divulge directly or indirectly any information of a confidential nature either to a

member of the public or to the Bank's staff, unless in compliance of the order passed by the judicial or quasi judicial authority or unless instructed to do so by a superior officer in writing in discharge of his duties and shall submit a declaration as specified in Schedule - II.

20. Obligation to Promote the Bank's interest - Every officer or employee shall serve the Bank honestly and faithfully, and shall use his utmost endeavor to promote the interests of the Bank and shall show courtesy and attention in all transactions and dealings with officers of Government, the Bank's constituents and customers.

21. Contribution to Press, Radio, etc. - (1) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, own wholly or in part or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or any other periodical publication.

(2) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority or except in the bonafide discharge of his duties, participate in radio broadcast, television or any other electronic media or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously or in the name of any other person to any news paper or periodical or make public, or publish or cause to be published or pass on to others any document, paper or information which may come into his possession in his official capacity.

(3) No officer or employee shall make any audio or video or photo recording of any official matter or publish or cause to publish any official matter without the prior permission of the Competent Authority.

(4) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, publish or cause to be published any book or any similar printed matter of which he is the author or not:

Provided that no sanction is required if such broadcast or contribution or publication is of purely literary, artistic, scientific, academic, cultural, educational or social character.

22. Officer or employee not to seek outside employment or business or to promote family business- No officer or employee shall accept, solicit or seek any outside activity, employment or office whether stipendiary or honorary without the previous sanction of the Competent Authority.

Provided that an officer or employee may, without such sanction, undertake the honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professions, cultural, educational, religious or social character, subject to the conditions that his official duties do not thereby suffer:

Provided further that he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the Competent Authority.

Explanation: For the purposes of this regulation, -

(1) every officer or employee shall report to the Bank if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages insurance agency or commission agency,

(2) canvassing by an officer or employee in support of the business of insurance agency or commission agency, owned or managed by a member of his family shall be deemed to be a breach of this regulation.

(3) no officer or employee shall without the previous sanction of the Bank except in the discharge of his official duties, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or any cooperative society for commercial purposes:

Provided that an officer or an employee may take part in registration, promotion or management of a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any corresponding law for the time being in force,

(4) no officer or employee shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority.

23. Officer or employee not be absent from duty without permission or be late in attendance - (1) An officer or employee shall not absent himself from his duties without having obtained the permission of the Competent Authority, nor shall be absent himself in case of sickness or accident without submitting a proper medical certificate from a medical practitioner acceptable to the Bank.

(2) An officer or employee, who absents himself from duty without leave or overstays his leave, shall not be entitled to draw any pay and allowances for the period of such absence or overstay, and shall be liable to such disciplinary measure as the Competent Authority may impose:

Provided that the Competent Authority may, if he is satisfied that the officer or employee has remained absent or over stayed, under the circumstances beyond his control, condone such absence or overstay and direct that such absence or overstay be regularized by admissible leave.

24. Absence from station- No officer or employee shall remain absent himself from his headquarters overnight without obtaining previous sanction from, -

(1) In case of the Branch Manager/ Officer Incharge of the Branch, the Regional Manager or General Manager.

(2) In other cases, the Branch Manager/ Officer Incharge of the Bank.

25. Prohibition to accept gifts and dowry - (1) No officer or employee shall solicit or accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift from a constituent of the Bank or from any officer or employee, subordinate to him.

(2) No officer or employee shall, -

(a) give or take or abet the giving or taking of dowry,

or

(b) demand directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

***Explanation*:** For the purposes of this regulation, dowry has the same meaning as assigned in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

26. Speculation in stocks, shares, etc.- An officer or employee shall not speculate in stocks, shares, securities of any institution or commodities of any description:

Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an officer or employee from making a bonafide investment of his own fund in such manner as he may wish.

Explanation: For the purposes of this regulation, frequent purchase or sale of stocks, shares or securities of any institution or commodities of any description shall be deemed to be speculation.

27. Restrictions on lending, borrowings and investments- (1) No officer or employee shall, in his individual capacity,-

(i) borrow or permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate officer or employee or any person, association of persons, firms, company or institution whether incorporated or not, having dealings with the Bank;

(ii) buy or sell stocks, shares or securities of any description without funds to meet the full cost in the case of a purchase of scrips or delivery in the case of a sale;

(iii) incur a debt at a race meeting;

(iv) lend money in private capacity to a constituent of the Bank or have personal dealing with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange, Government paper or any other securities; and

(v) guarantee in private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnify in such capacity another person from loss except with the previous permission of the Competent Authority:

Provided that an officer or employee may give to, or accept from, a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account with a bona fide tradesman or make an advance of pay to his private employee:

Provided further that an officer or employee may obtain a loan from a Cooperative Credit Society of which he is a member or stand as surety in respect of a loan taken by another member from a Cooperative Credit Society of which he is a member.

(2) An officer or employee shall manage his private affairs to avoid insolvency or habitual indebtedness.

(3) An officer or employee who is in debt shall furnish to the Competent Authority a signed statement of his position half yearly on the 30th June and 31st December and shall indicate in the statement the steps he is taking to rectify his position.

Explanation : For the purposes of this sub-regulation, an officer or employee shall deemed to be in debt;

(i) if his total liabilities, exclusive of those, which are fully secured, exceed his substantive pay for twelve months;

(ii) unable to liquidate his debts within a reasonable time if it appears, having regard to his personal resources and unavoidable current expenses, that he shall not cease to be in debt within a period of two years.

(4) An officer or employee who makes a false statement under this regulation or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable for dismissal.

28. Movable, immovable and valuable property - (1) Every officer on his first appointment shall submit a return of his assets and liabilities giving full particulars regarding -

(a) the immovable property, inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his name or in the name of any member of his family;

(b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned or acquired or held by him;

(c) other movable property inherited by him or similarly owned or acquired or held by him; and

(d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly:

Provided that, in the case of an officer, who is already in the service of the Bank on the date of the commencement of these regulations shall submit a return within three months from the date of commencement of these regulations.

(2) Every officer shall submit a return of the immovable/ movable property to the Bank as on 31st March of every year before 30th April of that year.

(3) No officer shall, except with the prior intimation to the Competent Authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any dependent member of his family:

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained by the officer if any such transaction is -

(a) with a person having official dealings with the officer; or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(4) Every officer shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of any dependant member of his family if the value of such a property exceeds Rs. 25,000/- :

Provided that, the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained, if such transaction is:-

(a) with a person having official dealings with the officer; or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(5) Notwithstanding anything contained in the forgoing sub-regulation, the Competent Authority may, at any time by general or special order, require an officer or employee to furnish, within a period as specified in that order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or in the name of any dependant member of his family as may be specified in that order, and such statement, if so required by the Bank, include the details of the means by which or the sources from which such property was acquired.

29. Restrictions regarding marriage - (1) (i) No officer or employee shall enter into, or contract, a marriage with a person having a spouse living;

(ii) No officer or employee, having a spouse living shall enter into or contract a marriage with any person:

Provided that the Competent Authority may permit an officer or employee enter into or contract, any such marriage as referred to in clause (i) or clause (ii) if it is satisfied that, -

(a) Such marriage is permissible under the personal law applicable to such officer or employee and the other party to the marriage; and

(b) there are other grounds for so doing.

(2) An officer or employee who has married, or marries a person other than Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the Bank.

30. Officer or employee arrested for debt or on a criminal charge -

(1) An officer or employee who is arrested for debt or on a criminal charge or detained in pursuance of any process of law for the time being in force, may, if so directed by the Competent Authority, be treated as being or having been under suspension from the date of his arrest, and/or detention, as the case may be, upto such date or during such period as the Competent Authority may direct:

Provided that in respect of the period in regard to which he is so treated, he shall be paid subsistence allowance as specified in regulation 46.

(2) Any payment made to an officer or employee under sub-regulation (1) shall be subject to adjustment of his pay and allowances which shall be made according to the circumstances of the case and in the light of the decision as to whether such period is to be accounted for as a period of duty or leave:

Provided that full pay and allowances shall be admissible only if the officer or employee, -

(i) is treated as on duty during such period; and

(ii) is acquitted of all charges or satisfies the Competent Authority, in case of his release from detention or his detention being set aside by the Competent Court, that he had not been guilty of improper conduct resulting in his detention.

(3) (a) An officer or employee shall be liable to dismissal or to any of the other penalties referred to in regulation 39 if he is committed to prison for debt or is convicted of an offence which in the opinion of the Competent Authority, either involves moral turpitude, or has a bearing on any of the affairs of the Bank or on the discharge by the officer or employee of his duties in the Bank, the opinion in this respect of the Competent Authority shall be conclusive and binding on the officer or employee;

(b) such dismissal or other penalty may be imposed as from the date of his committal to prison or conviction and nothing in regulation 39 shall apply to such imposition.

(4) Where an officer or employee has been dismissed in pursuance of sub-regulation (3) and the relative conviction is set aside by a higher court and the officer or employee is acquitted, he shall be reinstated in the service of the Bank.

(5) Where the absence of an officer or employee from duty is without leave or his overstay is due to his having been arrested for debt or on criminal charge or to his having been detained in pursuance of any law for the time being in force, the provisions of regulation 23 shall also apply and for the purpose of that regulation the officer or employee shall be treated as having absented himself without leave or as the case may be, overstayed otherwise than under circumstances beyond his control.

31. Prohibition against participation in politics and contesting elections- No officer or employee shall take part in politics or in any political demonstration or contest election as a member for any Legislative Body, Municipal Council, Zila Parishad, District Board or any other local body.

32. Prohibition against joining certain associations, strikes, etc. - (1) No officer, who is not a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 shall, -

(a) become or continue to be a member or office bearer of, or be otherwise directly or indirectly associated with any trade union of the employees of the Bank who are workmen within the meaning of the Act, or a federation of such trade unions;

(b) resort to or in any way abet, any form of strike or participate in any violent, unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to his conditions of service or the conditions of service of any other employees of the Bank.

(2) In relation to an employee who officiates in a grade or post, which is not a grade or post of a workmen, this regulation shall also apply so long as such employee officiates in such higher grade or post.

(3) No employee shall join or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign States, public order, defamation or incitement to offense.

33. Give evidence – (1) No officer or employee shall, except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any approval has been accorded under sub-regulation (1), no officer or employee giving such evidence shall criticize the policy or any action of the Government of India or State Government or the Bank.

34. Function in honour of officer or employee – (1) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour or in the honour of any other officer or employee:

Provided that nothing in this sub-regulation shall apply to, -

(i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the officer or employee or any other officer or employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of the Bank; and

(ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by association of officers or employees.

(2) (a) No officer or employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any officer or employee to induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment;

(b) no officer or employee shall collect subscription for farewell entertainment from any intermediate or lower grade officer or employee for the entertainment of any officer or employee belonging to any higher grade.

35. Canvassing - No officer or employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Bank.

36. Subscriptions - No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, ask for, or accept, contributions or otherwise associate himself with the raising of any funds or other connections in cash or in kind from constituents or customers in pursuance of any objective whatsoever.

37. Consumption of intoxicating materials - An officer or employee shall, -

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks, drugs or other materials in force in any area in which he may happen to be for the time being;

(b) not be under the influence of any intoxicating drinks, drugs or other materials during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks, drugs or materials;

(c) refrain from consuming any intoxicating drinks, drugs or other

(d) not appear in a public place, in a state of intoxication.

***Explanation*:** For the purposes of this regulation; "public place", means any place or premises to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

38. Sexual harassment - No officer or employee shall commit any act which amounts to sexual harassment of women at work place.

***Explanation*:** For the purposes of this regulation, "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, such as, -

(a) physical contact and advances;

(b) demand or request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing any pornography; or

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

39. Penalties - Without prejudice to the foregoing regulations of this Chapter, an officer or employee who commits a breach of these regulations or who displays negligence, inefficiency or indolence or who commits acts detrimental to the interests of the Bank or in conflict with its instructions, or who commits a breach of discipline or is guilty of any other acts of misconduct, shall be liable for any one or more penalties as follows, namely, -

1. Officers :

(a) Minor Penalties

(i) censure;

(ii) withholding or stoppage of increments of pay without cumulative effect;

(iii) withholding of promotion;

(iv) recovery from emoluments or such other amounts as may be due to him, of the whole or part or any pecuniary loss caused to the Bank by negligence or breach of orders;

(v) reduction to a lower stage in time scale of pay for a period not exceeding two years without cumulative effect;

(b) Major Penalties:

(i) save as provided in item (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 39, reduction to a lower stage in time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the officer shall earn increments of pay during the period of such reduction and whether on expiry of such period the reduction shall or shall not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(ii) reduction to a lower grade or post;

(iii) compulsory retirement;

(iv) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;

(v) dismissal which shall ordinarily be a disqualification for future employment.

Explanation: For the purposes of this regulation, - the following shall not amount to be a penalty, namely, -

(i) withholding of one or more increments of an officer on account of his failure to pass a departmental test or examination in accordance with the terms of appointment to the post which he holds;

(ii) stoppage of increment(s) of an officer at the efficiency bar in a time scale on the grounds of his unfitness to cross the bar;

(iii) not giving an officiating assignment or non-promotion of an officer to a higher grade of post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuitable after consideration of his case;

(iv) reserving or postponing the promotion of an officer for reasons like completion of certain requirement for promotion or pendency of disciplinary proceedings;

(v) reversion to a lower grade or post of an officer officiating in a higher grade or post, on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post or on administrative grounds unconnected with his conduct;

(vi) reversion to the previous grade or post of an officer appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment or rules, or orders governing such probation;

(vii) reversion of an officer on deputation to his parent organization;

(viii) termination of service of an officer, -

(a) appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment;

(b) appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement; and

(c) as part of retrenchment:

Provided that no minor penalties as specified in items (i) to (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 39, shall be imposed by the Competent Authority unless the officer is given a notice in writing,

(i) informing him of the grounds on which it is proposed to impose the said penalties;

(ii) giving him a reasonable opportunity for making a statement of defence in writing within a period of 15 days from the date of receipt of notice, and statement of defence, if any, submitted by the Officer shall be taken into consideration and of being heard;

Provided further that no order in imposing any of the major penalities specified above, shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being framed in writing and given to the officer and enquiry held so that he shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself;

Provided further that no enquiry shall be made, if,

(i) the misconduct in such cases even if proved, the Bank does not intend to impose the punishment of removal or dismissal;

(ii) the Bank has issued a show cause notice to the officer advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and

(iii) the officer makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.

2. Employees:

(a) Minor Penalties :

(i) censure;

(ii) recording of adverse remarks against him;

(iii) withholding of increments for a period not exceeding six months;

(b) Major Penalties:

(i) fine;

(ii) withholding of increment(s) for a period exceeding 6 months;

(iii) withdrawal of special allowance;

(iv) reduction of pay to next lower stage upto a maximum period of two years in case the staff has reached the maximum in the scale of pay;

(v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;

(vi) dismissal:

Provided that no major penalties as specified in items (i) to (vi) of clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 39 shall be imposed by the Competent Authority unless, -

(i) an order in writing signed by the competent authority and no such order shall be passed without the charge(s) being framed in writing and given to the employee and enquiry held;

(ii) giving him reasonable opportunity to answer the charge(s) in writing, and defend himself;

Provided further that an enquiry need not be held if, -

(i) the misconduct is such that even if proved, the Bank does not intend to impose punishment of removal or dismissal;

(ii) the Bank has issued a show cause notice to the employee advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and

(iii) the employee makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.

40. Waiver of the procedure - The requirements of regulation 39 may be waived by the Competent Authority, -

(a) if the fact on the basis of which penalty is to be imposed on the officer or employee have been established in the Court of Law or Court martial; or

(b) where the officer or employee has been convicted on a criminal charge; or

(c) where the officer or employee has been absconding; or

(d) where it is for any other reason impracticable to communicate with the officer or employee; or

(e) where it is reasonably not practicable to observe the procedure specified under regulation 39:

Provided that no requirements of regulation 39 may be waived unless the reasons for doing so are recorded in writing and placed before the Board.

41. Delegation of the power to enquire - The Competent Authority may, by general or special order in writing, delegate to, -

(i) An officer who is in a higher scale to the officer against whom the proceeding is instituted, in the case of officer;

(ii) An officer, in case of employee, to conduct the enquiry under regulation 39;

Provided that the Competent Authority may, at his discretion, nominate any officer working in the Bank, including those on deputation from other institutions or any public servant who is in a higher scale to the officer or employee against whom the proceeding is instituted, to conduct the enquiry.

42. Common enquiry- Notwithstanding anything contained in these regulations, if two officers in different grades or an officer and an employee are involved jointly in an incident and disciplinary proceedings are sought to be instituted against both of them and the Chairman is of the opinion that having regard to the facts and circumstances of the case, the Competent Authority in respect of both the officer and employee should be the same, the Chairman may direct that the Competent Authority in respect of the officer shall be the Competent Authority in respect of both the officer and employee involved and a common enquiry shall be held into the charges against both of them.

43. Corrupt Practices- Notwithstanding anything contained in these regulations, the following provisions shall apply where it is alleged that an officer or employee has been guilty of corrupt practices, namely, -

(a) where it is alleged that an officer or employee is possessed of disproportionate assets or that he has committed an act of criminal misconduct or where the investigation and proof of the allegation would require the evidence of persons who are not officers or employees of the Bank or where, in the opinion of the Chairman, the investigation into the allegations cannot be conveniently undertaken by the Bank, the investigation into the allegations may be entrusted to the Central Bureau of Investigation or the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be approved by the Chairman,

(b) if after considering the report on the investigation, the Competent Authority is satisfied that there is a prima-*facie* case of instituting disciplinary proceeding against the officer or employee, he may send the investigation report to the Central Vigilance Commission or such other authority as may be decided by the Chairman from time to time in this behalf, for its advice whether disciplinary proceeding should be taken up against the officer or employee concerned,

(c) if after considering the advice of the Central Vigilance Commission or such other Authority, as the case may be, the Competent Authority is of the opinion that disciplinary proceeding may be instituted against the employee concerned, then, the enquiry under this regulation may be entrusted to a Commissioner for Departmental Enquiries or any other person who may be nominated by the Central Vigilance Commission for this purpose;

(d) The Commissioner for Departmental Enquiries or any other person nominated by the Central Vigilance Commission shall submit his report to the Competent Authority;

(e) The Competent Authority shall forward such report to the Central Vigilance Commission for its advice as to whether the charge or charges, as the case may be, to be framed and the penalty or penalties to be imposed under regulation 39;

(f) The Competent Authority shall, after considering the advice of the Central Vigilance Commission, impose the penalty.

Explanation : For the purposes of this regulation, an officer or employee shall be deemed to be guilty of corrupt practices if he has committed an act of criminal misconduct as defined in sections 13, 14, 15 and 16 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or he has acted for an improper purpose or in a corrupt manner or had exercised or refrained from exercising his powers with an improper or corrupt motive.

44. Restriction on engagement of a Legal Practitioner - For the purposes of any enquiry under these regulations, the officer or employee shall not engage a legal practitioner without prior permission of the Competent Authority.

45. Disciplinary proceedings after retirement - (1) An officer or employee who is under suspension on a charge of misconduct and who attains the age of superannuation, shall be deemed to be in service even after the age of superannuation for the specific purpose of continuation and conclusion of the disciplinary proceedings and issue of final orders thereon.

(2) The officer or employee who is under suspension shall not be eligible for any subsistence allowance for the period beyond the date of superannuation.

(3) The officer or employee against whom disciplinary proceeding has been initiated shall cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceeding shall continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof.

(4) The officer or employee against whom disciplinary proceedings has been initiated shall not receive any pay and/or allowances after the date of superannuation and also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceeding is completed and final order is passed thereon except his own contribution to Contributory Provident Fund (CPF).

Explanation: For the purposes of this regulation, the normal retirement benefits such as encashment of privilege leave and Gratuity may be withheld till the completion of the disciplinary proceeding and passing of final order by the Competent Authority and the release of benefits shall be as per the final order of the Competent Authority.

46. Suspension - An officer or employee may be placed under suspension by the Competent Authority and during such suspension period, the officer or employee shall be entitled for the following subsistence allowance, namely, -

1. In case of an Officer:

(A) Basic Pay:—

(i) For the first three months of suspension, one third(1/3) of the basic pay which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry;

(ii) For the subsequent period, -

(a) where the enquiry is held departmentally by the Bank, one half(1/2) of the basic pay the officer was drawing on the date prior of the date of suspension;

(b) where the enquiry is held by an outside agency, one third(1/3) of the basic pay for the next three months and one half(1/2) of the remaining period of suspension,

(B) Allowances :

For the entire period of suspension, dearness allowance and other allowances excepting special allowance, if any, will be calculated on the reduced pay as specified in items (i) and (ii) of clause (A) of sub-regulation (1) of regulation 46 at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of officers.

2. Employee :

(A) Basic Pay : -

(i) For the first three months of suspension, one third (1/3) of the basic pay which the employee was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry.

(ii) For subsequent period :

(a) where the enquiry is held departmentally by the Bank, one half (1/2) of the basic pay, the employee was drawing on the date prior to the date of suspension;

(b) after one year, full pay if the departmental enquiry is not delayed for reasons attributable to the concerned employee or any of his representative(s);

(c) where the enquiry is done by an outside agency and the said agency has come to the conclusion not to prosecute the employee, full pay shall be payable after six months from the date of receipt of report of such agency or one year after suspension, whichever is later, and in the event the enquiry is not delayed for reasons attributable to the employee or any of his representative(s).

(B) Allowances :

For the entire period of suspension, dearness allowance and other allowances excepting special allowance, if any, shall be calculated on the reduced pay as specified in terms of items (i) and (ii) of clause (A) of sub-regulation (2) of regulation 46 at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of employees:

Provided that no officer or employee shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a declaration that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation:

Provided further that if during the period of suspension an officer or employee retired by reason of his attaining the age of superannuation, no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement.

47. Recoveries from subsistence allowance - All compulsory deductions and all instalments towards repayment of unsecured loans and advances given by the Bank, if any, shall be recovered from the subsistence allowance payable to officer or employee.

48. Treatment of suspension period and allied matters – (1) The Competent Authority may, while imposing penalty, direct whether the officer or employee shall be paid the difference between the subsistence allowance and the emoluments which he would have received but for such suspension or the period he was under suspension and that, if the Competent Authority decides otherwise, no order shall be passed which shall have the effect of compelling the officer or employee to refund such subsistence allowance.

(2) The period during which an officer or employee is under suspension shall, if he is not removed or dismissed from the service, be treated as period spent on duty or otherwise as the Competent Authority may direct.

49. Right to appeal- (1) An officer or employee may prefer an appeal against any order passed under these regulations to the Appellate Authority mentioned in regulation 50 within a period of 45 days from the date of receipt of such order.

(2) The Appellate Authority shall decide the appeal and pass order preferably within a period of 6 months from the date of receipt of the appeal.

50. * **Appellate authority** - An appeal shall lie before, -

(i) the Board, where the Chairman is the Competent Authority;

(ii) the Chairman, where the General Manager is the Competent Authority; and

(iii) the General Manager, where Competent Authority is decided by the Board under sub clause (iii) of clause (g) of sub regulation (1) of regulation 2".

(*As amended vide Govt. of India notification F.No.7/20/2012-RRB, New Delhi dated the 20th December, 2012)

51. Requirement of an appeal - Every appeal shall comply with the following requirements; namely, -

(i) it shall be in writing and couched in polite and respectful language and shall be free from unnecessary padding or superfluous verbiage;

(ii) it shall contain all material statements and arguments relied on and shall be complete in itself;

(iii) it shall specify the relief desired;

(iv) it shall not be addressed to director personally.

CHAPTER - V

PAY AND ALLOWANCES

52. When accrue and payable - Subject to the provisions of these regulations, pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an officer or employee and shall become payable on the last working day of the each month in respect of the service performed during the said month.

53. When pay and allowances ceases - Pay and allowances shall cease to accrue as soon as an officer or employee ceases to be in service :

Provided that if an officer or employee dismissed from the service of the Bank, the pay and allowances of the officer or employee shall cease from the date of dismissal :

Provided further that if an officer or employee dies in service, the pay and allowances shall cease from the day following that on which the death occurs.

54. Increments- In a scale, the increment shall accrue on the completion of each specified period of service on each stage of that scale, whether such period be probationary, officiating or substantive :

Provided that an officer or employee shall draw increment on the first day of the month in which it falls due irrespective of the actual date of its accrual.

CHAPTER - VI

LEAVE AND JOINING TIME

55. Kinds of leave - Subject to the provisions of these regulations, an officer or employee may be eligible for the following kinds of leave, namely, -

(a) Casual Leave,

(b) Privilege Leave,

(c) Sick Leave,

(d) Extra-ordinary Leave,

(e) Special Casual Leave and Special Leave,

(f) Maternity Leave, and

(g) Paternity leave.

56. Authorities empowered to grant leave - The Competent Authority or any other officer authorized by him in this behalf shall grant any kinds of leave as referred to in regulation 55.

57. Power to refuse leave or recall an officer or employee from leave -

(1) Leave cannot be claimed as a matter of right. When the exigencies of the service of the Bank requires, the Competent Authority shall, by order in writing, refuse or revoke the leave of any description.

(2) The Competent Authority may, whenever the Bank deems fit to do so, recall the officer or employee who is on leave to join in his duty in the Bank:

Provided that if the officer or employee is out of headquarter, he shall be eligible to be paid the actual expenses incurred by him and the members of his family for returning to the headquarter.

58. Place of reporting on return from leave- An officer or employee who is on leave shall, unless otherwise instructed to the contrary, return for duty to the place where he was posted before proceeding on leave.

59. Leave not admissible for an officer or employee placed under suspension - No leave shall be granted to an officer or employee who is under suspension.

60. Casual Leave - (1) An officer or employee shall be eligible for casual leave on full emoluments for 12 working days in a calendar year:

Provided that not more than four days casual leave may be availed of at any one time :

Provided further that holidays and Sundays may not be combined with such leave in such a manner as to increase the absence at any one time beyond six days.

(2) Casual leave to an officer or employee during the first calendar year of his service shall be admissible on a pro-rata basis at the rate of one day for each completed month or part thereof.

(3) (a) Casual leave not availed of in a calendar year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following year in respect of an officer;

(b) Casual leave not availed of in a calendar year may be converted into sick leave on full substantive pay in respect of employees and such sick leave shall be in addition to the eligible sick leave limits specified in regulation 62;

(4) Casual leave may not be granted in combination with any other kinds of leave except as provided under clause (a) of sub-regulation (3), Special Casual leave under regulation 64, Maternity leave under regulation 65 and Paternity leave under regulation 66.

61. Privilege leave - (1) An officer or employee shall be eligible for privilege leave computed at one day for every 11 days of service on duty:

Provided that no privilege leave shall be availed of before the completion of 11 months of service on duty at the joining of his service.

(2) The period of privilege leave to which an officer or employee is entitled at any time shall be the period which he has earned less the period availed of.

(3) An officer or employee on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave.

(4) Privilege leave may be accumulated upto 31st December, 1989 for an aggregate period upto 180 days and from 1st January 1990, the privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days.

(5) An application for privilege leave shall be submitted by an officer or employee one month before the date from which such leave is required.

(6) The application which does not satisfy the requirement of sub-regulation (5) may be refused without assigning any reason:

Provided that if the Competent Authority is satisfied that such requirement was not possible, he may, at his discretion, waive the requirement.

62. Sick Leave and Additional sick leave - (1) The sick leave or medical leave account of every officer or employee shall be credited with medical leave in advance, in two installments of fifteen days each on the first day of January and July of every calendar year.

(2) (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/2 days for each completed calendar month of service, which he is likely to render, in the sick leave or medical leave of the calendar year in which he is appointed,

(b) The credit for the sick leave or medical leave in which an officer or employee is due to retire or resign from the service shall be allowed at the rate of 5/2 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation,

(c) When an officer or employee is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of sick leave or medical leave shall be allowed at the rate of 5/2 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies in service.

(d) Where a period of absence or suspension of an officer or employee has been treated as 'dies non' in a sick leave or medical leave, the credit to be afforded to his sick leave or medical leave account at the commencement of next sick leave or medical leave shall be reduced by one eighteen of the period of 'dies non' subject to a maximum of ten days:

Provided that sick leave or medical leave can be accumulated during his entire service subject to the following conditions, namely -

(i) An officer or employee shall be eligible to receive one month's full emoluments during the period of sick or medical leave:

Provided that if an officer or employee so desires, the Bank may permit him to draw full emoluments in respect of any portion of sick leave granted to him and the twice the amount of such period on full emoluments shall be debited against his sick or medical leave account for this purpose.

(ii) The sick or medical leave shall be granted on pro rata basis during the first year of service;

(iii) The sick or medical leave may be availed of only on production of medical certificate issued by a recognized medical practitioner acceptable to the Bank;

(iv) Any officer or employee desirous of resuming duty on expiry of sick or medical leave shall produce medical certificate issued by a recognized medical practitioner acceptable of the Bank stating that he is fit for duty.

EXPLANATION: For the purposes of this regulation,-

1. Till the 1st day of September, 1987 an officer or employee is eligible for 20 days sick or medical leave for each completed year of service and such leave can be accumulated upto 180 days.
2. From the 1st day of September, 1987 till October 18, 2005, an officer or employee shall be eligible for 20 days of sick or medical leave for each completed year of service.
3. From October 19, 2005, an officer or employee shall be eligible for 30 days of sick or medical leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 month during the entire service and such leave can be accumulated up to a period of 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate issued by a medical practitioner acceptable to the Bank or at the Bank's discretion nominated by it at its cost.
4. From October 19, 2005, where an officer or an employee who has completed 24 years of service shall be eligible for 30 days additional sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 90 days.

63. Extraordinary Leave - (1) Extraordinary leave may be granted to an officer or employee when no other leave is due to him and when having regard to his length of service, sick leave is not considered justified by the Competent Authority.

(2) The duration of extra ordinary leave to be granted to an officer or employee shall not exceed 90 days on any occasion and 360 days during the entire period of his service:

Provided that in the exceptional circumstances, the Chairman may, with the approval of Board, grant extraordinary leave upto a total period of 720 days to an officer or employee:

Provided further that in case of chronic sickness of an officer or employee, the Chairman may, with the approval of the Board grant extra ordinary leave in excess of 720 days to him and the Board, while according such approval, shall record the specific reasons therefore in writing.

(3) Save as otherwise provided in these regulations, the Competent Authority may grant extraordinary leave in combination with or in continuation of any other kind of leave admissible to the officer or employee.

(4) No pay and allowances are admissible during the period of extra ordinary leave and the period spent on such leave shall not count for increment:

Provided that where the Competent Authority is satisfied that sanction of extra ordinary leave was necessitated on account of illness or any other reason beyond the control of officer or employee, he may direct that the period of extraordinary leave would count for increment.

64. Special casual leave and special leave- An officer or employee may be granted special casual leave and special leave for sports, donation of blood, family planning, defending another officer or employee in an enquiry, or for joining

civil defence services or any other purposes as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Central Government.

65. Maternity Leave - (1) Leave upto a period of six months at a time may be granted by way of maternity leave including in respect of post natal period or at the time of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy, so however, that not more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of a female officer or employee.

(2) Maternity leave may be combined with any other kind of leave but any leave applied for in continuation of the former may be granted only if the request is supported by certificate issued by a recognized medical practitioner acceptable to the Bank.

(3) The Maternity leave may also be granted once during the entire service period to a female officer or employee who has no living child, for legally adopting a child who is below 1 year of age till the child reaches the age of 1 year subject to a maximum period of 2 months subject to the following terms and conditions, namely, -

(a) leave shall be granted for adoption of only one child;

(b) the officer or employee shall adopt a child through the due process of law for the time being in force and produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave.

66. Paternity Leave -

(1) The male officer or employee who having less than two surviving children, may be granted paternity leave for a period of 15 days, during the confinement of his wife for childbirth, i.e. upto 15 days before, or up to six months from the date of delivery of the child.

(2) During such period of 15 days, the male officer or employee shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) The paternity leave may be combined with leave of any other kind.

(4) The paternity leave shall not be debited against any other leave account of the male officer or employee.

(5) If paternity leave is not availed of within the period specified above such leave shall be treated as lapsed.

67. Lapse of leave - All leave shall lapse on the death of an officer or employee or if he ceases to be in the service of the Bank:

Provided that where an officer or employee dies in service, there shall be payable to his legal representatives, sums which would have been payable to the officer or employee as if he has availed of the privilege leave that he had accumulated at the time of his death subject to sub-regulation (4) of regulation 61:

Provided further that where a staff retires from the service of the Bank, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to sub-regulation (4) of regulation 61:

Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be paid pay and allowances for the period of privilege leave at his credit.

68. Furnishing of leave address to the Bank - An officer or employee who has been sanctioned leave and leaves, his place of duty shall furnish to the Bank, the address at which he can be contacted, while out of headquarters.

69. Commencement and Termination of leave - (1) The first day of leave of an officer or employee is the working day succeeding that upon which he hands over charge.

(2) The last day of leave of an officer or employee is the working day preceding that upon which he reports his return to duty.

70. Joining time - (1) A officer or employee shall be eligible for joining time on one occasion to enable him, -

(a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post, or

(b) to join a new post on return from leave.

(2) The period of joining time shall be, -

(a) in respect of an officer, a period not exceeding seven days exclusive of the number of days spent on travel, and

(b) in respect of an employee a period not exceeding six days exclusive of the number of days spent on travel.

(3) During the period spent on joining time, an officer or employee shall be eligible to draw the emoluments at the place of old or new posting, whichever is less.

(4) In calculating the joining time admissible to an officer or employee, the day on which he is relieved from his post shall be excluded:

Provided that public holidays following the day of his relief shall not be included in computing the joining time.

(5) No joining time shall be admissible to an officer or employee if,-

(i) the transfer does not involve a posting to a different place;

(ii) his posting is of temporary nature, irrespective of the fact that the posting is to a place or station other than the one at which he is permanently posted;

(iii) the transfer is at his own request;

(iv) the transfer is within the same Panchayat or Municipality or Urban Agglomeration or Municipal Corporation or Town or City.

CHAPTER - VII

MISCELLANEOUS

71. Provident Fund and Pension - (1) An officer or employee who has completed continuous minimum service as specified in the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) shall be a member of the Employees' Provident Fund and the contribution to the Provident Fund by the officer or employee and the Bank shall be in accordance with provisions of the said Act.

(2) (a) An officer or employee covered under the provisions of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Ac, 1952 (19 of 1952) shall be governed by the provisions of employees Pension Scheme 1995 framed by the Central Government in exercise of the powers conferred by section 6A of the said Act;

(b) the Pension Scheme so framed shall come into force from the 16th day of November, 1995.

"(3)[#] An officer or employee exercising the option to become a member of the Pension Regulation Fund under sub-regulation (1) of regulation 3 of the Pension Regulations and after exercising the said option, refunding the amount by causing the trust of the Provident Fund of the Bank to transfer the entire contribution of the Bank along with the interest accrued thereon to the credit of the Fund constituted the Pension Regulations, in accordance with the said sub-regulation, shall be governed by the Pension Regulations.

(4)[#] The family of the deceased employees exercising the option to become a member of the Pension Regulation Fund under sub-regulation (1) of regulation 3 of the Pension Regulations and after exercising the said option, refunding the amount in accordance with the said sub-regulation, shall be governed by the Pension Regulations.

(5)[#] Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (4) of this regulation, any employee who joins the service of the Bank on or after the 1st day of April, 2018, shall be governed by the National Pension System.

Explanation.– For the purpose of this sub-regulation, the National Pension System means the National Pension System as defined in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013)."

[#] The principal notification was published vide number 162 dated the 3rd June 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 and subsequently amended vide notification number _____-_____ dated the ____---__-_____.

72. Gratuity - (1) An officer or employee shall be eligible for payment of gratuity either as per the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) or as per sub-regulation (2), whichever is higher.

(2) Every officer or employee shall be eligible for gratuity on, -

(a) retirement,

(b) death,

(c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank, or

(d) resignation after completing 10 years of continuous service, or

(e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service:

Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such misconduct causes financial loss to the bank and in that case to that extent only.

(3) The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be one months pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months subject to a maximum of 15 month's pay:

Provided that where an officer or employee has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years:

Provided further that in respect of an officer the gratuity is payable based on the last pay drawn:

Provided also that in respect of an employee pay for the purposes of calculation of the gratuity shall be the average of the basic pay (100%), dearness allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months preceding death, disability, retirement, resignation or termination of service, as the case may be.

73. Domicile- (1) Every officer or employee shall on his appointment declare his domicile in writing to the Bank in Schedule - III and if such domicile is not his place of birth he shall establish the same to the satisfaction of the Appointing Authority.

(2) No officer or employee who has once indicated his domicile shall be permitted to alter the same unless he satisfies the Bank that the change is bonafide.

(3) An officer or employee may not be permitted to change his domicile in such a manner as to increase the cost to the Bank of any such concession.

74. Transferability - (1) Every officer or employee is liable for transfer to any office or branch of the Bank.

(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, an officer appointed under scale IV or scale V shall be liable to be transferred to any Regional Rural Bank sponsored by the same Bank.

75. Lending of services of an officer or employee to other organization- The service of an officer or employee may be lent to other organization subject to such terms and conditions and for such duration as may be approved by the Board:

Provided that the service of an officer or employee may not be lent to other organization against his will:

Provided further that in case of lending of an officer or employee to the Regional Rural Bank sponsored by the Sponsor Bank, the first proviso shall not be applicable.

76. Implementation of regulations - The Chairman may, from time to time, issue such instruction or direction as he may consider necessary for giving effect to, or carrying out the provisions of these regulations.

77. Repeal and Savings -

(1) Every rule, regulation, bye-law or any provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to officers and employees is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the provisions of these regulations.

SCHEDULE – I

[See regulation 5(4)(ii)]

DECLARATION OF MARITAL STATUS

I, Shri/Smt/Kum _____ s/o w/o d/o _____ _____ declare as under:

(i) That I am unmarried/a widower/widow.

(ii) That I am married and have only one spouse living.

(iii) That I have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. I may be granted exemption on the basis of ground given below. Application for grant of exemption is enclosed.

Ground:

2. I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service.

Date: Signature

SCHEDULE - II

(See regulation 19)

DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

I, _____, do hereby declare that I will faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as officer or employee of the _____ Bank and which properly relate the office or position held by me in the said Bank.

I further declare that I will not divulge or allow to be divulged to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the said Bank or to the affairs of any person having any dealing with the said Bank and nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents or electronic records belonging to or in possession of the said Bank and relating to the business of the said Bank or the business of any person having any dealing with the said Bank.

Signed before me

Signature:

Name in full:

Designation:

Signature:

Name in full:

Designation:

Place

Date

SCHEDULE – III

(See regulation 73)

DECLARATION OF DOMICILE

Place:

Date:

I, the undersigned having been appointed in the service of the.....Bank hereby declare.....(Place) in.....(District) as my place of domicile.

1. * The above is my place of birth.

or

* The above is not my place of birth. my place of birth is.....(Place) in.....(District) but .....(Place) has been declared as my place of domicile for the reasons given below.

.....

.....

Signature

Name in full

Designation and Nature of appointment

Date of appointment

* Strike out whichever is not applicable.

S. B SINGH, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./39/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.05.15 11:36:00 +05'30'